Page No. 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ६] तृतीय विधान सभा के छठे सत्र, १९६४ का २२ वां दिवस [संख्या २१

शुक्रवार, दिनांक २३ अक्टूबर, १९६४

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.०१ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

———

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

———

तारांकित प्रश्नोत्तर

[चिकित्सा, सिंचाई, राजस्व, स्वायत्त शासन, गृह, खाद्य, नियुक्ति कृषि, जन-स्वास्थ्य, सामान्य प्रशासन एवं पशु-पालन-विभाग]

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्भुज उपाध्याय।

निर्धारित स्टाफ व औषधियों की उपलब्धि

५५६. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ प्राइमरी हेल्थ सेन्टर, सावा के सभी केन्द्रों में अब तक निर्धारित स्टाफ नहीं पहुंचा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि जहां स्टाफ है हां औषधियां पूरी नहीं दी जाती हैं ? अगर वहां, तो क्यों ?

उप-मंत्री स्वास्थ्य (श्री प्रभा मिश्रा) : (१) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सावा में दो केन्द्र पुठोली एवं अरनियां पन्थ सुचारु रूप से चल रहे हैं लेकिन तृतीय केन्द्र विजयपुर जनता द्वारा दी जाने वाली धन-राशि के प्राप्त न होने के कारण चालू नहीं किया गया है।

Page No. 2

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

पुठोली तथा अरनियां पन्थ-दोनों केन्द्रों में निर्धारित स्टाफ कार्य कर रहा है।

(२) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : कब व्यवस्था की जावेगी ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : वहां के मकान की सूचना आयी है, उसको देखने के बाद अगर होगा तो खोल दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

नहरों से आवागमन में असुविधायें

५१७. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि केशवरायपाटन तहसील में नहरों का पानी पुराने खालों में डाले जाने के कारण आवागमन संबंधी असुविधायें पैदा हो गई हैं ; यदि हां, तो इन्हें दूर करने के लिये सिंचाई विभाग द्वारा क्या कदम उठाये गये ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : कुछ स्थानों पर ऐसा हुआ है। सिंचाई विभाग ने छोटे नालों पर रास्ते बनाने के लिये सीमेंट के पाइप दिये हैं; और बड़े नालों पर पुलियाएं बनाने का विचार है।

श्री हरीप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि आपके डिपार्टमेन्ट की यह नीति है कि जहां पर नहरें निकाली हैं और उस कारण रास्ते बन्द हो गये हैं वहां पाइप डाल कर ठीक कर दिया है, लेकिन जहां पर नहीं लगाये हैं वहां पर पानी भरा रहता है, जिसके लिए आपका डिपार्टमेन्ट यह मानता है कि यह उसकी जिम्मेदारी नहीं है ?

श्री दौलतराम सारण : जिन जगहों पर रास्तों की असुविधा है, मैंने निवेदन किया था कि जहां पर छोटे नाले हैं, वहां पर सीमेन्ट के पाइप देकर रास्ते बनाये गये हैं और जहां बड़े नाले हैं वहां पर पुलियाएं बनायी जा रही हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : पाटन में ऐसे स्थानों पर कितने नाले बनाये और जहां पर टेल का पानी फार्म में और रास्तों में गया है वहां पर बड़ी भारी दिक्कत हो रही है ?

श्री दौलतराम सारण : हमने ११ रास्तों पर इस तरह के सीमेन्ट के पाइप द्वारा रास्ते बनाये और २ रास्तों पर पुलियाएं बनाने का विचार है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आप बता सकते हैं कि किन किन जगहों पर यह किया है ? आपके डिपार्टमेन्ट ने तो मुझे यह उत्तर दिया है कि यह उस डिपार्टमेन्ट की जिम्मेदारी नहीं है। मैं कैसे मान सकता हूँ आप जब यह कह रहे हैं तो। एक भी ऐसा नहीं है जहां टेल का पानी डाला हो। बरसात में जहां रास्ते शुरू हो जाते थे वहां आज रास्ते बन्द हैं।

श्री दौलतराम सारण : मैं उत्तर में निवेदन कर चुका हूं। जिन रास्तों पर पाइप

(श्री दौलतराम सारण)

लगाये गये हैं उनकी सूची मेरे पास है, यदि आज्ञा हो तो मैं पढ़ दूं। सूची लम्बी है। बड़े नालों पर पुलियाएं बनाने का है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : पानी भरा रहता है, टेल का पानी डाला नहीं है। गराना के पास की नदी है जहां पर बरसात में बन्द रहती है लेकिन अब सदैव पानी भरे रहने के कारण नावें नहीं चल सकती हैं, लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। टेल का पानी डालने की पाइप डाले कर व्यवस्था करें। यदि आप सूची सदन की टेबल पर रख देंगे तो मैं बता दूंगा कि कौनसी २ जगह आपने क्या किया है और क्या करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : जहां पर टेल का पानी नदी में नहीं डाला है और खेतों में छोड़ दिया है उसके लिए क्या विचार कर रही है ?

श्री दौलतराम सारण : चम्बल क्षेत्र के लोग अभ्यासी नहीं हैं। खेतों में रात को पानी छोड़ देते हैं और रात को सिंचाई नहीं करते हैं इसलिए रात को जब वहां पानी छोड़ा जाता है तो रास्तों में भर जाता है; यह बड़ी दिक्कत है। जिन जिन रास्तों में पानी इकट्ठा होता है वहां पर आने जाने की दिक्कतें होती हैं, उसके लिए विभाग की ओर से सीमेन्ट के पाइप लगा कर पानी निकाल दिया है और आवागमन के रास्तों में दिक्कत न हो, इसके लिए यह सुविधा दी है। यदि कोई खास जगह दिक्कत हो उसके लिए बतायेंगे, तो सुविधा दी जा सकेगी।

श्री जुझारसिंह : मेरा प्रश्न आप समझ नहीं सके। टेल में इतना पानी इकट्ठा हो जाता है कि नेचुरल रूप में बह नहीं सकता है। टेल को इकट्ठा कर दिया है इसलिये निकलने की जगह नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : यह आप जनरल बात कह रहे हैं। किसी जगह का उदाहरण देंगे तो उस जगह की दिक्कत को मिटाने की चेष्टा करूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। टेल्स पर पानी एक्सेस होता है तो एस्केप का इन्तजाम किया है या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : आवश्यक इन्तजाम हैं लेकिन यह जनरल क्वेश्चन है। किस जगह क्या प्रोब्लेम है यह इस समय नहीं कहा जा सकता, आप पर्टीकुलर स्थान और टेल की बात कहेंगे तो जानकारी करके बता सकता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप एक ओर स्वीकार कर रहे है कि लोग केनाल माइन्डेड नहीं हैं, वहां पर वाटर युटिलाइजेशन नहीं हैं इसलिए टेल में पानी एक्सेस होता है। आपके एक्सपर्ट्स को यह जानकारी है तो एक्सेस पानी का कुछ तो करना चाहिए ताकि पानी रुके नहीं ?

Page No. 4

श्री दौलतराम सारण : ये सब प्रश्न केवल धारणा पर पूछे जा रहे हैं। कोई निश्चित बात बतायेंगे, जैसा मैंने निवेदन किया, तो मैं आवश्यक व्यवस्था करने की चेष्टा करूंगा। केवल धारणा पर तो उत्तर नहीं दिया जा सकता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : टेक्निकल बात है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : टेल में पानी एक्सेस जावेगा और उससे आवागमन के रास्ते बन्द होगा तो आखिर सिंचाई विभाग क्या करेगा ?

प्रश्न संख्या ५५८

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री अब्दुलजब्बार।

गन्ने के ट्रान्जेक्शन पर ऑक्ट्रोय

५५६. श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ऑक्ट्राय उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो सेल और कन्जम्प्शन हेतु ही म्युनिसिपल एरिया में लाई जाती हैं ?

(२) क्या ट्रान्ज़ेक्शन पर भी जो ऑक्ट्रोय वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो किस कानून के तहत ?

(३) क्या निम्बाहेड़ा नगरपालिका द्वारा गन्ने के ट्रान्ज़ेक्शन पर ऑक्ट्रोय लिया जाता है ? और क्या यह सही है कि जो गन्ना भोपालसागर का रेल द्वारा निम्बाहेड़ा भेजा जाता है, उस पर नगरपालिका निम्बाहेड़ा ऑक्ट्रोय लेती है ?

(४) क्या राज्य सरकार और कलेक्टर चित्तौड़गढ़ को इस प्रकार की ऑक्ट्रोय वसूली को रोकने हेतु निम्बाहेड़ा से किसी भी प्रकार की कोई एप्लीकेशन दी गई ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा उस पर क्या एक्शन लिया गया है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, १९५९ की धारा १०४ की उप-धारा (२) के अनुसार म्युनिसिपल एरिया में उपयोग, उपभोग एवं बिक्री के लिये लाई जाने वाली वस्तुओं पर ऑक्ट्रोय वसूल किया जाता है।

(२) म्युनिसिपल एरिया में बिकने वाले माल पर ऑक्ट्रोय वसूल किया जाता है जिसका उत्तर अंश एक में दिया जा चुका है।

(३) निम्बाहेड़ा नगरपालिका द्वारा केवल उस गन्ने पर ऑक्ट्रोय वसूल की जाती है जो बाहर से म्युनिसिपल सीमा में लाया जाता है और भोपलसागर मिल को, जिसकी दुकान व तोलने का कांटा पालिका की सीमा में है, बेचा जाता है और बिल्स भी यहीं लिये जाते हैं, जो बिक्री की तारीफ में आता है। भोपालसागर मिल द्वारा निम्बाहेड़ा में (काश्तकारान से) गन्ना खरीदा जाकर निम्बाहेड़ा से भोपालसागर ले जाया जाता है, उस गन्ने का ऑक्ट्रोय बाहर

(श्री दौलतराम सारण)

से लाने वाले व्यक्तियों से वसूल किया जाता है।

(४) राज्य सरकार को सीधी या कलेक्टर को दी गई ऐसी कोई एप्लीकेशन प्राप्त नहीं है।

श्री अब्दुलजब्बार : यह जो दो भाग में बताया ऑक्ट्रोय वसूल किया जाता है। मैंने दो में पूछा कि ट्रान्जेक्शन पर विचार किया जाता है ?

श्री दौलतराम सारण : उत्तर १ में दे चुका हूँ।

श्री अब्दुलजब्बार : ट्रान्जेक्शन पर वसूल कर सकते हैं या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया है कि ऑक्ट्रोय उसी हालत में वसूल की जाती है जब कि म्युनिसिपल एरिया में सामान उपभोग, उपयोग एवं बिक्री के लिये लाया जावे।

श्री अब्दुल जब्बार : आपने यह माना है कि गन्ना भोपालसागर जाता है। फिर कैसे मानते हैं कि वह वहां के लिये उपभोग, उपयोग एवं बिक्री के लिये आता है ?

श्री दौलतराम सारण : जो सामान बाहर से आकर म्युनिसिपल सीमा में बिकता है उस पर ऑक्ट्रोय ली जाती है। यह गन्ना चूंकि बाहर से म्युनिसिपल की सीमा में आकर बिकता है इसलिये ऑक्ट्रोय ली जाती है।

श्री अब्दुलजब्बार : आपको मलूम होना चाहिये कि गन्ने का पेमेन्ट वहां नहीं होता। बिल बन कर भोपालसागर जाता है और वहां से पेमेन्ट आता है। खरीददार भोपालसागर शुगर मिल है। फिर कैसे मानते हैं कि खरीद निम्बाहेड़ा में हुई ?

श्री दौलतराम सारण : खरीददार कोई हो, म्युनिसिपल सीमा में माल बेचा जाता है, उस पर ऑक्ट्रोय ली जाती है और यह इसी तारीफ में आता है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): क्या कानून की तहत म्युनिसिपल सीमा में बेचे जाने वाले माल पर ऑक्ट्रोय ली जा सकती है इस पर सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है ? उसमें स्पष्ट है कि सीमा में आकर बिकने पर भी केवल उसी पर ऑक्ट्रोय ली जा सकती है जो कन्ज़म्पशन पर्पजेज़ के लिये वहां आवे। आप इसको कानून की रोशनी में एग्ज़ामिन करा लें।

श्री दौलतराम सारण : सुप्रीम कोर्ट की अगर ऐसी रूलिंग है तो आप उसे मुझे दे दें, मैं एग्ज़ामिन करा लूंगा।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई): आपने बाई लॉज़ बना रक्खे हैं कि ट्रान्ज़िट में जो माल आता है और हाथों हाथ बाहर चला जाता है उस पर चूंगी रिफण्ड करते हैं या तो या ली ही नहीं जाती। जैसे एक आदमी अपनी बिल्टियों से कानपुर से चमड़ा मंगाता है और उन बिल्टियों के द्वारा उस माल को आस-पास के दूसरे इलाकों में भिजवाता रहता है और केवल उसमें दलाली के पैसे लेता है;

Page No. 6

(श्री मथुरेशविहारी माथुर)

पार्टियों से बिल्टियों पर बराबर ऑक्ट्रोय लिया जा रहा है, हजारों रुपया लिया जा चुका है और ट्रान्ज़िट के लिये रूल पास कर रखा है और आपने जो जवाब दिया है कि ट्रान्ज़िट पर नहीं लिया जाता। कन्ज़म्पशन होगा तो लिया जावेगा। तो क्या ट्रान्ज़िट वालों से लिया है वह वापिस किया जावेगा ?

श्री अध्यक्ष : माल आता है या नहीं आता है म्युनिसिपल एरिया में ?

श्री मथुरेशविहारी माथुर : मैं निवेदन करूं कि म्युनिसिपल एरिया में कोई शख्स कानपुर से चमड़ा मंगाता है और दूसरी जगह भेजता रहता है क्यों कि उस स्टेशन से डिस्ट्रिब्यूट करने में उसको सहूलियत है पर वह स्टेशन म्युनिसिपल एरिया में पड़ता है, पर माल वहां कन्ज़्यूम नहीं होता, खाली बिल्टियों पर आता है, स्टोर में रखता है और फिर ट्रान्ज़िट कर देता है। पर चूंकि स्टेशन मास्टर को हिदायत कर रखी है, ऑक्ट्रोय उस पर भी वसूल कर लिया जाता है। माल वहां न रहता है न कन्ज्यूम होता है, वह तो आया और नई बिल्टियों में बन कर लालसोट या सिकराय चला जाता है। तो क्या वह ऑक्ट्रोय वापिस करने को सरकार तत्पर है ?

श्री दौलतराम सारण : यह अलग से प्रश्न है। कानूनी तौर से जांच करके जो वाजिब होगा एक्शन लिया जावेगा।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या सरकार के रूल्स में प्रावधान नहीं है कि जो माल बाहर चला जाता है उस पर स्टोर चार्ज लिया जाता है और ऑक्ट्रोय नहीं ली जाती। जो माल म्युनिसिपल एरिया में कन्ज़्यूम होता है उसी पर लिया जाता है टैक्स। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि घोड़ा छाप माचिस है निम्बाहेड़ा में लायी जाती है, स्टॉक की जाती है चाहे लॉज़ में प्रावधान है कि जितनी सेल उसकी बाहर के लिये होगी उतने का रिफण्ड होगा। तो मैं वही बात इस गन्ने के लिये पूछना चाहता हूं कि उस पर क्यों नहीं लागू की जाती ? वह भी स्टेशन पर आता है, तुलता है और वैगन में लोड कर दिया जाता है। वह तो सारा का सारा कर दिया जाता है, यह आप भी मानते हैं, तो फिर उस में भी रिफण्ड क्यों नहीं करते ? नहीं करना कहां तक ठीक है ?

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

श्री अब्दुल जब्बार : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अहम मसला है, हजारों किसान यहां गन्ना बेचने आते हैं। सारा गन्ना भोपालसागर जाता है वहां के स्टेशन से वैगनों में भर कर पर उस पर भी हर गाड़ी पर छः आने उन गरीब किसानों से ऑक्ट्रोय का ले लिया जाता है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि आप को अब ऑक्ट्रोय उनसे लेना भारी पड़ेगा। आप तैयारी कर लें उन किसानों को गिरफ्तार करने की। वे आपको ऑक्ट्रोय नहीं देंगे, वे इसी सत्र में अपनी आवाज बुलन्द करेंगे। आप बराबर उनको गिरफ्तार करना। मैं आपको साफ बता देना चाहता हूं कि इस अन्यायपूर्ण तरीके से एक पैसा भी किसान आपको नहीं देगा। यह जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है।

(श्री अब्दुल जब्बार)

किसान के, जनता के वोटों पर आप वहां आकर बैठे हैं और उन्हीं के गलों पर छुरियां चलाना चाहते हैं आप। अब यह नहीं चलेगा। आप किसानों से भी नहीं चूके ।

पंचायत समिति, कुम्हेर के प्रधान के विरुद्ध जांच

५६०, श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : श्री रामकिशन वैर :

श्री मुकटबिहारीलाल (बयाना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ७-७-६४ या ८-७-६४ की रात को करीब ११ बजे पंचायत समिति कुम्हेर, जिला भरतपुर के प्रधान श्री भीमसिंह ने लाठियों से सुसज्जित सैकड़ों व्यक्तियों के साथ श्री केदारनाथ वैश्य, निवासी कुम्हेर की पत्थर की टाल पर हमला कर दिया तथा उसके मुंह में कपड़ा ठूंस कर उसे पकड़ कर ले गये और जबरन उसकी पाटौर को गिरा दिया तथा टाल का सारा पत्थर ट्रकों में भर कर लूट ले गये ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त घटना की रिपोर्ट उसी वक्त थाना कुम्हेर में की गई किन्तु पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की ?

(३) क्या यह सही है कि रात में जब यह घटना घट रही थी तो सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, भरतपुर को दो बार कुम्हेर से फोन पर पुलिस भेज कर व्यवस्था कायम करने के लिए कहा गया किन्तु एस. पी. ने भी इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की ?

(४) क्या यह सही है कि जिस जमीन पर श्री केदारनाथ वैश्य, कुम्हेर की टाल थी, उस जमीन पर उनके कब्जे में कोई हस्तक्षेप न करने के लिए जिलाधीश, भरतपुर के यहां से पंचायत समिति कुम्हेर के खिलाफ स्थगन आदेश (स्टे-ऑर्डर) जारी था ?

(५) क्या पुलिस द्वारा अभी तक इस मामले संम्बन्धी कोई माल बरामद किया गया है ? यदि हां, तो क्या और कहां से ?

(६) क्या पुलिस द्वारा मुलजिमान के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य): (१) जी हां, परन्तु दिनांक ७-८-६४ की रात को नहीं, बल्कि दिनांक ८-७-६४ को तथा ६-७-६४ की मध्य रात्रि में सर्व श्री केदार नाथ तथा हीरालाल वैश्य के साथ इस प्रकार की घटना होने के आरोप प्राप्त हुए है ।

(२) पुलिस में सूचना प्राप्त हुई तब थाने का इन्चार्ज एक शिक्षित सिपाही था जिसने रोजनामचे मे रिपोर्ट पंजीबद्ध कर दी जैसा कि उसे अधिकार था। दिनांक६-७-६४ के प्रातः हेड कॉन्स्टेबल थाने पर पहुँचा और उसने पहुँचते ही मुकदमा पंजीबद्ध कर अन्वेषण प्रारम्भ कर दिया ।

(३) पुलिस अधीक्षक, भरतपुर को दो बार आधे घंटे की अवधि से ११ या १२ बजे रात्रि में टेलीफोन से किसी व्यक्ति द्वारा सूचना मिली जिस पर पुलिस अधीक्षक ने शीघ्र टेलीफोन द्वारा कुम्हेर थाने से सम्पर्क स्थापित किया व उचित कार्यवाही हेतु इन्चार्ज थाना को

Page No. 8

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

हिदायत दी एव अतिरिक्त फोर्स की आवश्यकता होने के विषय में ज्ञात भी किया तो इन्चार्ज थाना मे अतिरिक्त फोर्स की आवश्यकता नहीं होना बताया ।

(४) जी हां ।

(५) जी हां । इस विषय में दिनांक २०-७–६४ को अन्वेषण--कर्त्ता ने पत्थर व लकड़ी के तख्ते इत्यादि पंचायत समिति कुम्हेर की हद से पंचायत समिति के कार्यालय के पीछे शिव मन्दिर के पास से बरामद किये है जो पुलिस की अधीनता में हैं ।

(६) तफ्तीश जारी है और आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा रही है ।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूँगा कि जब एस. पी. महोदय ने टेलीफोन पर थाने के इन्चार्ज से कहा कि आवश्यक कार्यवाही करो, तो क्या किया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने निवेदन किया न कि उस वक्त थाने में शिक्षित कॉन्स-टेबल था और एस. आई. नहीं था । उसने जो रिपोर्ट दर्ज कराई वह लिख दी । बस । उस रात को तो यही कार्यवाही हुई ।

श्री नत्थी सिंह : डकैती चार घंटे तक चलती रही लगातार । सैकड़ों आदमी लाठी, भाले और बन्दूकों से लैस लूट रहे थे और आदमी को किडनेप करके ले गये, तहलका मच गया, कोहराम मच गया, लूट-पाट चलती रही । एस. पी. से दस-दस मिनिट लगातार बात हुई । उस वक्त फौरन ६ मील की दूरी पर फोर्स नहीं भेज सके, इसकी आवश्यकता नहीं समझी गई, इसका क्या कारण है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कारण मैंने निवेदन किया कि किसी अपरिचित व्यक्ति ने फोन पर बात की और एस. पी. ने उसी वक्त तत्क्षण कुम्हेर के एस. आई. से बात की और सारी स्थिति का पता लगाया । तो उसने एडीशनल फोर्स डिमाण्ड करने की आवश्यकता नहीं बताई । यह स्वीकार किया गया है कि वहां से डिपो से उसे ले गये और पंचायत समिति में रखा गया, यह बात मन्जूर की है । आवश्यकता इसलिए नहीं प्रतीत हुई कि बाद में एक्शन—रीएक्शन नहीं हुए । ऑफेन्स कमिट होना था, हो गया । इसके बाद शांति थी ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह कौन से सेक्शन में रजिस्टर किया गया केस ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ३४४, ३४२, ३४८, १४७ एवं १४८ ।

श्री भैरोंसिंह : उस रिपोर्ट के कन्टेन्ट्स के अनुसार किस दफा में केस रजिस्टर होना चाहिए था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : डाकेजनी का नहीं किया । अब यह होना चाहिए या नहीं, लीगल पोज़ीशन है । मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता । फेक्ट्स ऑफ दी केस सामने हैं । जो ऑफेन्सेज़ हुए रजिस्टर किये । अगर रजिस्टर नहीं किये तो तफ्तीश के अन्दर भी ये दफाएं अमेन्ड होती रहती हैं ।

श्री भैरोंसिंह : आप तो कुछ नहीं कहते, पर मैं जानना चाहता हूं कि रिपोर्ट जो दर्ज की रोजनामचे में लिखी और एफ. आई. आर. रजिस्टर की गई उनके कन्ट्रेन्टस पर क्या ३६२ का और डाकेजनी का केस नहीं बनता था क्या ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मुझ से फेक्टस ऑफ दी केस के अन्दर कानूनी राय लिया जाना उचित नहीं है। इसका केस पर असर पड़ सकता है।

श्री भैरोंसिंह : नहीं पड़ेगा असर।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अपने ऑब्ज़र्वेशन्स ऐसे केसों में मैं नहीं देना चाहूंगा कि जिसका असर केस पर पड़ सकता हो।

श्री भैरोंसिंह : ३६५ बनता है या नहीं, कन्टेन्ट्स के आधार पर।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आपने जैसी भावना व्यक्त की है वह उसके पास पहुंच जावेगी। मैं इस तरह से न किसी को डिफेन्ड कर सकता हूं न प्रोसीक्यूट कर सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : आपके पास जो एफ० आई० आर० की रिपोर्ट है, पढ़कर सुना सकते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह रिपोर्ट मेरे पास नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : मेरे पास है, आप कहें तो पढ़कर सुना दूं।

श्री भैरोंसिंह ; आपको पता लगाना चाहिये कि केस किन सेक्शन्स में रजिस्टर किया गया है, किन में नहीं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने बता दिया है। जो आपने प्रश्न पूछा है वे आरोप ठीक हैं।

श्री भैरोंसिंह : आरोप तो क्वेश्चन के जरिये या आपके उत्तर के जरिये निकले हैं। वह ३६५ में केस दर्ज होना चाहिये और आपने ३४२ में किया है; तो इन दोनों में तो बहुत अन्तर है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने तो ३–४ सेक्शन्स बताये हैं। सेक्शन्स अर्ज कर कर दिये हैं रोंगफुल रेस्ट्रेन्ट है, क्रिमिनल ट्रेसपास है, राइट है और एक दो और है।

श्री मुकुटबीहारीलाल गोयल : डकैती नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वही तो गसलत चल रहा है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप तो कानून के बड़े भारी वकील रहे हैं। रोबरी या थेफ्ट ५ से अधिक आदमी यदि कमिट करें तो डेकॉयटी बनती है; आप उसे देख लीजिए कि ३६५ का केस बनता है या नहीं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : Distinction between robbery and theft and distinction between robbery and decoity, यह प्रश्न बड़ा बारीक है।

[redacted]

श्री भैरोंसिंह : कोई वारीक नहीं है, आप इसका उत्तर दे दीजिए कि क्वेश्चन नं.१ के जवाब में आपने कहा है 'हां' और क्वेश्चन नं० १ में लिखा है कि-क्या यह सही है कि पंचायत समिति, कुम्हेर के प्रधान श्री भीमसिंह ने लाठियों से सुसज्जित सैकड़ों व्यक्तियों के साथ एक श्री केदानाथ वैश्य की पत्थर की टाल पर हमला कर दिया और टाल का सारा पत्थर ट्रकों में भरकर लूट ले गये" और इसके उत्तर में आपने कहा है 'हां'; तो फिर आप किस आधार पर कहते हैं कि इसमें कानून का इन्टरप्रिटेशन रहा होगा और केस ३४२ में होना चाहिये, रोंगफुल रेस्ट्रेन्ट में होना चाहिए या राइट में होना चाहिए। क्यों नहीं सब-इन्सपेक्टर ने आपके कहने के अनुसार, जिसको आपने स्वीकार किया है, डकैती में क्यों नहीं केस रजिस्टर किया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं तथ्यों को फिर रख दूं। मैंने जैसा निवेदन किया....

श्री नत्थीसिंह : आप तथ्यों को रखते नहीं परन्तु तोड़-मरोड़ रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस डिपो को रेवेन्यू की जमीन दी गयी। जमीन के ऊपर वैकेट कराने का हुक्म आया, प्रधान ने दिया और उसके लिए वैकेट कराने के प्रयत्न किये गये और उसके बाद कलेक्टर ने स्टे-ऑर्डर दिया, यह सब सर्कम्स्टान्सेज़ और फेक्ट्स ऐसे हैं कि जो पुलिस ऑफिसर को अपने आप संकेत ले लेना चाहिए कि क्या ऑफेन्स बनता है। इसमें बोनाफाइडी आता है या नहीं, क्रिमिनल इन्टेन्शन आता है या नहीं, यह प्रश्न सब के सब इन्वेस्टीगेशन के दौरान वह पुलिस ऑफिसर ले सकेंगे ? अभी मैं डिस्टिंकशन किसी लीगल पोज़ीशन पर करने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : अभी जांच किस स्तर पर है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह प्रश्न क्योंकि यहां पर पहले आ चुका था, इसमें करीब एक महीने की देरी हो गयी। इसमें ११ गवाहों का तो भुगतान हो चुका है और मेरा विश्वास है कि जल्दी से जल्दी इसकी तफ्तीश समाप्त हो जायेगी।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि कम्प्लेनेन्ट द्वारा विजिलेंस कमीशन को और केन्द्र की जो सदाचार समिति है उसको इस बात की कम्प्लेन्ट की गई कि वह के पुलिस अधिकारी जानबूझकर और दबाव के कारण सही इन्क्वायरी नहीं कर रहे हैं ? जिसके लिए मुख्य मंत्रीजी को लिखा गया और दूसरे मिनिस्टरों को रजिस्ट्री द्वारा १५-७-६४ को लिखा गया और उसके बाद भी आज की तारीख तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। आप जो कह रहे हैं वह गलत है। वहां एक सिपाही था। उसके बाद एस० पी० टेलीफोन करता है और एस० पी० ने वहां पर और ज्यादा फोर्स भेजना जरूरी नहीं समझा, ऐसा कहते हैं और क्योंकि एक सिपाही था उसने कोई कार्यवाही नहीं की सिवाय इसके कि उसने एफ.आई. आर. दर्ज करली और ९।। बजे सुबह वहां पहुंचा। क्या यहा इस बात का सबूत नहीं है कि राजनैतिक कारणों से सरकार इसको दबाना चाहती है ? जब वहां सौ आदमियों का जाना

(श्री नत्थीसिंह)

बताया गया तो क्या आप इसकी निष्पक्ष एन्क्वायरी कराने के लिए तैयार हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, इन्क्वायरी नहीं इनवेस्टीगेशन चल रहा है। विजिलेंस का प्रश्न और कहां कहां दर्ख्वास्तें दीं यह तो यहां प्रश्न में नहीं है और न मुझे पता है कि विजिलेन्स कमीशन के पास दर्ख्वास्त दी या किसी हुक्मशन के पास दी, इसका मुझे इल्म नहीं। इसमें ११ गवाहनों के एग्ज़ामिनेशन हो चुके हैं, रिवरी ऑफ दी प्रोपर्टी हो चुकी है। अब सिर्फ टाइटिल के प्रश्न पर शायद विचार कर रहे हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स आ जायें और मैं विश्वास दिला चुका हूं कि इस तफतीश में कोई दखलन्दाजी या पक्षपात किया जा रहा है, ऐसा तथ्य या ऐसी धारणा निराधार है और इसकी तफतीश जल्दी से जल्दी समाप्त की जायेगी। यह विश्वास दिला चुका हूं।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी मामले को बढ़ा क्यों रहे हैं ? आपने प्रश्न संख्या २ के उत्तर में माना है कि वहां पर कॉन्स्टेबल था और एस० पी० को टेलीफोन किया तो मालूम हुआ कि वहां पर अधिक की फोर्स की जरूरत नहीं है। तो एक बात साफ कि पुलिस मिली हुई थी जैसा कि प्रश्न के भाग २ और ३ के उत्तर से मालूम होता है। वहां पर ४ घंटे तक डकैती चलती रही और वह वहां से कागजों को ले गये, बही–खाते भी ले गये और रकम भी ले गये। केस का इन्वेस्टीगेशन चल रहा है और भाग २ और ३ के उत्तर में देखें तो मालूम होता है कि पुलिस मिली हुई है, इसलिए वहां के केस में इन्वेस्टीगेशन में पक्षपात हो रहा है इसके लिए क्या आप कोई और दूसरी व्यवस्था करेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं इस आरोप को स्वीकार नहीं करता हूं कि पुलिस मिली हुई है। जैसा मैंने निवेदन किया कि रिपोर्ट जैसी पेश हुई वहां पर लिट्रेट कॉन्सटेबल था और वह कोई इन्वेस्टीगेशन नहीं कर सकता था इसलिए उसने एफ०आई०आर० तो दर्ज कर ली। उसके बाद हैड कॉन्स्टेबल आ गया और इन्सपेक्टर ने तफतीश आरम्भ की और कार्यवाही सुचारु रूप से चल रही है। अब प्रश्न यह रहता है कि सदन यह चाहता है और माननीय सदस्य की मंशा है कि यह तफतीश दूसरों के हाथ में दी जाये तो इस प्रश्न पर मैं विचार कर लूंगा, लेकिन इस आधार पर नहीं कि पुलिस वहां पर कोई पक्षपात कर रही है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मेरे से खुद ने एस०पी० ने स्वीकार किया है कि यह नेताओं का मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस तरह की तो आप मुझे कई बातें कहा करते हैं। एस०पी० आपसे खानगी में बात करले, ऐसे मामले में रीज़नेबल तो होना चाहिए।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : कलेक्टर भरतपुर मौके पर पहुंचा है और वह पंचायत समिति की बैठक में पहुंचा और इस घटना को अपने तरीके की शर्मनाक घटना बताई है और इन्हीं लोगों से उत्साह पाकर

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल) :

उन्होंने दूसरी जगह भी डकैती डाली है फिर भी वह मामला दबा दिया गया है। मैं निवेदन करूंगा कि आज के इस भारतीय संविधान के द्वारा जो हमको अधिकार मिला है कि कानून की आंख से कोई भी व्यक्ति चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अगर वह अपराध करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं आपको बता दूं कि कानून में कहीं इन्टरफियरेन्स नहीं होगा।

श्री रामकिशन : आपने अभी कहा कि किन्हीं और कारणों से आप जांच कराने के तैयार हैं तो फिर आप किससे जांच करायेंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : डिपार्टमेंटल क्वेश्चन है, जो योग्य से योग्य व्यक्ति पाया गया उसी को देंगे। उस एस०पी० से ज्यादा अच्छा आपकी निगाह में कौन होगा ? हम एस०पी० से कहेंगे कि इसका इन्वेस्टीगेशन सम्पन्न करो क्योंकि वह आपका विश्वासपात्र है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : आप इनका (श्री मुकुटबिहारीलाल) एफीडेविट तो ले लो।

श्री रामकिशन : मेरे स्टेटमेंट की वकत है। आप जैसा भूठा नहीं हूं। आपने विश्वास दिलाया है और आश्वासन दिया है कि भरतपुर की पुलिस के अलावा किसी ओर से जांच करायेंगे तो किससे करायेंगे ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य: आप स्वयं फैक्ट को मिसकन्स्ट्रक्ट कर देते हैं। अभी एक मिनट बात हुए नहीं हुआ कि आप कहां से कहां पहुँच गये कि मैंने आश्वासन दे दिया। मैंने आश्वासन यह दिया है कि तफतीश को गति देने के सम्बन्ध में विचार करेंगे। पक्षपात के सम्बन्ध में आप स्वयं एस० पी० में विश्वास न रखते हैं तो फिर वह प्रश्न पैदा नहीं होता है। फिर भी गति देने का विचार करेंगे। आप फैक्ट्स को मिस्कन्स्ट्रूड मत कीजिये।

श्री रामकिशन : विश्वास तो आप पर भी है, लेकिन आपका आचरण ऐसा है कि विश्वास नहीं होता है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आप फैक्ट्स को मिसकन्स्ट्रूड करके रख देते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो रोजनामचे में रिपोर्ट दर्ज की गई और रोजनामचे में जो कार्यवाही पुलिस के द्वारा हुई है उसमें लिटरेट कॉन्स्टेबल ने यह लिखा है कि यह मामला ३९४ का है और इस मामले की तफतीश थानेदार साहब के आने पर शुरू की जायगी ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : रोज़नामचे की नकल आपके पास हो तो मैं इसी वक्त में कह सकता हूं कि लिखा कि नहीं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : यह नकल कहां से चुराई है ?

श्री भैरोंसिंह : आप बता दें कि क्या लिखा है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह मामला इतना पेचीदा नहीं है कि ३६५ का इन्वेस्टीगेशन वह करेंगे । सब ३६५ को जानते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : मेरे क्वेश्चन को आप साफ करें । उसका जवाब दें ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : रोजनामचा और पुलिस डायरी यह मैंने नहीं देखी हैं । अगर उसकी कोई कॉपी हो तो इसी तत्क्षण में आपको जवाब दे दूंगा । रोजनामचे में जो लिखा हुआ है प्रोसीडिंग उसी के जरिये से चलनी चाहिए । किस तरीके से हुआ है और कैसे नहीं हुआ है इसका पता नहीं है । इनीशियल स्टेज पर कोई एक्शन ले लिया है तो उसके पश्चात् ज्यों ज्यों एवीडेन्स आयेंगी तो वह कम्प्लेसेन्सी होती जाती है । यह महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, even the court can take cognizance of the offence; लेकिन हम यहां नहीं छोड़ेंगे इस प्रश्न को ।

श्री भैरोंसिंह : यह पता लग गया और माल की रिकवरी हो गई और १० गवाहों के बयान भी हो गये हैं, उसके बाद भी मुल्जिमान को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : फिर, अध्यक्ष महोदय, इन्वेस्टीगेशन पर जिसका असर पड़े वह बात नहीं कहलायें । मैं कहना चाहता हूं कि आप मुझको मौन रहने की आज्ञा देदें, क्योंकि इसका इन्वेस्टीगेशन पर असर पड़ेगा । यह इतना डेलीकेट पोइन्ट है कि इस पर मैं नहीं कहना चाहता हूँ । उससे उसकी प्रोग्रेस पर असर पड़ेगा मैं कहीं इसका एनेलेसिस करने लग जाऊंगा तो ।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, य विश्वास का प्रश्न है, उप-मंत्री महोदय इस प्रकार से उत्तर देते हैं कि जिसको सदन नहीं ले पाता है । उप-मंत्री शिक्षा के सम्बन्ध में ही इस प्रकार के उत्तर दें । इसका उत्तर गृह मन्त्रीजी ही दें ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : उस क्षेत्र में बहुत मुश्किल होगी । शिक्षा में तो मैं नया ही आया हूं लेकिन इसमें तो २२ साल से हूं । शिक्षा के मामले में दे दें मगर इसमें नहीं दूं, यह कैसे हो सकता है । इस पर तो मेरा हक रहता है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा ...

श्री भैरोंसिंह : २२ वर्ष तक आप क्रिमिनल रहे हैं ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : क्रिमिनल नहीं रहा हूं मगर उनका वकील रहा हूं ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : यहां भी उनको डिफेण्ड करने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : जो आप एन्क्वायरी करेंगे तो डकैती की जहां पर इत्तिला आने पर भी फोर्स नहीं हो और एस० पी० को इत्तिला होने पर भी फोर्स नहीं भेजे तो क्या यह इन्फरेन्स इसका नहीं निकलता है कि पुलिस डिपार्टमेंट उससे मिला हुआ था ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : एन्क्वायरी नहीं इन्वेस्टीगेशन कहिये, वह करा रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि....

Page No. 14

श्री नत्थीसिंह : वह होता रहा....

श्री निरन्जननाथ आचार्य : सुनिये। उसके बाद में निश्चित रूप से कह सकता हूं कि एक्ट एकम्पलिश हुआ उसके बाद और उसके पहले कोई ऐसी स्थिति विषम नहीं कि जिससे पुलिस को रखा जाय।

श्री नत्थीसिंह : लेकिन····

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैं अर्ज कर रहा था कि पुलिस का रखना और नहीं रखना यह हमारी स्थिति के अध्ययन से हम उचित नहीं समझते हैं। हम यह उचित समझते हैं कि इस केस का इन्वेस्टीगेशन सरगर्मी से किया जाय और ऐसी सरगर्मी से किया जाय कि इसका असर पर्याप्त पड़े।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : वहां के स्थानीय अफसर वहां के नेताओं के प्रभाव में रहते हैं, इसलिए उनको यहां से डेप्यूट किया जाय तो ज्यादा अच्छा हो।

प्रश्न संख्या ५६१

श्री अध्यक्ष : श्री महेन्द्रसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, ये डकैतों के वकील हैं या हाउस में उप-मन्त्री हैं ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैं आपके सरदारों का भी वकील रहा हूं और उनको भी बचाया है।

कोयले का स्टॉक

५६२. **श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** (रायसिंहनगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि मई, १९६४ में एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर फर्स्ट डेज़र्ट डिवीजन द्वारा टॉप प्रायोरिटी के नाम पर ७० वेगन स्लेक कोयला मंगवाया गया ?

(२) यदि हां, तो क्या यह सही है कि उपरोक्त डिवीजन में कोयले का स्टॉक मौजूद था ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त ७० वेगन की आर० आर० सम्बन्धित रजिस्टर में दर्ज नहीं है और ना ही स्टॉक रजिस्टर में दर्ज है ?

(४) क्या यह सही है कि राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट को कोयला प्राथमिकता से एवं रिबेट पर मिलता है ?

(५) उपरोक्त कोयला फर्स्ट डेजर्ट डिवीजन के एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर द्वारा किन किन कार्यों पर कहां कहां वितरित किया गया एवं इसका भुगतान किसने किया ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) यह आवश्यक नहीं।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप जो सूचना दे रहे हैं वह क्या जिम्मेदारी से दे रहे हैं? क्या ७० वेगन कोयला नहीं मंगाया गया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने सूचना सही दी है आपके प्रश्न के उत्तर में।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अगर ७० वेगन कोयला मंगाया गया हो तो?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो कुछ आपने पूछा है उसको पढ़ लें और जो मैंने उत्तर दिया है वह सही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उसमें लिखा है····एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर फर्स्ट डेज़र्ट डिवीजन द्वारा टाप प्रोयोरिटी के नाम पर ७० वेगन स्लेक कोयला मंगवाया गया? और आप कहते हैं कि नहीं मंगवाया गया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने यह नहीं कहा। आपने प्रश्न में यह पूछा है, "क्या यह सही है कि मई, १९६४ में एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर फर्स्ट डेजर्ट डिवीजन द्वारा टॉप प्रायोरिटी के नाम पर ७० वेगन स्लेक कोयला मगवाया गया?" मैंने कहा, 'जी नहीं'। मई के लिए पूछा तो मई छोड़कर सारे ६४ में नहीं मंगवाया गया। २-४ महीने पहले या बाद में गिन लें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जनवरी से लेकर....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यों तो १५ वर्ष हो गये राजस्थान केनाल को। किस साल में मंगवाया गया यह मालूम नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप इस सम्बन्ध में निश्चित कह दें। ७० वेगन ६४ में आये तो क्या करेंगे? कुछ आपकी और हमारी हो जाय। जांच कर लें।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री) : वह तो हो चुकी है हनुमानगढ़ में ; अब क्या बाकी है?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : वह तो कई दफा होगी।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : कोई ७० वेगन कोयला मंगाया है वह ५-१० लाख का कोयला है उसकी एन्ट्री नहीं हुई है। यह गलत है कि कोयला कतई नहीं मंगाया गया है। वैगन्स आयें हों तो क्या?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Don't misunderstand or misinterpret me. I have replied that in May, 1964 or in any month of the year, 1964, no seventy wagons were ever indented or received.

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : Thank you very much.

Page No. 16

प्रश्न संख्या ४६३

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४६४

श्री मनफूलसिंह ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत ।

देवगढ़ डिस्पेन्सरी

४६५ **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही कि दस हजार की आबादी वाले देवगढ़ कस्बे की डिस्पेन्सरी में पूरे औजार नहीं हैं ?

(२) क्या यह सही है कि वहां ब्लड प्रेशर नापने का इन्स्ट्रूमेंट तक नहीं है ?

(३) क्या यह सही है कि वहां मरीजों के लिए केवल चार बैड हैं और उन पर गद्दे तथा तकिये फटे हुए हैं ?

(४) क्या यह सही है कि आउटडोर में मरीज को देखने के पलंग पर गद्दा तक नहीं है ?

(५) यदि हां, तो क्यों ? इन कमियों की पूर्ति कब तक की जायगी ?

उप-मन्त्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी नहीं ।

(२) उक्त डिस्पेन्सरी में ब्लड प्रेशर इन्स्ट्रूमेंट था जो अब खराब हो गया है और दूसरे ब्लड प्रेशर इन्स्ट्रूमेंट के सप्लाई करने के आदेश दिये जा चुके हैं ।

(३) जी हां, उन पर तकिये एवं गद्दे फटे हुए नहीं हैं ।

(४) बहिरंग विभाग (आउटडोर) में मरीजों को देखने के वास्ते एक कोच उपलब्ध है जिस पर केवल दरी व सफेद चादर रखी जाती है ।

(५) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह ।

जनरल हॉस्पीटल, बारां

४६६. **श्री जुझारसिंह** (चेचट):— Will the Medical & Health Minister please state:—

(1) When would the new General Hospital at Baran be opened for public use ?

(2) Is It a fact that the Hospital Staff and the patients are reluctant to move to the new Hospital as the compvletion of electric fittings and pipe-line will still take a long time ?

(3) What are the reasons for delay in providing these essential amenities in this Hospital and what steps have been taken to complete them and by what time these lines' are expected to be laid by the Government.

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर उपलब्ध नहीं हो सकता है, इसलिए अगली टर्न पर इसका उत्तर दिया जायगा।

प्रश्न संख्या ५६७

श्री अध्यक्ष : श्री महेन्द्र सिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री विजयसिंह झाला।

आर. ए. एस तथा आई. ए. एस. अधिकारियों के विरुद्ध जांच

५६८. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान में स्थित कितने आर. ए. एस. तथा आई. ए. एस आॉफिसर्स के विरुद्ध भ्रष्टाचार विभाग में या संबंधित विभागों में जांच चल रही है?

श्री उप मन्त्री उद्योग (श्री चंदनमल वैद): १५ आर. ए. एस. अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार विभाग में जांच चल रही है और संबंधित विभागों में ३ आई. ए .एस. तथा ५४ आर .ए. एस. अधिकारियों के विरुद्ध जांच जारी है।

श्री विजयसिंह झाला : यह किस तरह की जांच है इसमें कुछ आप खास खास मुद्दे बता सकेंगे?

श्री अध्यक्ष : गोविन्दसिंह

श्री विजयसिंह झाला : एक प्रश्न और है। जिन अधिकारियों के विरुद्ध जांच चल रही है उनको जल्दी निपटाया जा सके इसके लिये सदाचार समिति के सुपुर्द किया जाय।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): माननीय सदस्य सदाचार समिति का विधान [illegible]।

श्री [illegible] झाला : एक ऑफिसर के [illegible] है और सुनवाई कई महीनों तक नहीं हो तो हम चाहते हैं कि जिन लोगों के विरुद्ध शिकायत है उनको जल्दी निपटाने की ओर कदम उठाना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी निपटे।

श्री विजयसिंह झाला : हमारी मन्शा तो आपको भी जल्दी से जल्दी निपटाने की है लेकिन चाहते हैं कि जिन आई० ए० एस० और आर० ए० एस० के खिलाफ मामले हैं वे जल्दी निपटाये जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपको मालूम होगा कि एन्टी-करप्शनवाले भी ऐसे मामलों को डील करते हैं और डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी कमिश्नर भी इसके लिये अलग हैं जो इन केसेज़ को डिस्पोज़ ऑफ करते हैं। हम खुद भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इन्क्वायरी समाप्त हो जाय लेकिन यह केवल सरकार की मन्शा पर डिपेन्ड नहीं करता है। कई बार ऑफिसर्स कसन्र्ड जवाब देते हैं उसमें भी देरी हो जाती है।

Page No. 18

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का मतलब सदाचार समिति से है क्या ?

श्री विजयसिंह झाला : एक ही तरीका इनओपरेटिव होने से सही जांच नहीं होती है इसलिये, क्या दूसरा उपाय भ्रष्टाचार मिटाने के लिये जिस तरह से चारों ओर कदम उठाये जा रहे हैं, उसी तरह से हमारे राजस्थान में भी जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, इसके लिये कोई उपाय किया जायगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय सदस्य को जानकारी होगी कि विजिलेन्स कमिश्नर इसके लिये इन्डिपेन्डेंटली मुकर्रर किया गया है होम मिनिस्ट्री के स्पेशल इन्स्ट्रक्शन्स के मुताबिक। उनके पास भी इस तरह के केसेज़ जाते हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : हमारे मुख्य मंत्रीजी भी इस प्रकार की शिकायतों की जानकारी करते रहें तो लोग भय खाते रहेंगे और शिकायतें कम होंगी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जानकारी किये बिना भी बहुत सी शिकायतें आती रहती हैं और आने के बाद विजिलेन्स कमिश्नर या दूसरे संबंधित व्यक्तियों के पास भेज दी जाती हैं और उन पर कार्यवाही की जाती है।

श्री विजयसिंह झाला : जिस प्रकार नंदाजी ने शिकायतें सुनने के लिये समय निश्चित किया है उसी प्रकार आप भी अफसरों के विरुद्ध शिकायतें सुनने के लिये समय निश्चित करें।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री): हम तो चौबीसों घंटों यही करते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : चिट नहीं लिखनी पड़े, कोई आदमी आकर शिकायत पेश कर सकता है ऐसा चौबीसों घंटों में एक घंटा रखें और बंगले के बाहर लॉन पर बैठ कर लोगों की शिकायतें सुनें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वहां भी तुरन्त आकर कमरे में घुस जाते हों ऐसी बात नहीं है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या कुछ आई. ए. एस. ऑफिसर्स ऐसे भी हैं जिनके खिलाफ जांच चल रही है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है ?

श्री अध्यक्ष : Order please। श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (वैर) : इसमें ऐसा है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बतलाया है कि जांच चल रही है; क्या सरकार ऐसा विश्वास दिला सकती है सदन को कि जिनके खिलाफ जांच चल रही है उनका स्पेसिफिक फैसला हो जायगा ? हमारे जिले के भी कुछ केसेज़ चल रहे हैं वहां पर्सन्स टेरोराइज़ होते हैं, कोई कदम नहीं उठा। कहीं विपरीत आचरण न हो जाय इसके लिए मुख्य मंत्रीजी को आश्वासन दिलाना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी आम तौर से ६ महीनों में कम्पलीट हो जाय इस बात का सर्कयूलर इश्यू किया

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

गया। जहां तक क्रिमिनल केसेज़ और दूसरे मैटर्स है उनमें समय अधिक लगता है।

श्री विजयसिंह झाला : डिपाटमेन्टल इन्क्वायरी जिनके विरुद्ध चल रही है उसमें ६ महीनों से ज्यादा नहीं लगना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसहाय।

मूंगफली की फसल का नुकसान

५६६. वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि गंगापुर पंचायत समिति ने ११ सौ टन सुपरफोस्फेट की मांग की थी और वह उसे समय पर नहीं दी जा सकी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि पंचायत समिति गंगापुर में पूरा स्टाफ नहीं होने के कारण यह कार्य समय पर नहीं हो सका था ?

(२) सम्बन्धित कृषि प्रसार अधिकारी के पास कितना स्टॉफ है ?

(३) क्या यह भी सही है कि इस क्षेत्र में दो साल से मूंगफली की फसल को कीड़ों के कारण भारी नुकसान होता रहा है और इसका कारण यह है कि कृषि प्रसार अधिकारी द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा सकता है ?

(४) भविष्य में सरकार इसके संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री कृषि (श्री भीमसिंह) : (१) जी हां। गंगापुर पंचायत समिति को सुपरफोस्फेट को ११०० टन की मांग गंगापुर कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी क्रयविक्रय संघ को पेश की गई थी। संघ में १००० टन खाद समय पर वहां भेजदिया था स्टॉक की कमी नहीं थी।

(२) कृषि प्रसार अधिकारी के पास इस समय स्वयं के अतिरिक्त एक बीज लिपिक है।

(३) गंगापुर पंचायत समिति क्षेत्र में पिछले वर्ष मूंगफली की फसल में वाइटग्रब नामक कीट से क्षति होने की सूचना प्राप्त हुई है। परन्तु यह सही नहीं है कि यह क्षति कृषि प्रसार अधिकारी द्वारा इस ओर ध्यान न दिये जाने के कारण हुई है।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : मंत्रीजी ने बताया कि गत वर्ष क्षति हुई। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि गत वर्ष जो क्षति हुई उससे १० गुणा इस वर्ष भी हुई है। गंगापुर आज तक मूंगफली के लिये हमारे यहां का प्रसिद्ध इलाका रहा है। इस वर्ष ६ आ. फसल को नुकसान हुआ। आज तक विभाग की ओर से किसानों को कोई जानकारी नहीं दी गई कि इस फसल को कैसे बचाया जा सकता है ? इसके कारण लाखों रुपयों का घाटा हो जायगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): हवाई जहाज से आ रहे हैं।

श्री भीमसिंह : माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं वह सही नहीं है। यह नया इन्सेक्ट

Page No. 20

(श्री भीमसिंह)

डिटेक्ट हुआ है। दूसरी स्टेट्स में भी यह डिटेक्ट नहीं हुआ था, हमारे प्लान्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर इसकी रिसर्च कर रहे हैं, इसको किस प्रकार नष्ट किया जा सकता है इसके डिटेक्स मालूम हो जायेंगे तभी लोगों को जानकारी दी जायगी और प्रचार किया जायगा।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय: यह चीज ३ वर्षों से चल रही है गत वर्ष ४ आ. नुकसान था उससे पहले २ आ. नुकसान था और इस वर्ष ६ आ. नुकसान है। कई अधिकारी एग्रीकल्चर विभाग के जाते हैं और देखकर वापिस आ जाते हैं, न कोई राय दी जाती है, न बचाने की कोशिश की जाती है।

श्री भीमसिंह : सेम्पल इन्सेक्ट्स लिये जा चुके हैं, रिसर्च भी किया जा चुका है लेकिन जब तक डेफिनिट रेमेडी का पता नहीं चलेगा तभी सूचना दी जा सकती है, काश्तकारों को गलत सूचना नहीं दी जा सकती।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): सबसे पहले बीमारी किस वर्ष डिटेक्ट हुई?

श्री भीमसिंह : यह बीमारी नहीं कीड़ा है। दो साल से मालूम हुआ। आस-पास की स्टेट्स में भी कहीं यह नहीं है। कहीं होता रेमेडी भी निकलती। अपने यहां रिसर्च कर रहे हैं कि यहां कैसे डेस्ट्रोय किया जाय।

श्री भैरोंसिंह : मैंने छोटी सी बात पूछी थी कि किस साल यह बीमारी शुरू हुई थी?

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : जब से धारा सभा बनी।

श्री भीमसिंह : ... डेट नहीं बता सकता।

श्री भैरोंसिंह : ईयर?

श्री भीमसिंह : सन् ६३ में।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार।

श्री दलपतसिंह (आबू) : जब ऐसे कीड़े पड़ जाते हैं और इनसे आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो एग्रीकल्चरिस्ट्स को हिदायत क्यों नहीं कर देते कि उस क्रोप को न बोकर वे दूसरी क्रोप को बोएं, दूसरी क्रोप का प्रोडक्शन करें।

श्री भीमसिंह : इतना ध्यान तो वे स्वयं रखते हैं। यदि कीड़े नुकसान करते हैं तो वे बोना बंद कर देते हैं, सरकार को कहने की आवश्यकता नहीं रहती।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : एग्रीकल्चरिस्ट खुद ध्यान रखते हैं जैसा कि मंत्रीजी ने कहा तो फिर एग्रीकल्चर विभाग को क्या कार्यवाही करने के लिए रखा गया है?

श्री भीमसिंह : इसको डेस्ट्रोय करने के लिए रिसर्च किया जाता है, लाइफसीज़ करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या आपने इस संबंध में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिसर्च इन्स्टीट्यूट की सहायता ली है? दो साल हो गये आपके स्पेशलिस्ट कीड़े खत्म करने के लिए दवाई नहीं ढूंढ सके, तो आपने भारत सरकार के रिसर्च इन्स्टीट्यूट की सहायता क्यों नहीं ली?

श्री भीमसिंह : जो नये कीड़े डिटेक्ट होते हैं उनकी इत्तला रिसर्च इन्स्टीट्यूट को जरूर दी जाती है। वे अपने तरीके से वर्क करते हैं और साइन्टिस्ट अपने तरीके से वर्क करते हैं। जब किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तभी इलाज हो सकता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने तीन चार क्रोप डेस्ट्रोय करा दीं।

श्री भीमसिंह : तीन चार साल नहीं हुए सन् ६३ में डिटेक्ट हुआ है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो दो साल तो क्रोप खराब हो गई ?

श्री भीमसिंह : It was only last

लास्ट ईयर, १९६४ में, हार्वेस्ट की हानि हुई है।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने गलत इन्फोर्मेशन दी है कि १९६२, १९६३ और १९६४ में सफाया हो गया है । छः आना, आठ आना नुकसान हुआ है। एग्रीकल्चर विभाग के आदमी वहां एग्ज़ामिन करने गये लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि हम दवाई भेज रहे हैं, इससे बीमारी समाप्त हो जायगी। कीड़ों को मारने के लिए दवा दी है, उसके बाद किसानों ने फसल बोई है। एग्रीकल्चर विभाग से जो दवा गई थी कि इस दवाई के डालने के बाद नुकसान नहीं होगा वह दवा छिड़की गई है और उससे नुकसान हुआ है।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार।

कमान्डेड एरिया में भूमि का एलॉटमेंट

५७०. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि सतखन्डा, रावलिया, कावलिया, उखेलिया, टाई, सुंथड़ा, शम्भुपुरा, मायला, गलून्ड, घाटियावली, आदि ग्रामों में, जो गम्भीरी तथा मूर्लिया प्रोजेक्ट के कमान्डेड एरिया में हैं, अभी तक भूमि एलॉटमेंट नहीं किया गया है ?

(२) क्या सरकार को इस प्रकार भूमि एलॉट न करने से हजारों रुपयों का नुकसान होता है ?

(३) ऐसी गैर एलॉट शुदा भूमि कमान्डेड एरिया में कितनी है और उसे कब तक और कितने किसानों में बांट दी जायगी ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : १) ज ह

(२) जी हां। लैन्ड रेवेन्यू का नुकसान है एवं कमान्ड एरिया की भूमि पर जो प्रिमियम कायम होकर वसूल हो सकता है वह भूमि का एलॉटमेंट होने के वक्त ही कायम होगा।

(३) ऐसी जमीन तहसील चित्तौड़गढ़ के गांवों में १०६२१ बीघा व तहसील निम्बाहेड़ा के गांवों में १४३२ बीघा है।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

इसका एलॉटमेंट आयन्दा वर्षा ऋतु के पहिले पहिले करने की कार्यवाही की जा रही हैं।

श्री अब्दुलजब्बार : यह एलॉट किस आधार पर किया जायगा, आया ऑक्शन होगा या एलॉटमेंट कमेटी के द्वारा होगा?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : फिक्स रेट्स। निर्धारित प्र इस पर।

श्री अब्दुलजब्बार : मेरा मकसद है कि आप लैंडलैस को देंगे या केपिटलिस्ट्स को, जिसके पास हजारों की भूमि है, दी जायगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नियमों के अन्तर्गत दी जायगी।

प्रश्न संख्या ५७१

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री जोधसिंह।

पिग आइरन प्लान्ट के लिए भूमि की अवाप्ति

५७२. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि गिरवा क्षेत्र में पिग आइरन प्लान्ट के लिए जो भूमि अवाप्त की जा रही है वह खेती के काम आ रही है?

(२) क्या यह सही है कि इस प्रयोजन के लिए सज्जनगढ़ और उदयपुर के आस-पास की जंगलात की भूमि उपलब्ध की जा सकती है?

(३) इस प्लान्ट के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता है और इसके लिये अवाप्त की जाने वाली भूमि में कितने किसानों की भूमि आयेगी?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) :

(१) जी नहीं। पिग आइरन प्लांट के लिये जो भूमि अवाप्त की जा रही है उसका केवल कुछ भाग ही खेती के काम आ रहा है।

(२) तकनी की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ही पिग आइरन प्लांग के लिए भूमि का चयन किया गया है। अतः सज्जनगढ़ व उदयपुर के आस पास की जंगलात की भूमि उपलब्ध करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) कम्पनी की आवश्कता देखते हुए १५८६।। बीघा भूमि अवाप्त की जा रही है। इसमें ८८ किसानों की भूमि आयेगी।

प्रश्न संख्या ५७३

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनराज।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री चतुर्भुज उपाध्याय।

बगत सागर तालाब की मरम्मत

५७४. श्री चतुर्भुज (चित्तौड़गढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या तहसील गंगरार में बगत सागर तालाब सिंचाई विभाग के अधीन है? अगर हां, तो कब से और इसकी वार्षिक आय क्या है?

(२) क्या यह सही कि इस तालाब की पाल जीर्ण-अवस्था में है और उसकी मरम्मत की आवश्यकता है?

(३) क्या यह सही है कि स्थानीय जनता द्वारा इसके लिये प्रार्थना किये जाने पर भी

(श्री चतुर्भुज उपाध्याय)

अब तक इसकी मरम्मत नहीं हुई है ? अगर हां, तो कब तक हो जायेगी ?

उप-मंत्री, सिंचाई : (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां, सन् ५७-५८ से वार्षिक आय लगभग ४८०) है।

(२) जी हां।

(३) आवश्यक मरम्मत जनता से अर्जी आने से पहले ही करवा दी गई थी।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या कह दिया ?

श्री अध्यक्ष : तालाब से सिंचाई कितनी होती है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ४००) रुपये की आय हो जाती है।

श्री विजयसिंह झाला : उप-मंत्रीजी जा रहे हैं, इसलिए घबराये हुए है। इतने घबराये हुए क्यों हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ बिश्नोई।

बाढ़ पीड़ितों को सहायता--तहसील फलौदी

४७५. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सच है कि माह जुलाई, ६४ में फलौदी तहसील में अतिवृष्टि के कारण बाढ़ आने से कुछ जगह काफी नुकसान हुआ ? अगर हां, तो कहां कहां कितना कितना नुकसान हुआ ? क्या 'बाप' के 'रिण क्षेत्र' में नमक का कोई विशेष नुकसान हुआ ? सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ित लोगों को क्या क्या राहत प्रदान की गई ?

(२) भविष्य में 'रिण क्षेत्र' में नमक व नमक के कुओं की हानि अधिक वर्षा रोकने के लिए क्या सरकार कोई विशेष योजना बनाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो वह योजना क्या होगी और उस पर क्या खर्चा होगा ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी यह सही है। १२ जुलाई, ६४ को भयंकर वर्षा होने के कारण फलौदी तथा खीचन गांव में अधिक हानि हुई, फलौदी खास में १,२०,००० रुपये तथा खीचन में २०,००० रु० की हानि का अनुमान लगाया गया है। 'बाप' के 'रिण क्षेत्र' में नमक तथा नमक की बोरी पानी से भर गई और नमक उत्पादक संघ के अनुसार करीब ५ से १० लाख तक की हानि हुई है। बाढ़ पीड़ितों को खाने को धान तथा कपड़े दिये गये और ५,००० रु० फलौदी के लिए तथा ८०० रु० ग्राम खींचन के लिए स्वीकृत किये गये।

(२) जी हां। इस विषय में टेक्निकल व्यक्तियों द्वारा योजना बनाई जा रही है और योजना बनाने के पश्चात् ही खर्च का मालूम पड़ सकता है। संचालक, उद्योग विभाग ने दिनांक ५-८-६४ को इसका निरीक्षण किया है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जो मकान बह गये थे उनके लिए क्या राहत दी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने आपको बताया कि ५,०००, और ८०० दोनों जगह के लिए स्वीकार किये गये। यह बात दूसरी है कि जो मकान गिर गये थे, उनके लिए पूरी हेल्प नहीं हो और वह पोसिबल भी नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इतनी रकम का नुकसान होते हुए भी इतनी कम रकम देना आप पर्याप्त समझते हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाड़दार।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : फलौदी में बाढ़ से नुकसान इस साल हुआ है पहले कभी नहीं हुआ है। आगे ऐसा न हो उसका उपाय किया जायगा ? 'आप' के 'रिग क्षेत्र' में नुकसान हुआ इसलिए कि वहां स्टॉक्स पड़े हुए थे। आगे भविष्य में स्टॉक्स दूसरी जगह रखने की हिदायत दी गई ताकि दूसरी जगह स्टॉक्स रखे जायं और नुकसान नहीं हो।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हमेशा तो बाढ़ का काम पड़ा नहीं है। इस बार आई है। आयन्दा के लिए व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ जो नुकसान हुआ है उसके लिए विचार किया जा रहा है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : भविष्य में नुकसान नहीं हो, इसके लिए क्या योजना बनाई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : विभाग इस मामले में सर्वे कर रहा है और किस प्रकार उचित व्यवस्था की जाय, इसके लिए सर्वे करने के बाद जो रिपोर्ट आयगी उसके अनुसार कार्यवाही की जायगी।

प्रश्न संख्या ५७६

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाड़दार।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री श्रवणलाल।

चीनी का कोटा, जिला सवाई, माधोपुर

५७७. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में प्रत्येक जिले में माहवारी कितनी चीनी दी जा रही है ? कृपया सूची सदन के समक्ष रखें।

(२) क्या प्रत्येक जिले में अलग मात्रा में चीनी दी जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह सच है कि और जिलों की तुलना में जिला सवाई, माधोपुर को बहुत कम कोटा दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों और जिला सवाई, माधोपुर को अधिक चीनी देने के बारे में सरकार क्या सोच रही है ?

उप-मंत्री, खाद्य (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) वांछित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां, आबादी के कम व अधिक होने कारण।

(३) जी नहीं, प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(श्री मती कमला बेनीवाल)

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री श्रवणलाल : आपने अक्टूबर महीने के लिए बतलाया है, इसमें सबसे कम होने का क्या कारण है ?

वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : क्या चीनी का वितरण आबादी के लिहाज से होता है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : वापिस बोलिए, समझ में नहीं आया ।

श्री श्रवणलाल : अक्टूबर के महीने के लिए बतलाया है इसमें सबसे कम होने का क्या कारण है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने आपको बतलाया कि जो चीनी की मात्रा उपलब्ध होती है उसके अनुसार, पॉपूलेशन बेसिस के ऊपर हर डिस्ट्रिक्ट को चीनी वितरित की जाती है ।

श्री श्रवणलाल : मेरा मतलब है कि अगस्त में बतलाया है २७६, सितम्बर में बतलाया है २७९ और अक्टूबर में १४४ रह गया ; इसका क्या कारण है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : चीनी की मात्रा की कमी का कारण है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : प्रत्येक व्यक्ति कितनी चीनी दी जाती है ? किस आधार पर, पॉपूलेशन बेसिस या किसी और आधार पर चीनी का वितरण होता है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : वापिस कहें ।

श्री भैरोंसिंह : एक आदमी को कितनी चीनी मिलनी चाहिए, आप किस आधार पर चीनी का वितरण करते है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : वैसे आम तौर पर अर्बन एरिया में एक किलो ग्राम पर-हैड और रूरल एरिया में एक किलो ग्राम पर-फेमिली देते हैं । वैसे चीनी की मात्रा अधिक उपलब्ध होती है तो अधिक दे देते हैं और कम होती है तो कम दे देते हैं ।

श्री श्रवणलाल : शहरों के लिए एक किलो पर-हैड और रूरल एरिया के लिए एक किलो पर-फेमिली देना क्या उचित है ? क्या यह समाजवाद है ?

श्री अध्यक्ष : श्री मनफूलसिंह ।

श्री रामकिशन (वैर) : पिछले सदन में आपने आश्वासन दिया था....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : Order please ! बहस करनी है तो बहस के समय करें । अभी तो प्रश्न पूछें ।

श्री रामकिशन : कि ग्राम और शहरों में चीनी का वितरण समान होगा । उस आश्वासन को क्या आप भूल गईं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : सरकार भूली नहीं है, प्रश्न विचाराधीन है।

श्री रामकिशन : विचाराधीन होने जैसा कौनसा मामला है ? उस समय कहा कि गांव वाले गुड़ खाते हैं, इसलिए चीनी कम दी है। अब गुड़ पर कंट्रोल नहीं है तो गुड़ गांव और शहर वाले दोनों खरीद सकते हैं। नये स्केल के अनुसार, क्या आप इस स्थिति में नहीं हैं कि तुरन्त व्यवहार में लाये जायें ?

(विराम)

क्या हो गया ?

श्री अध्यक्ष : सरकार के विचाराधीन है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह गांव और शहरों का अन्तर दूर होगा या नहीं ? गांव और शहरों में पांच गुना अन्तर है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, तीन-चार सदस्य एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक एक सदस्य खड़ा हो तो मेरी समझ में भी आए।

श्री हीराभाई (कुशलगढ) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी जवाब दें तो ठीक है। रहन-सहन में अन्तर हो तो एक बात है, खुराक में अन्तर रखा जाय, तो ठीक नहीं है। समाजवाद में बराबर रहन-सहन करने जा रहे हैं तो यह खुराक में इतना अन्तर क्यों है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : चीनी खुराक नहीं है, इसलिए भेदभाव रखा है। खुराक के अन्दर अन्तर नहीं है। चाय और मिठाई खाने के अन्दर हम समझते हैं कि गांव के लोग चाय कम पीते हैं इसलिए कम रखा है। अगर अब चाय और मिठाई में उपयोग किया जाता है चीनी का तो विचार किया जा सकता है।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा उप मन्त्राणी ने बताया, हमारे यहां सवाई माधोपुर के लिये ७५ पर-मन्थ का कोटा था उसको भी आपने कम करके १४४ रख दिया है। लोगों को एक किलो चीनी कभी भी नहीं मिलती है। खादी धारी लोग उनकी चीनी को हड़प जाते हैं। लोगों को ६—६ महीनों तक एक किलो तो दूर रहा एक ग्राम शक्कर भी नहीं मिली है। आगे दीपावली आने वाली है। इस अवसर पर लोगों को शक्कर की जरूरत है। आप शहरी जनता के लिये एक किलो शक्कर दे रहे हैं और वहां पर आप जो शक्कर देते हैं वह नहीं के बराबर है। उन लोगों को दीपावली के अवसर पर एक किलो शक्कर पर व्यक्ति दिये जाने के लिये आप घोषणा करावें और इसके लिये मैं कोशिश करूंगा।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, सब स्थानों पर व्यवस्था की जावेगी। आपने जैसा कहा कि एक ग्राम भी चीनी लोगों को नहीं मिली है, यह विशेष स्थान आप बतावें तो मैं उसकी जानकारी करने की कोशिश करूंगी। वैसे तो सभी स्थानों पर व्यवस्था है।

श्री भैरोंसिंह : क्या उप मंत्राणी बतावेंगी कि दीपावली के त्यौहार पर चीनी देने में किसी विशेष चीनी को देने की व्यवस्था की जावेगी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : प्रत्येक त्योहार पर दी जाती है वैसे इस वक्त भी वह दी जावेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५७८

श्री मनफूलसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

पुल निर्माण

५७९. श्री जुझारसिंह (चेचट) : Will the Irrigation Minister please state :—

1. Is it a fact the cart track from village Gudla to Kherli in Tehsil Sangod has been obstructed and rendered useless by digging of a channel across it to let out the seepage water of the Right Main Canal of Chambal and that no bridge has been provided to make it serviceable again ?

2. By what time the Government would be able to put up the bridge to make this track useful ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां।

(२) १५ नवम्बर, सन् ६४ तक पुलिया बना दिया जायेगी।

श्री जुझारसिंह : जिसको आपने बन्द किया है उसको साल भर हो गया है। यह डिले क्यों होती है ? किसी तरह से सीपेज ऑफ वाटर को निकालने का सवाल है यह तो ठीक है, मगर पुलिया बनाने में देर क्यों होती है ? ऐसा दूसरी बहुत सी जगह पर भी है, वहां पर भी इस प्रकार का प्रबन्ध किया जाना चाहिये।

श्री दौलतराम सारण : आपका सुझाव माकूल है, इस पर ध्यान दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

बंध मोरेल, जिला संवाई माधोपुर से सिंचित भूमि की उपज शक्ति

५८०. वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बंध मोरेल, जिला सवाई-माधोपुर से सिंचित भूमि में अधिकतर क्षार उत्पन्न हो गया है जिसके कारण उपज शक्ति नष्ट होती जा रही है ? यदि हां, तो उसकी रोकथाम के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : जी हां। मोरेल बन्ध से सिंचित भूमि के कुछ क्षेत्रों में क्षार उत्पन्न हुआ है। इसकी रोकथाम के लिये कृषि विभाग के केमिस्ट द्वारा कमान्डेड एरिया की सोइल सर्वे करवाई गई है एवं उसके द्वारा इस विषय पर की गई सिफारिशों के अनुसार ही कार्य किया जावेगा।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : इससे कितना इलाका एफेक्टेड हो सकता है ?

श्री दिनेशराय डांगी : ४०० एकड़ में है।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : कितने अर्से से क्षार उत्पन्न होने लग गया है और आपने कब से जांच शुरू की है ?

श्री दिनेशराय डांगी : इसकी जांच करा ली है और आदेश दे दिये गये है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसी प्रकार का प्रश्न इन्हीं के द्वारा १४-८-६४ को लाया गया था। उसका उत्तर दिया गया था। फिर भी मैं इस प्रश्न की जानकारी देता हूं।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : आपने जो फीगर्स दिये हैं वे गलत हैं। गांव के गांव इससे इफेक्टेड हो रहे हैं। मैं गांव गांव में जा कर देख कर आया हूं। लोग कहते हैं कि हमें नहर नहीं चाहिये क्योंकि इससे जमीन में क्षार पैदा हो जाता है। माननीय मन्त्री को मालूम नहीं। अगर फौरन कार्यवाही नहीं की गई तो लाखों मन धान का नुकसान हो जावेगा।

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं ने बंध देखा है। उनका कहना कि जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी है। ४१ परसेन्ट क्षार है। मगर जिस जिस भाग में क्षार पैदा हो गया है वहां पर वाटर लेवल को कम करना और गहरी खाद देना शुरू होने से यह समस्या हल हो जावेगी।

श्री दलपतसिंह (आबू) : आपने जमीन को नहीं देखा है। सोइल का एनेलिसिस नहीं कराया है।

श्री दिनेशराय डांगी : सोइल कन्ज़र्वेशन नहीं है। सोइल की जांच करवाई गई है, इसके लिये अलग विभाग है।

श्री दलपतसिंह : क्या आपने एग्रीकल्चर विभाग से पूछा है ?

श्री दिनेशराय डांगी : सोइल की जांच कराई है।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : क्षार उत्पन्न होने का क्या कारण है ? क्या पानी खारी है ? क्या आपने कृषि विभाग से जांच कराई है ?

श्री दिनेशराय डांगी : कृषि विभाग का इससे क्या ताल्लुक है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : इस जमीन में कलर, क्षार पैदा होता है। आपने जैसे कीकर के पेड़ कहीं आ जाते हैं जिनमें क्षार होता हैं, क्या वे वहां पाये या नहीं और उस जमीन का एनेलिसिस करवाया गया या नहीं ताकि आपको मालूम हो जावे कि क्षार कैसे पैदा होता है ?

श्री दिनेशराय डांगी : माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्षार पैदा हो गया है उसकी रोकथाम के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : देखना यह है कि क्षार क्यों पैदा हो रहा है ?

श्री दिनेशराय डांगी : एग्रीकल्चर केमिस्ट्स की रिपोर्ट पानी के लेवल को कम करना और दूसरी बात यह कि दो-तीन इन्च पानी देना और राइस और व्हीट व दूसरी तरह की खेती जो वे कभी से करते आये है उसको रोकना पड़ेगा और दूसरा काम करना पड़ेगा।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : माननीय मन्त्री के आंकड़े गलत आते हैं इसलिये मैं अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि शासन इस सम्बन्ध में कोई आदेश दे कि इस प्रकार गलत आंकड़े नहीं दिये जावें। मैं गांव में गया हूं। १० हजार एकड़ से कम भूमि नहीं है और आप बताते है कि ४०० एकड़।

श्री दिनेशराय डांगी : अगर आप कहते है कि ४०० एकड़ से ज्यादा भूमि है तो इसके लिये जांच करा सकता हूँ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। श्री शंकरलाल।

स्थगित प्रश्न

(२०-८-६४)

प्लॉट्स का वितरण

३७६. **श्री शंकरलाल** (सादडी) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि अध्यक्ष नगर-पालिका, बडी सादड़ी द्वारा अवैधानिक तरीके से दिये गये प्लॉट्स-सम्बन्धी प्रश्न दिनांक ११.६.६३ को पूछा गया था उसके उत्तर के अनुसार अध्यक्ष द्वारा प्लॉट्स अवैधानिक तरीके से दिये हैं और कम कीमत में दिये गये हैं और यह कहा गया था कि इस मामले की पूरी तरह से जांच करवाई जायगी और सूचना सदन को प्राप्त होगी ? यदि हां, तो अब तक उक्त विषय में क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : जी हां, प्रश्न दिनांक ११.६.६३ को पूछा गया था। अध्यक्ष, नगरपालिका, बड़ी सादड़ी द्वारा जो नियम विरुद्ध (सम्बन्धित एस. डी. ओ. की अनुपस्थिति में) प्लॉटस का विक्रय (नीलाम) निर्धारित दर पर किया गया उसके लिये सम्बन्धित एस.-डी. ओ. से जांच करवाई जा चुकी है। जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त हुई। आगे की कार्यवाही विचाराधीन है।

स्थगित-प्रश्न

(२२-१०-६४)

हसनपुरा कच्ची बस्ती, जयपुर

२३९. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जयपुर म्युनिसिपल वार्ड नं० ३४ में हसनपुरा की कच्ची बस्ती को बसाने की योजना १९६१ में अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड द्वारा बनाई गई थी, तथा मंजूरी के लिये सरकार के पास भेज दी गई थी।

(२ क्या यह सही है कि इस बस्ती के दक्षिण में स्थित बॉल बियरिंग फैक्ट्री (एन.

Page No. 30

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

ई. आई.) के मालिकों ने इस बस्ती की भूमि की मांग एक फाउण्डरी लगाने के लिये की ?

(३) क्या यह सही है कि अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड द्वारा भेजी गई स्कीम को स्वीकृति उपरोक्त उद्योगपतियों की मांग के कारण रोक दी गई ?

(४) क्या यह सही है कि हसनपुरा बस्ती का एक हिस्सा फैक्ट्री को दे भी दिया गया तथा बाकी के प्लॉट्स देने की योजना चल रही है ?

(५) क्या यह सही है कि इससे सैकड़ों मजदूरों के मकान नष्ट हो जायेंगे ?

उप-मन्त्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां। १९६३ में सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेजी गई।

(२) जी हां। बॉल बियरिंग फैक्ट्री ने विस्तार हेतु भूमि की मांग की थी।

(३) जी हां। बाल बियरिंग फैक्ट्री की मांग के कारण योजना रोक दी गई।

(४) जी हां। अवाप्त की हुई भूमि का एक हिस्सा दिया गया है। बाकी प्लॉट्स देने की कोई योजना नहीं है।

(५) जी नहीं। कुछ प्लॉटों पर असर पड़ेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मजदूरों के ४००–५०० घर उजाड़ कर यह भूमि बॉल बियरिंग फैक्ट्री को दी जा रही है। आपकी एप्रूव्ड स्कीम है उसको ठोकर मार कर यह भूमि बॉल बियरिंग को दी जा रही है।

श्री परसराम मदेरणा : यह एप्रूव्ड स्कीम नहीं है। यह इन्डिविजुअल की जमीन थी। इसका कुछ हिस्सा उनको दिया गया है। इसको जयपुर नगर विकास के लिए प्राप्त की गई थी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने इस जमीन को एलॉट करके जमीन के प्लॉट्स कटे और यह आपके पास स्कीम को फाइनेलाइज़ करने के लिये भेजी गई। आज वह ३ वर्षों के बाद बिड़ला को एलॉट करते हैं। उसके प्लॉट्स अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड ने काटे हैं। वहां पर मजदूर बसते हैं। आपको बिड़ला को यह जमीन देने में क्या जस्टीफिकेशन है ?

(१२–०० मध्यान्ह)

श्री परसराम मदेरणा : जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया यह जमीन मजदूरों को एलॉट नहीं की गई। अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक्ट की धारा ३२ के अन्तर्गत गवर्नमेंट के पास स्कीम भेजे वह गजट में पब्लिश होती है। ३८ के नीचे गवर्नमेंट फाइनल सैंक्शन देती है। जब तक वह गजट में पब्लिश नहीं हो उपरोक्त सेक्शन के नीचे तब तक वह स्कीम सैंक्शन नहीं समझी जाती। अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने जो स्कीम तैयार करके गवर्नमेंट के पास भेजी उसे गवर्नमेंट ने मोडीफाई करने के लिये ट्रस्ट को वापिस

Page No. 31

(श्री परसराम मदेरणा)

भेजा कि इन्डस्ट्रियल एक्स्पेन्शन इस एरिया में होना चाहिये । इसलिये इस जमीन में से नेशल इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्री को १८-१६ बीघा दे दी जाय बाकी के लिये दूसरी स्कीम प्रस्तुत करें ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस समय इस लैंड को एक्वायर किया गया था, पब्लिक पर्पज़ के लिये किया गया था और पब्लिक पर्पज़ की एक्स्प्लेनेशन यह निकाली थी कि इस जमीन पर मजदूरों को बसाना है ?

श्री परसराम मदेरणा : इस प्रकार का प्रिलिमिनरी सेक्शन ४ के नीचे नहीं लिखा गया था, उसमें यह लिखा था, फोर दी प्लान डेवलपमेंट ऑफ सिटी । प्लान डेवलपमेंट स्कीम तैयार करते हैं या तो मार्केट के लिये करते हैं, या स्कूल्स के लिये या इन्डस्ट्रीज़ के लिये करते हैं, रेज़िडेन्शियल पर्पज़ के लिये नहीं ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि इस प्लान डेवलपमेंट के लिये इस जमीन को एक्वायर करने का नोटिस अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्कीम को देख कर ही दिया गया था ?

श्री परसराम मदेरणा : अर्बनइम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने गवनमेन्ट को रिक्वेस्ट की थी । प्रिलिमिनरी नोटिस एक्वायर करने का दिया था पर उस समय तक स्कीम नहीं बनी थी । जमीन एक्वायर होने के बाद अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने गवर्नमेंट को स्कीम भेजी । गवर्नमेंट को पॉवर्स प्राप्त हैं उनके अनुसार गवर्नमेंट ने उस स्कीम को एप्रूव नहीं किया ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने गवर्नमेंट को स्कीम भेजी और गवर्नमेंट ने सेंक्शन की उसमें इन्डस्ट्रियल एरिया के लिये कुछ जमीन देनी पड़ेगी, इसका संकेत नहीं किया गया ।

श्री परसराम मदेरणा : अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के द्वारा संकेत करने का प्रश्न पैदा नहीं होता । उन्होंने प्लॉन डेवलपमेंट के लिये भेजा था कि हम एक स्कीम बनायेंगे पर हुआ यह कि एक तरफ अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने रेज़िडेन्शियल पर्पज़ के लिये स्कीम भेजी, दूसरी तरफ इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट ने कहा कि इसे इन्डस्ट्रियल एरिया घोषित किया जाय । सेक्शन ४ का नोटिस इश्यू हो गया फिर फाइनली गवर्नमेंट के पास आये उस समय तक पज़ेशन नहीं लिया गया था इसलिये इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के इनीशियेटिव पर कि एक फाउन्डरी लगानी है, ५ करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, पांच सौ, छः सौ लोगों को एम्प्लोयमेंट मिलेगा इसलिये यह जमीन फाउन्डरी के लिये अलॉट की गई ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या यह सही है कि नेशनल बाल बियरिंग कम्पनी के पास काफी जमीन फाउन्डरी लगाने के लिये पहले से ही मौजूद है ?

श्री परसराम मदेरणा : आप जो कह रहे है, सही नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप एग्ज़ामिन कर लीजिये, काफी जमीन है, उनकी बाउन्डरी में मौजूद है, जहां एक नहीं दो फाउन्डरीज़ लग सकती हैं।

मेरा एक सप्लीमेंटरी और है। हसनपुरा के मजदूरों सेंक्शन न करके इन्डस्ट्री के लिये सेक्शन किया जाय यह निर्णय लेने में कितना अर्सा लगा ?

श्री परसराम मदेरणा : ६३ में हमारे पास स्कीम बना कर भेजी पर ६ महीने के अन्दर सेक्शन ३८ के अन्तर्गत नोटिस इश्यू नहीं होता है वह स्कीम अपने आप लेप्स हो जाती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ६१ में आपके पास स्कीम भेजी है और ६४ में आपने डिसीज़न लिया है कि इन्डस्ट्री की फाउन्डरी लगेगी। You have clearly taken three years.

श्री परसराम मदेरणा : मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये एडीशनल इन्फोर्मेशन देना चाहता हूं। यह हसनपुरा की बस्ती के लिये थी, मजदूरों का तो नाम खामोख्वाह घसीट रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हसनपुरा की कच्ची बस्ती के लिये यू.आई.बी. ने ६१ में स्कीम भेजी, वह कच्ची बस्ती मजदूरों की बस्ती है और आपका इन्डस्ट्रीज़ के लिये देने का ऑर्डर ६४ में हुआ।

श्री परसराम मदेरणा : एक्सक्लुजिवली मजदूरों के लिये बनाई हो, यह बात नहीं है कच्ची बस्ती में रहने वालों के रीसेटलमेंट के लिये बनाई थी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने ईयर मार्क नहीं किया था कि कुछ जमीन इन्डीस्ट्रियल एरिया को दी जाय ?

श्री परसराम मदेरणा : सही है। इन्डस्ट्रियल एरिया को जमीन दी जाय, यह ईयर मार्क नहीं किया था, पर ट्रस्ट की प्रोप्राइटरी में पूरा विश्वास कर लिया जाय तो गवर्नमेंट को सदन द्वारा जो पॉवर्स दिये हैं कि फाइनल ऑथोरिटी गवर्नमेंट के पास रहेगी वह किस लिये है ? गवर्नमेंट ने उचित समझा कि कुछ जमीन इस स्कीम में से इन्डस्ट्रियल फाउन्ड्री लगाने के लिए जमीन दी जाय, और अपने इस पॉवर को इस्तेमाल करके अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को कहा कि स्कीम को इस दृष्टि से मोडिफाई करके भेजे।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस प्रकार का डिसीज़न लिया गया था कि अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट अपनी स्कीम को अपने आप फाइनल दे सकता है and the decision was conveyed.

श्री परसराम मदेरणा : डिसीज़न यह लिया गया कि गवर्नमेंट के पास स्कीम सेंक्शन होने में देरी हो जाती है, वह देरी नहीं होनी चाहिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि टाउन प्लानिंग के बारे में कुछ

Page No. 33

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

फण्डामेंट उसूल हैं, जिनमें टाउन ठीक बने; इसीलिए इन्डस्ट्रीज़ के लिये एरिया मार्क्ड होता है कि इन्डस्ट्रीज़ के कारण हाईजनिक कन्डीशन्स खराब न हो जायं, लोगों में बीमारियां न फैलने पायें, बस्तियों में एयर का कन्टेमिनेशन नहीं करें। उन उसूलों को ताक पर रख कर जमीन इन्डस्ट्रीज़ को दी जाती हैं तो क्या आप इस तरह सारे शहर को खराब नहीं कर रहे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : जयपुर का मास्टर प्लान तैयार हो गया है। यह इन्डस्ट्रीयल एरिया घोषित हो, इसके लिए बराबर कलेक्टर की चिट्ठियां आ रही हैं, इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट की ओर से बराबर कहा जा रहा है कि यह इन्डस्ट्रीयल एरिया घोषित हो जाये। इसलिये गवर्नमेंट ने अर्बन इम्प्रूवमेंट की ट्रस्ट की स्कीम को एक्सेप्ट नहीं किया।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : मैंने क्वेश्चन किया उसका जवाब दीजिये, टाउन प्लानर्स की एक्स्पर्ट टेक्नीकल ओपिनियन है उसके खिलाफ आप कैसे कर सकते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : फंडामेंटल तो आप समझ लीजिये। जहां एक इन्डस्ट्री लगी हुई है, उसका एक्सटेन्शन होने जा रहा है वहां रेज़िडेन्शियल पर्पज के लिये लैंड अलॉट करना अनहाइजनिक नहीं होगा क्या ? इन्डस्ट्रीज के लिए एक एरिया हो इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता, यह एशिया की सबसे बड़ी इन्डस्ट्री है, इसमें ५ करोड़ रुपया लगा हुआ है, गवर्नमेंट के पास दूसरा कोई ऑल्टर्नेटिव नहीं था, फोरिन एक्सचेन्ज से मशीनें आने वाली थीं, इसलिये गवर्नमेंट ने इजाजत दी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप जिस चीज को, जिस पब्लिक इन्ट्रेस्ट को हमें समझाते हैं वही टाउन प्लानर्स को समझने में क्या सरकार फेल रही है ?

श्री परसराम मदेरणा : टाउन प्लानर्स के समझने से मतलब नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जो ट्रस्ट नॉमीनेटेड है उसके प्लानर्स और सरकार के प्लानर्स उनको, जो आपको हमने पब्लिक इन्टरेस्ट समझा दिया, उनको समझाया या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : कितनी एरिया ईयर मार्क्ड की जाय यह फैक्ट उसके सामने है। सरकार ने भी ट्रस्ट का ध्यान आकर्षित किया है। इसको इंडस्ट्रियल एरिया करार देने के लिए इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट और कलेक्टर साहब को लिखा गया है कि टाउन प्लानिंग और ट्रस्ट दोनों मिल कर इस प्रकार की स्कीम बनाएं जो प्लॉन्ड तरीके से बढ़े।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने मेरे प्रश्न के उत्तर में यह कहा कि कुछ हिस्सा उन्होंने लिया और बाकी हिस्सा लेने का इरादा नहीं है और आपके उत्तर में यह भी स्पष्ट आया कि यह योजना सन् १९६१ में यू. आई. बी. के द्वारा भेज दी गई। उस वक्त तक बॉल बियरिंग फैक्टरी की कोई डिमांड नहीं थी और चूंकि आपके यहां इस बस्ती की प्लॉन सैंक्शन होने के लिए पड़ी रही १९६३ तक और इसके बाद आपने उनको फाउंडरी के लिए जमीन दे दी। उनके पास फाउंडरी के लिए काफी जमीन है। उन्होंने

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

जब यह फैक्टरी लगाई स्टेट के समय उस वक्त ही बिड़लाजी ने फाउंडरी के लिए जमीन रख छोड़ी थी। अपना सवाल तो सिर्फ यह है कि जो कच्ची बस्तियों के लोग लम्बे समय से रहे रहे हैं उनके हिस्से की जमीन, जिसके लिए यू. आई. बी. ने प्लॉन बनाकर भेजा है, उनको बिड़लाजी छीन रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर आ चुका है ।

श्री परसराम मदेरणा : फैक्चुअल पॉइंट्स पर स्थिति सही नहीं है। डाइरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने एक नोटीफिकेशन लैंड को एक्वायर करने का १९५९ में, जब इश्यू खड़ा हुआ था, पब्लिश हुआ, लेकिन वह डिफेक्टिव था इसलिए विद्ड्रॉ किया। फिर सेक्शन ४ के नीचे २९–९–६० को नोटीफिकेशन पब्लिश हुआ कि हम इस जमीन को एक्वायर करना चाहते हैं। इसलिए यह कह देना आपका सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिए कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

मवेशियों से चराई की वसूली, तहसील बड़ी सादड़ी

५५८. श्री शंकर लाल (सादड़ी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील बड़ी सादड़ी के ग्राम लिकोड़ा, बोरखेड़ा रतीचन्द जी का खेड़ा, सेमल खेड़ा, गाजन देवी, लक्ष्मीपुरा, मां-साहब का खेड़ा, जाटों का खेड़ा व पुला मगर में जिस चरणोट की भूमि पर इन गांवों के मवेशी अब तक चरते रहे हैं उस भूमि पर राज राणा बड़ी सादड़ी ने यह कह कर कब्जा कर लिया है कि वह भूमि उनकी निजी सम्पत्ति है और मवेशियों को चरने से रोक दिया है ?

(२) क्या यह भी सही है कि राजराणा, बड़ी सादड़ी इस भूमि पर चरने वाले मवेशियों के मालिकों से चराई भी वसूल करने लगे हैं ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार मवेशियों के चरने की इस कठिनाई के तुरन्त दूर करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता है। सरकार द्वारा इन गांवों की मवेशियों के चरने के लिये अलग चरागाह कायम की हुई है।

ग्राम रेल के ग्रामवासियों के कुंए

५६१. कुंवर श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जिला कोटा, तहसील दीगोद के ग्राम रेल में सेटलमेंट द्वारा ग्राम

(कुं० श्री महेन्द्रसिंह)

वासियों के निजी कुओं को सरकारी दर्ज कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां । देह रेल तहसील दीगोद में २६ कुए इस बन्दोबस्त में सरकारी दर्ज हुये हैं। इसके विपरीत कोई उजरदारी नहीं हुई।

राज्य में चीनी व गुड़ की कमी

५६३. श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में चीनी व गुड़ की कमी का क्या कारण है ?

(२) क्या सरकार चीनी व गुड़ की कमी की पूर्ति करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक और किस प्रकार ?

(३) क्या यह सही है कि चीनी व गुड़ की कमी व कन्ट्रोल के कारण जनता व सरकारी कर्मचारियों की भ्रष्टाचार की मनोवृत्ति बढ़ी है ? अगर हां, तो इस मनोवृति को रोकने का सरकार क्या उपाय कर रही है ?

(४) शहर में प्रति व्यक्ति प्रति माहवार कितनी चीनी कन्ट्रोल रेट से दी जाती है और गांव में कितनी दी जाती है ?

(५) शहर व गांव में चीनी वितरण में इतना भेद-भाव क्यों है ?

उत्तर

(१) देश व राजस्थान के अनेक भागों में मांग की अपेक्षा उत्पादन में कमी।

(२) जी हां, सरकार यथासम्भव उत्पादन में वृद्धि करने में सतत् प्रयत्नशील है।

(३) आंशिक रूप में सत्य हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों को जो अपराधी साबित पाये जाते हैं उन्हें कानून के अनुसार सजा दी जाती है।

(४) ऐसी कोई मात्रा राज्य स्तर पर निर्धारित नहीं की गई है। सरकार द्वारा केवल जितना कोटा (quota) केन्द्रीय सरकार से प्राप्त करती है उसको जन संख्या के आधार पर राज्य के जिलों में वितरित कर दिया जाता है। जिलाधीशों द्वारा शहर व गावों में जन-संख्या, चीनी की मात्रा और वहां की मांग का ध्यान रख कर प्रति व्यक्ति माहवारी कोटे का निर्धारण किया जाता है।

(५) साधारणतया गांवों की अपेक्षा शहरों में चीनी का उपभोग अधिक होता है।

हरिजन की मृत्यु की जांच

५६४. श्री मनफूलसिंह (सूरतगढ़) : क्या गृह मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे: -

(१) क्या यह सही कि तहसील गंगानगर में हजारी हरिजन, गांव महियां वाली की मृत्यु २५-४-६४ को गंगानगर हॉस्पिटल में हुई ?

(२) क्या हजारी हरिजन को गोली मारी गई थी ? यदि हां, तो कितनी तारीख को ? तथा इतने दिन बाद इसको हॉस्पिटल क्यों लाया गया ?

Page No. 36

(श्री मनफूलसिंह)

(३) क्या इससे पहले हजारी हरिजन के गोली के घाव का इलाज रामकुमार वैद्य गांव महियां वाली से करवाया गया और उसको खेत पर ही रखा गया जहां उसको गोली मारी गई ?

(४) उसको गोली मारने की रिपोर्ट पुलिस में उसी दिन की गई या अगले दिन की गई तथा पुलिस में रिपोर्ट किस व्यक्ति ने दी ?

(५) क्या भंडारीनाथ उर्फ चन्दू गांव महियां वाली ने एक दरख्वास्त दी है जिसमें हजारी को गोली मारने वाला त्रिभुवन, गांव ८ एच० एच० को बताया है ?

(६) क्या गंगानगर हॉस्पिटल में हजारी हरिजन को पुलिस द्वारा भर्ती करवाया गया ? क्या उस समय उसकी हालत खराब थी ? जब हालत खराब थी तो पुलिस ने हजारी का डाईंग डिक्लेरेशन क्यों नहीं लिया ?

(७) क्या यह सही है कि इतना कुछ होने पर भी पुलिस ने अपनी जांच में इस मामले को आफ्टर थोट बताया है और सही मामले को छिपाने का पूरा यत्न किया गया है ? क्या सरकार किसी उच्च अधिकारी द्वारा इसकी जांच करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) दिनांक २२-४-६४ को श्री हजारी के देशी पिस्तोल द्वारा गोली मारने की सूचना हुई और उसी दिन शाम को पांच बजे उसे श्री गंगानगर अस्पताल में प्रविष्ट कराया गया।

(३) वैद्य रामकुमार को हजारी के रिश्तेदारों ने इलाज हेतु बुलाया था किन्तु उसने घाव को देखकर इलाज करने से असमर्थता प्रकट की और केवल घाव पर पेन्सिलीन का ऑइन्टमेन्ट लगाकर वह चला गया। पश्चात् में शीघ्र ही उसे गंगानगर अस्पताल ले जाया गया।

(४) उक्त घटना की सूचना उसी दिन यानी दिनांक २२-४-६४ को ही ११ बजे दिन श्री त्रिभुवन पुत्र मनसिंह नि० ८ एच० एच० ने थाने पर कर दी।

(५) जी नहीं।

(६) जी हां, किन्तु उसकी हालत गंभीर नहीं थी, इस कारण उसका डाइङ्ग डिक्लेरेशन उस समय नहीं कराया गया।

(७) उक्त मामले में एक सी० आई० डी० अधिकारी (डोवाई० एस० पी०) द्वारा अन्वेषण किया जा रहा है। अभी उक्त मामले में अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है किन्तु अब तक के अन्वेषण से त्रिभुवन द्वारा गोली मारने के आरोप प्रमाणित नहीं हुये हैं।

तहसील दीगोद-बडोद में गिरदावरी

५६७. कुंवर श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तहसील दीगोद बड़ोद में सन् १९६१-६२ में गिरदावरी उचित ढंग से नहीं की गई ?

(कुँ० श्री महेन्द्रसिंह)

(२) क्या यह सही है कि ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि जमीन रेवेन्यू के कागजों में पड़त दर्ज है और चम्बल विभाग ने उसकी पिलाई वसूल की है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या ऐसे भी उदाहरण हैं कि रेवेन्यू में वह रकबा कम है व चम्बल विभाग में बढ़ा हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) क्या ऐसा भी कहीं देखने को मिलता है कि जहां पर नहर व धोरा दोनों ही नहीं हैं पर खेत में पिलाई होना रिकार्ड में दर्ज है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) यह सही नहीं है ।

(२-३ ४) ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

जल प्रदाय योजना-लक्ष्मणगढ़

५७१. श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में जल प्रदाय स्कीम के आधीन पाइप्स व अन्य कार्य के लिये कितनी राशि सरकार ने दी और कितनी जनता ने ?

(२) क्या यह कार्य पूरा हो चुका है ? अगर हां, तो इससे अब तक सरकार को क्या आय हुई है ?

उत्तर

(१) लक्ष्मणगढ़ में जल प्रदाय योजना के ८३, ५००) रु० सरकार ने दिये और ५००)रु. जनता ने ।

(२) जी हां । चूंकि इस योजना का उद्घाटन ७-७-६४ को हुआ है और तब से यह मेन्टीनेन्स के तहत ही चल रहा है अतः आय होने का प्रश्न नहीं है ।

राज्य कर्मचारियों व अफसरों की बीमारी के इलाज हेतु दवाइयों आदि की सुविधाएं

५७३. श्री मोहनराज (बाली) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य कर्मचारियों व अफसरों आदि को बीमारी के इलाज हेतु दवाइयां आदि सुविधाओं पर खर्च हुई कुल कितनी धनराशि का भुगतान गत तीन वर्षों में किया गया है ? कृपया प्रत्येक विभाग का वर्ष ६०-६१, ६१-६२ व ६२-६३ का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) उपरोक्त विवरण के अलावा कृपया यह भी बतावें कि कुल राज्य कर्मचारियों के कितने प्रतिशत ने इन सुविधाओं से लाभ उठाया है ?

(३) प्रश्न के भाग (१) के अनुसार कुल इस प्रकार खर्च हुई राशि का कितना प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर, कितना तृतीय श्रेणी, द्वितीय एवं प्रथम श्रेणी के

(श्री मोहनराज)

कर्मचारियों पर खर्च हुआ है और प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या भी बतावें जिन्होंने इससे लाभ उठाया है ?

उत्तर

(१),(२) व (३) वांछित सूचना राजस्थान के सभी सरकारी कार्यालयों से भी मांगी गई है। जैसे ही यह सूचना एकत्रित होगी सदन की मेज पर रखदी जावेगी।

होमियोपैथी चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन

५७६. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा-महल, जयपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) होमियोपैथी चिकित्सा पद्धति के प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार के पास कोई योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

(२) क्या राज्य में होमियोपैथी चिकित्सा प्रणाली को नियन्त्रित व व्यवस्थित करने की दृष्टि से राज्य सरकार' कोई नियम या कानून बनाये हैं ? यदि हां, तो कब ?

(३) क्या राज्य सरकार होमियोपैथी चिकित्सा करने वालों का रजिस्ट्रेशन करती है ? यदि हां, तो राज्य में कितने चिकित्सक हैं ?

(४) क्या राज्य सरकार ने अब तक इस प्रकार के चिकित्सक को कोई सहायता या अनुदान दिया है ? यदि हां, तो किन किन को ? सूची सदन के समक्ष रखें।

उत्तर

(१) सरकार के पास होमियोपैथिक चिकित्सा को पृथक से कोई व्यवस्थित योजना नहीं है। होमियोपैथिक औषधालय आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की योजना के अन्तर्गत संचालकालय के अधीन ८ होमियोपैथिक औषधालय वर्तमान में चल रहे हैं।

(२) होमियोपैथिक रजिस्ट्रेशन बिल सरकार के विचाराधीन है।

(३) अभी होमियोपैथिक रजिस्ट्रेशन बिल सरकार के विचाराधीन है इण्डियन मेडीसिन्सन एक्ट १९५३, के अधीन कुछ होमियोपैथिक डॉक्टर एनलिस्ट किये गये है।

(४) राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदान की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है। वार्षिक अनुदान की राशि सूची में अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

भूमिहीन काश्तकारों को राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि का अलॉटमेन्ट

५७८. श्री मनफूलसिंह (सूरतगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर क्षेत्र के सरदारगढ़, सहूवाला, निरवाना, मानेवाला, रामपुरा न्योला, फरीदसर, तहसील सूरतगढ़ में सन् १९५६-५७ और १९५८ में

(श्री मनफूलसिंह)

रेवेन्यू विभा भद्वारा इन गांवों की जमीन भूमिहीन काश्तकारों को दी गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि सन् १९५९ में राजस्थान कैनाल कोलोनाइजेशन विभाग ने उन्हीं आरजी काश्तकारों की बड़ी भूमि रिन्यू कर दी और पट्टा भी दे दिया लेकिन क्या कुछ काश्तकार जो ५९,६० और ६१ के थे उनकी आरजी काश्त की मिसलों को पेन्डिंग में चलाता रहा और १९६२ में हनुमानगढ़ रेस्ट हाउस स्थित मीटिंग में, जिसमें मुख्य मंत्री राजस्थान भी उपस्थित थे, यह निर्णय हुआ कि जिन भूमिहीनकाश्तकारों को रेवेन्यू विभाग ने पूरे सुबूत के साथ सन् १९५६ से आरजी अलॉट की है रिन्यूअल कर दिया जावे ?

(३) क्या यह सही है कि इन्हीं १९५६ के काश्तकारों के पास लगातार जो आरजी काश्त भूमि चली आ रही है उसको बिना बोली बोले, केवल कागजों में नीलामी दिखा कर, इस क्षेत्र से बाहर के लोगों को दे दी गई है जब कि भूमि का कब्जा पुराने काश्त-कारों के पास है और पुराने काश्तकार उस नीलामी की कीमत पर आज भी लेने के लिये तैयार हैं ?

(४) यदि हां, तो पुराने काश्तकारों को यह जमीन क्यों नहीं दी जा रही है और क्या सरकार इस फर्जी नीलामी की जांच करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

१. जी हां।

२. जी नहीं, श्रीमान् मुख्य मन्त्री महोदय ने दिनांक ३१ मई, १९६२ को हनुमानगढ़ दौरे के वक्त यह निर्णय लिया कि सही तौर पर राजस्व तहसील द्वारा अलॉटशुदा रकबा काश्तकार के लगातार कब्जे में रहने व वक्त पर लगान दाखिल करने की सूरत में उसके नाम रिन्यू कर दिया जाय लेकिन उक्त निर्णय की शर्त को पूरा न करने वाले शख्सों की जमीन बाद जांच खारिज कर दी गई है।

३. जी नहीं।

४. पुराने काश्तकारों को जमीन बराबर दी जा रही है लेकिन ऐसे काश्तकार जो १-४-१९५५ से राजस्थान के बासिन्दे साबित न हुए और उनको जमीन से बेदखल किये गये उन काश्तकारान को निलामी में जमीन नहीं दी जा रही है। राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में हस्ब नियम सरकारी जमीन एक साल के लिए हर साल नीलाम होती है। पुख्ता अलॉटमेंट के नियम मन्जूर होने पर यह रकबा फरोख्त कर दिया जावेगा। फर्जी निलामी की शिकायत होने पर सरकार द्वारा जांच करायी जा सकती है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नामान्तरकरण के मामले—तहसील सांचोर

१३३. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः-

(१) तहसील सांचोर में नामान्तरकरण के मामले कुल कितने अब पेंडिंग हैं तथा इनमें से रजिस्ट्रेशन के जरिए ट्रान्सफर द्वारा,

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

अदालती डिक्रियों के द्वारा व अन्तकाल के फलस्वरूप कितने हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उपरोक्त नामान्तरकरण के मामले इतने अर्से तक पड़े रहने के क्या कारण हैं ? नामान्तरकरण के मामले सरकार कब तक तय कराने की व्यवस्था करा सकेगी ?

उत्तर

(१) तहसील सांचोर के कुल ११ मामले नामान्तरकरण के पैंडिंग हैं उनमें से रजिस्ट्रेशन के २ एवं अन्तकाल के ६ बकाया हैं।

(२) ये नामान्तरकरण माह जून सन् १६६४ के बकाया हैं, पुराने नहीं हैं।

तहसील लछमणगढ़ में विचाराधीन मामले

१३४. श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील लछमणगढ़ (अलवर) में किस किस किस्म के कितने केस पैंडिंग हैं ! सूची दी जावे ?

(२) ऐसे केस कितने हैं जो दो साल से अधिक पुराने हैं ?

(३) नौतोड़ एवं कृषि भूमि में नये मकान बनाने के कितने केस किस स्टेज पर पेंडिंग हैं ?

उत्तर

(१) तहसील लछमणगढ़ (अलवर) में निम्न प्रकार के केसेज़ पैंन्डिग हैं :

१. दावा लगान	६
२. दावा रास्ते	१५
३. कार्यवाही मकान बचाने के	६५
४. हरे पेड़ काटने की कार्यवाही।	३४
५. लावारिस	६६
६ इजराय डिक्री	२
७. हस्ब दफा ६१ रा. ले. एक्ट	५५६
	७४७

(२) २ साल से अधिक पुराने केस २७०

(३) नौतोड़ एवं कृषि भूमि में नये मकान बनाने के ६५ केस पैंन्डिग हैं, ट्रेस्पासर्स को नोटिस दिये जा चुके हैं।

केनलावाला तालाब, तहसील लसाड़िया

१३५. श्री उदयलाल वर्दिया (लसाड़िया) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की लसाड़िया तहसील में केनलावाला तालाब गत वर्ष बना और वर्षा आते ही टूट गया ?

(२) क्या उक्त तालाब को वापस बांधे जाने का निर्णय हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री सिंचाई मन्त्री)

उत्तर

(१) जी नहीं। यह पूरा होने से पूर्व ही प्रगति की अवस्था में भारी, आकस्मिक वर्षा के कारण टूट गया था।

(२) जी हां?

बांसवाड़ा जिले में पैदावार और अनावृष्टि के कारण नुकसान

१३६. श्री हीराभाई (कुशलगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

बांसवाड़ा जिले में वर्ष १९६३-६४ में खरीफ तथा रबी की फसल में कितनी पैदावार हुई और अनावृष्टि के कारण अनुमानित कितना प्रतिशत नुकसान हुआ? तहसीलवार सूची सदन में की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सन् १९६३-६४ में जिला बांसवाड़ा में खरीफ व रबी में १,३४, ११२ टन अनाज पैदा हुआ। अनावृष्टि के कारण नुकसान का कोई सर्वे नहीं किया गया गत वर्ष से ६ प्रतिशत कम पैदावार हुई। तहसीलवार पैदावार के आंकड़े तैयार न किये जाकर जिलेवार किये जाते है। अतः सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

मिडिल इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत ऋण-जिला उदयपुर

१३७. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): क्या गृह निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) उदयपुर जिले में गत तीन वर्षों में मिडल इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत किस किस व्यक्ति को कितना कितना कर्ज दिया गया है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इन कर्ज लेने वाले व्यक्तियों में से सरकारी कर्मचारी कितने हैं तथा वे किस किस जिले के निवासी है तथा क्या नियमानुसार उनको कर्ज लेने का अधिकार था?

(३) जिन अन्य जिलों के सरकारी कर्मचारियों ने उदयपुर में मकान बनाया उनको उदयपुर नौकरी करते कितना समय हुआ है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) क्या इन्होने अन्य जिलों में भी जहां नौकरी की वहां भी मकान बनाये हैं? यदि हां, तो किस किसने?

उत्तर

(१) वांछित सूचियां सदन की मेज पर रख दी गई है। अपेन्डिक्स ए० बी० सी०)

(२) सरकारी कर्मचारी २४ हैं। ये जिस जिस जिले के निवासी हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (अपेन्डिक्स डी०)

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है (अपेन्डिक्स ई०)

(४) जी नहीं। उनके हलफनामों के अनुसार इन व्यक्तियों के पास या तो अन्य जिलों में मकान नहीं है और अगर हैं तो उनके परिवार के लिये ना-काफी हैं।

(श्री सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(१२. १२ म०प०)

(बीकानेर नगरपालिका में प्रशासक की नियुक्ति विषयक)

स्थगन-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मुरलीधर व्यास ने राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा बीकानेर नगरपालिका के चुनाव अवैध घोषित करने के संबंध में जो स्थिति उत्पन्न हुई है उस पर एक स्थगन-प्रस्ताव दिया है। मंत्री महोदय कृपया इस पर वक्तव्य देंगे।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो स्थगन-प्रस्ताव रखा है उसमें सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा बीकानेर नगरपालिका के चुनाव अवैध घोषित कर दिये, इसलिये वहां पर एक एडिमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर होना चाहिए। मैं माननीय सदस्य को सूचना देना चाहता हूं कि मामला सरकार के विचाराधीन है और कानून विभाग में इस पर कार्य किया जा रहा है। ज्योंही मामला पूरे निर्णय पर पहुँच जायगा, इस पर कार्यवाही कर ली जायगी।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : जब चुनाव को अवैध घोषित कर दिया और हाई कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया कि अविलम्ब एडिमिनिस्ट्रेटर अपोइन्ट करना चाहिए उसके बावजूद सरकार अभी तक एडिमिनिस्ट्रेटर अपॉइन्ट न करें और दूसरी बात जो कलेक्टर महोदय ने जो बोर्ड फंक्शन कर रहा था उसको भी काम से रोक दिया। करीब डेढ़ महीना हो गया अभी तक वहां कोई एडिमिन्स्ट्रेटर नहीं है, बोर्ड फंक्शन कर रहा है और इस संबंध में सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया. शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है : जबकि उच्च न्यायालय का इस प्रकार का निर्णय हो जाय और उसके बावजूद उसका पालन न करें और रोक कर रखे यह उच्च न्यायालय के फैसले का भी सरकार की तरफ से उल्लंघन करना है। दूसरी बात मैं खास तौर पर मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय खुद इस प्रकार से फैसला करवाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वहां के मेम्बर्स कांतिया कपुरिया को प्रेसीडेंट बना लें -- तब नोटीफिकेशन जारी कर दें। इसलिए आप अपने व्यक्तिगत राजनैतिक आधार पर वहां के सारे काम-फंक्शन को बंद पड़ा रहने दें इससे सारे शहर का काम बिल्कुल ठप्प हो गया है। कोई एडिमिन्स्ट्रेटर नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है।

तीसरी बात, जो निर्णय हुआ है वह भी एक फंडामेंटल मुद्दे पर हुआ है कि बीनाशहर और गंगाशहर को बीकानेर सिटी में मिलाने का नोटिफिकेशन निकाला, उसके बाद में उसको रद्द नहीं किया और किसी प्रकार का निर्णय न करके हाई कोर्ट को फैसला करना पड़ा कि तीनों को मिलाकर बोर्ड बनाना चाहिए। नीति के दृष्टिकोण से बीनाशहर और गंगाशहर बिलकुल मिले हुए हैं और नगरपालिकाएं अलग हैं। उस पर खुद हाई कोर्ट ने जांच करवाली और मालूम पड़ गया

(श्री मुरलीधर व्यास)

कि इन तीनों शहरों के बीच में कोई अन्तर नहीं है। तो सारी बात आपकी मन्शा के अनुकूल पहुंच चुकी है। जो कुछ है निर्णय होना चाहिए। इतने लम्बे समय तक यह मामला पड़ा हुआ है। जहां सैनीटेशन का सवाल है, लोगों को वेतन मिलने का सवाल है, सारा काम इस प्रकार से ठप्प हो जाय, यह ठीक नहीं है और उच्च न्यायालय के अनुसार सरकार को फौरन एडिमिनिस्ट्रेटर एपोइन्ट करना चाहिए और उसके बावजूद भी न करे तो यह राजनैतिक मन्शा हो सकती है लेकिन यदि आप उच्च न्यायालय के फैसले की मन्शा के विपरीत कार्य करते हैं तो किसी को भी उच्च न्यायालय पर आस्था नहीं होगी। तो कम से कम एडिमिनिस्ट्रेटर एपोइन्ट करने का फैसला तो आप कर दें। आप कह सकते हैं कि उन्होंने स्टे लाने के लिए कोई अपील की है, लेकिन उसमें इतने महीने लग जायं और सारा काम अवरुद्ध हो जाय, यह उचित नहीं। आप तो खुद विधि मंत्री हैं और लोकतांत्रिक परम्पराओं को मानने वाले हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर): यह म्यूनिसिपल कौंसिल जो इस समय फंक्शन कर रहा है क्या वह लीगल है और लीगल नहीं है तो उसका फंक्शन सरकार किस प्रकार टोलरेट करके चल रही है?

श्री मथुरादास माथुर: मुझे खेद है इस बात का कि बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य जो वहां के चुने हुए नुमाइन्दे हैं उनके दिमाग में कोई राजनैतिक बात हो सकती है। हमारे दिमाग में इस प्रश्न को लेकर कोई राजनैतिक बात नहीं है। चुनाव के अवैध घोषित होते ही सरकार ने अपील कर दी। बहुत टेक्निकल और टैक्नोकल पोइन्ट पर उन्होंने फैसला दिया, इसलिए हमने लीगल एडवाइस लेकर अपील कर दी। जो म्यूनिसिपल के इलेक्टेड मेम्बर्स थे उनका कोई दोष नहीं था उन्होंने भी अपनी अपील कर दी। दोनों हाईकोर्ट में डिवीजन बैंच के सामने पैंडिंग हैं। वे चल रही हैं, मामला टेक्निकल है, इसलिए हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट की डिवीज़न बैंच से फैसला हो जाय। गवर्नमेंट ने कोई देरी नहीं की और फौरन अपील दायर कर दी। हियरिंग की तारीख भी मुकर्रर हो गई है।

दूसरी बात निवेदन करना है वह यह है कि आज वहां पर म्युनिसिपल कमिश्नर काम कर रहा है। हम बोर्ड को नहीं रख सकते क्योंकि हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा है कि Administrator may be appointed under Notification number such and such.

उसने वह वर्ड वे किया है। एडमिनिस्ट्रेटर के अपोइन्ट करने की मना ही नहीं है। हाई कोर्ट ने तो कहा कि बोर्ड काम न करे, इसलिए नहीं कर रहा है। यदि हमारी अपील मंजूर हो जाती है तो एडमिनिस्ट्रेटर अपोइन्ट करने की जरूरत नहीं होगी। यदि मंजूर नहीं हुई तो इसके लीगल कॉम्पली केशन्स पर सरकार विचार करेगी। वैसे आप सब जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर अपोइन्ट करते हैं तो दुबारा चुनाव कराने होते हैं, इसमें सरकार और मेम्बर दोनों का ही खर्चा होता है और दिक्कत होती है। टेक्निकल बातों पर विचार कर लिया

Page No. 44

(श्री मथुरादास माथुर)

जाय। यदि एडमिनिस्ट्रेटर के अपोइन्टमेंट के ऑर्डर्स निकाल देते हैं तो रेमेडी एग्ज़ॉस्ट हो जाती है। इसीलिए म्युनिसिपल कौंसिलर से काम करवा रहे हैं। ज्योंही फैसला होते ही राज्य सरकार कदम उठायेगी। इसमें कोई राजनीति नहीं है। किसी को लाना नहीं। आप कहें कि किसी के खिलाफ वोट ऑफ नोकॉन्फिडेन्स आ जाय, ये सब उनके लोकल मामले हैं। मैं इसमें पड़ना नहीं चाहता।

श्री भैरोंसिंह : मुझे एक बात बता दीजिये। म्युनिसिपल कौंसिल एग्ज़िस्ट करती है या नहीं?

श्री मथुरादास माथुर : म्युनिसिपल कौंसिल एग्जिस्ट नहीं करती है। म्युनिसिपल कौंसिलर वह काम करता है, जिसको कानून के अन्तर्गत पॉवर्स है।

श्री भैरोंसिंह : आप कहते है कि जजमेन्ट हमारे पक्ष में हो गया, तो म्युनिसिपल कौंसिल काम करने लगेगी, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर नहीं अपोइन्ट करना चाहते? आपका क्या यह मतलब है?

श्री मथुरादास माथुर : जी हां। यही मतलब है।

श्री भैरोंसिंह : यदि आप एडमिनिस्टेटर मुकर्रर कर देंगे, हाई कोर्ट पहले वाले फैसले को रिवर्स कर देगी तो........

श्री मथुरादास माथुर : यह भी मैं मानता कि अगर हाई कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में नहीं हुआ तो लीगल क्वेश्चन ता है या तो हम इस बोर्ड करें या ऑर्डिनेन्स लाकर करें या हम फ्रेश इलेक्शन करायें। फ्रेश इलेक्शन करवाने हैं तो कोई सवाल नहीं रहता है; आज ही एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दीजिये। अभी इलेक्शन नहीं करवाने हैं तो नहीं करिये। अभी वैसे इलेक्शन हुए ही हैं, दुबारा चुनाव हुए तो मेम्बरों को खर्चा पड़ेगा and now we have exhausted, we have executed the judgment of the High Court.

श्री भैरोंसिंह : एग्ज़ॉस्ट तो आप उसी समय हो गये जब म्युनिसिपल कौंसिल काम नहीं करता है।

श्री मथुरादास माथुर : उसको रिवेलिडेट कर सकते हैं।

It is under suspension because the appeal is there.

श्री भैरोंसिह : No, when the Municipal Council does not exist...

श्री मथुरादास माथुर : It does not exist, I know it. But it can be re-validated by a law.

अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दें तो that remedy has exhausted.

यह इम्पोर्टेन्ट बात है। आप भी डिवाइडेड ओपीनियन रखते हैं। लीगल और टिक्निल्स पोइन्ट है। लॉ डिपार्टमेंट इन पर विचार कर रहा है।

श्री भैरोंसिंह : लॉ डिपार्टमेंट की लीगल ओपिनियन ली, वह क्या है?

श्री मथुरादास माथुर : इलेक्शन मिनिस्टिर के अलावा भी लॉ मिनिस्टर की हैसियत से इसको एग्जामिन किया है और लॉ डिपार्टमेंट से कराया है। वरना तो एडमिनिस्ट्रेटर का हुक्म निकालने में तो पांच मिनट लगते हैं। टेक्निकल पॉइन्ट है।

श्री भैरोंसिंह : एक बात सरकार से जानना चाहूंगा कि म्युनिसिपेलिटी के चेयरमैन गोविन्दनारायणजी म्युनिसिपल कौंसिलर नहीं हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : उनको कन्टीन्यू करवा कर सवाल काम कराने का पैदा नहीं होता। Once he ceases to be a member of the council there is no question for validing its continuance.

श्री मथुरादास माथुर : बोर्ड भंग हो जाता है तो चेयरमैन अपने आप हो जाता है।

श्री भैरोंसिंह : Every member has gone.

श्री मथुरादास माथुर : Yes, every member has gone. उसको रीवेलिडेट करने की बात हो सकती है। हमारे खिलाफ यदि हाई कोर्ट का फैसला हो जाय तो फ्रेश इलेक्शन कराने की बात हो सकती है। यदि एडमिनिस्ट्रेटर अपोइन्ट कर दिया तो आप फिर जो अभी आपके पास रेमेडी है वह भी नहीं कर सकेंगे। लॉ डिपार्टमेंट से इसको एग्जामिन करा लिया है गया। मैं समझता हूं कि मैंने पूर्ण रूप से इसको स्पष्ट कर दिया है।

(१२.१७ म. प.)

बीकानेर में अकाल सहायतार्थ एकत्रित की गई घास में आग लगने विषयक स्थगन-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : एक स्थगन–प्रस्ताव की सूचना माननीय श्री मुरलीधर व्यास ने दी है बीकानेर में अकाल सहायता·····

श्री भैरोंसिंह : एक मेम्बर के एक दिन में दो एडजार्नमेंट मोशन आ सकते है ?

श्री अध्यक्ष : एडजॉर्नमेंट मोशन्स नहीं आ रहा है।

श्री भैरोंसिंह : यह एडजॉर्नमेंट मोशन ही तो है ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एडजॉर्नमेंट मोशन्स दो नही आ सकते।

श्री अध्यक्ष : दो एडजॉर्नमेंट मोशन्स नहीं आ सकते; खारिज हो सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : फिर यह क्या हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष : जो हमेशा होता है।

बीकानेर में घास के ढेर में आग लगने के सम्बन्ध में एक स्थगन–प्रस्ताव है। मंत्री महोदय, कृपया इस पर विस्तृत प्रकाश डालें।

श्रीमती कमला बेनीवाल (उप–मन्त्री कृषि) : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने स्थगन-प्रस्ताव रखा है उसके निम्न तथ्य प्रस्तुत हैं :–

जिला बीकानेर में पिछले दिनों चारे के कूपों में आग लग जाने की घटनायें घटी हैं। दिनांक ५-१०-६४ को फोडर डिपो गजनेर, तहसील कालायत, में अचानक दोपहर को २.४५ बजे आग लगने की सूचना जिलाधीश को मिली। तहसीलदार से सूचना प्राप्त होते ही म्युनिसिपल बोर्ड का फॉयर ब्रिगेड, मजदूर व अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। हवा के कारण आग जल्दी फैल गई तथा पास के अन्य कूपों में भी आग लग गई। अतः रेलवे का फायर ब्रिगेड मजदूर व पुलिस लाइन से १२ जवानों को भी भेजा गया। बहुत प्रयत्न करने के बाद ६-१०-६४ की रात्रि को २.३० बजे करीब आग पर काबू पाया जा सका। इस आग के कारण ३००० मन चारा जल कर भस्म हो गया।

दिनांक १२-१०-६४ को फोडर डिपो दुलमेरा, तहसील लूणकरणसर में भी इसी प्रकार आग लग जाने की घटना हुई। म्युनि–सिपल बोर्ड के फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग के कारण ६०० मन तूड़ी जल गई।

इसी तरह से नोखा में दिनांक १३-१०-६४ को करीब १२.३० बजे दिन के आग लगी। सूचना मिलते ही सब-डिवीज़नल ऑफ़िसर बीकानेर, म्युनिसिपल बोर्ड, बीकानेर का फॉयर ब्रिगेड लेकर पहुंच गये। कुओं पर पानी निकालने की व्यवस्था कराई गई। पखालें न मिलने के कारण दो ट्रक प्राइवेट किराये किये गये। पी. डब्ल्यू. डी. से ढोल मंगा कर लिये गये और पानी भर कर घटना स्थल पर पहुंचाया गया। तहसील, म्युनिसिपेलिटी व ब्लॉक, नोखा का समस्त स्टाफ व पी. डब्ल्यू. डी. गैंग भी इस काम में लगा दिये गये। हवा के कारण आग बहुत फैल चुकी थी इसलिये रेलवे के फायर ब्रिगेड प्राप्त करने की कोशिश भी की गई परन्तु वह प्राप्त न हो सकी। दिन-रात लगातार आग बुझाने की कोशिश के बावजूद भी १४-१०-६४ के सुबह ६ बजे तक ५ खार के कूप करीब २ जल चुके थे बाकी के ३ कूप बचाने की कोशिश की गई जो भी आग पकड़ चुके थे। कुल ८ कूपों में ८५३६ मण चने का खार था जो करीब करीब जल गया। इसके अतिरिक्त ३००८ मण बाजरे की कड़बी का कूप भी करीब आधी जल गई। करीब ५३७ मण हेमेड्ड व्हीट जो बाजरा की कड़बी के पास रखा हुआ था वह भी जल गया।

तहसीलदार, नोखा की एक रिपोर्ट के अनुसार दिनांक १४–१०–६४ को फोडर डिपो सारूंडा खार के कूप की चोटी से धुंआ निकलता हुआ दिखाई दिया। तहसीलदार, प्रधान तथा एस० एच० ओ० पुलिस गांव सारूंडा पहुँच गये और जो भी व्यक्ति वहां मौजूद थे उनकी मदद से ३–४ कूप खुलवा दिये। गहराई के कारण खुदाई न हो सकी क्योंकि कूपों में से बड़ी गर्म हवा निकल रही थी जिससे आदमी का वहां खड़ा रहना मुश्किल था।

आग लगने से बचाने के लिए कूप को तोड़ दिया गया और सुलगती हुई गैस पर

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

काबू पा लिया गया। अतः आग पकड़ने की नौबत नहीं आई।

जिलाधीश द्वारा इन घटनाओं के कारणों की जांच करवाई जा रही है। अभी तक कुछ पता नहीं लग सका है। तहसीलदारों को हिदायत कर दी गई है कि वे कूपों की पूरी निगरानी रखें तथा जहां कहीं भी आग सुलगने का अंदेशा हो कूपों को फौरन खुदवा दें। जिलाधीश को आदेश दिये गये हैं कि वे इन घटनाओं की आवश्यक विस्तृत जांच करवा कर राज्य सरकार को शीघ्र रिपोर्ट भेजें जिससे अग्रिम कार्यवाही की जा सके। कूपों की संख्या चारे की कुल मात्रा तथा आग से नष्ट हुए चारे की मात्रा आदि की भी विस्तृत रिपोर्ट जिलाधीश से मांगी गई है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, खास करके मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है वह इसी दृष्टिकोण से रखा है कि अकाल में लाखों रुपयों का घास कूपों के तरीके से रखते हैं और ऐसा मालूम पड़ता है कि करीब ८-१० लाख रुपये का घास जमा है, तो इसमें जो ५ हिस्से बताये मेरा ख्याल है कि इसमें १ लाख रुपये का नुकसान हुआ होगा। शायद और भी ज्यादा का नुकसान हुआ हो। आगे भी, क्योंकि जैसा मैं सुन रहा हूं कि घास के अन्दर सबसे बड़ी गड़बड़ी हुई है और लोगों ने जो घास ठेके के रूप में लाकर दिया और जो भी इनचार्ज था उनके द्वारा वह घास वहां पर रखा गया, तोला गया और रखा गया और बहुत बड़ी कीमत उसकी बताई गई। अब यहां पर उसका मूल्यांकन बिल्कुल ठीक ढंग से नहीं होगा तो नतीजा यह हो सकता है कि घास में आग कैसे लगी तो इसका कोई पता नहीं चला। हो सकता है इसके अन्दर कोई ऑफिसर हो या कोई नीचे के आदमी हों जिनका कि हिसाब न हो और आगे जाकर हिसाब का मामला हो तो उनकी भी गड़बड़ी मालूम हो सकती है, इसलिए मैं खास करके मंत्राणी महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो भी ढेर लगा है उनका मूल्यांकन कर लिया जाये और अब तो कम से कम ऐसा प्रबन्ध करें कि वे ढेर जलें नहीं और इसके लिए या तो आप वहां पर चौकीदार रखें या और कोई प्रबन्ध करें। अगर ऐसा प्रबंध नहीं रहेगा तो हमारी जो सम्पत्ति, घास के रूप में संग्रह करके रखी हुई है वह जल जायेगी और इससे बहुत पैसे का नुकसान होगा। इसलिए यह घास की कितनी सम्पत्ति है, इसकी सरकार जांच करले और जांच करने के बाद में जहां जहां भी ढेर हों कम से कम ऐसी व्यवस्था करे कि भविष्य में जले नहीं और यह जो जली है इसकी भी जांच करवा ली जाये और अगर कोई ऐसे कारण हों कि जिससे राज्य के धन को नुकसान पहुंचाने के लिए या इसके पीछे कोई भ्रष्टाचारी कारण हों तो उसकी भी जांच हो सकती है। इस कारण मैं अपील करूंगा कि सरकार इसकी अच्छी तरह से जांच कराये।

श्री अब्दुलजब्बार : (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, जैसा सरकार की ओर से बताया गया कि लाखों रुपये का घास जला है और मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आम तौर से यह नियम है कि जहां एक्सप्लोज़िव हों या इन्फ्लेमेबल चीज रखी हो वहां पर फायर प्रोटेक्शन का इन्तजाम होता है। ऐसे एरिया में जहां कि अकाल पड़ता है और जहां जानवरों को हमेशा घास

Page No. 48

(श्री अब्दुल जब्बार)

और पानी की समस्या सताती है तो कम से कम सरकार बताये कि वहां पर फायर प्रोटेक्शन की क्या व्यवस्था है ? लिहाजा इस संबंध में सरकार की तरफ से यदि कोई व्यवस्था नहीं है तो वह इसकी व्यवस्था करे ताकि भविष्य में ऐसी हालत न हो ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, जैसे ही इस घटना की सूचना विभाग को प्राप्त हुई उसके बाद में आगे इस इस प्रकार की घटनायें न घटें इसकी समुचित व्यवस्था हेतु विभाग कार्यवाही कर रहा है और जो घटना हो चुकी है उसकी जांच कलेक्टर से करवाई जा रही है और पुलिस के जरिये से भी कारवाई जा रही है और जैसे ही इसके कारणों का पता चल जायेगा तो आगे उसकी हिफाजत की जा सकेगी और मैं समझती हूं कि आगे इस प्रकार का नुकसान राज्य सरकार को नहीं उठाना पड़ेगा, इसका पूरा इन्तजाम किया जायेगा ।

(१२.४८ म. प.)

गंगानगर जिले में रूट्स का राष्ट्रीयकरण संबंधी स्थगन-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : गंगानगर जिले में कुछ बस मार्ग थे, जिनके राष्ट्रीकरण के संबंध में गजट में नोटिस निकला था लेकिन फिर भी उसको रोका गया । इस संबंध में माननीय सदस्य, श्री केदारनाथजी और माननीय सदस्य, श्री हांडा व अन्य सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी । मंत्री महोदय कृपया इस पर अपना वक्तव्य दें ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (यातायात मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव में जो यह कहा गया है कि गंगानगर जिले में राष्ट्रीयकरण योजनायें सरकार द्वारा घोषित करके वापिस ले ली गई, सही नहीं है । जनरल मैनेजर रोडवेज़ ने योजनायें बना कर गवर्नमेन्ट प्रेस को इसलिए भेजी थीं कि प्रकाशित होने पर आपत्तियां मांगी जायें । इसी स्टेज पर, जब कि योजनायें प्रकाशित नहीं हुई थी, इसको रोका गया जैसे कि नीचे बताया गया:—

गंगानगर जिले की ६ स्कीम्स जनरल मैनेजर रोडवेज़ द्वारा प्रेस को जून, १९६४ में, आपत्तियां मांगने हेतु भेजी थीं····

१. हनुमानगढ़ से अबोहर

२. सादुलशहर से सांगरिया–डबवाली

३. हनुमानगढ़ से सांगरिया–डबवाली

४. पदमपुर से गजसिंहपुर

५, पदमपुर से करनपुर

६. गंगानगर से हिन्दूमलकोट

७. गंगानगर से अबोर

८. गगानगर से करनपुर

९. रायसिंहनगर से पदमपुर–गंगानगर-हनुमानगढ़–रावतसर

यह विज्ञप्ति प्रकाशनार्थ भेजी गई उसके बाद की बात है कि दिनाक १६–९–६४ को सरकार द्वारा रोडवेज़ कॉर्पोरेशन बनाने का निर्णय लिया गया और भारत सरकार को रोड़वेज़ ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत स्वीकृति हेतु लिखा गया व जनरल मैनेजर रोडवेज़ को स्वयं शीघ्र अनुमति लाने के हेतु दिल्ली भेजा गया ।

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

उक्त निर्णय के अनुसार यह उचित समझा गया कि रोडवेज़ में नये कमिटमेन्ट न किये जावें और इसलिए इधर उक्त ६ स्कीमों के प्रकाशन को रोका गया। इस समय इन स्कीमों के अलावा अन्य कोई स्कीम इस प्रकार की नहीं थी। जनरल मैनेजर ने दिल्ली से लौटकर सूचित किया कि भारत सरकार ने कॉरपोरेशन कायम करते ही हमारे प्रस्तावों को आम तौर पर मान लिया है और हमें आगे की कार्यवाही हेतु कदम उठाना चाहिए। इस पर से कोई नये कमिटमेन्ट न करने के पूर्व निर्णय की पुष्टि की गई।

विज्ञप्ति के प्रकाशन रोकने के मुख्य कारण इस प्रकार थे:

(१) राज्य सरकार द्वारा रोडवेज़ कॉरपोरेशन बनाने का निर्णय और कॉर्पोरेशन के बनने तक सब नई स्कीमों को रोकना जिससे कि कॉर्पोरेशन ही सारी स्कीमों पर समुचित रूप से विचार कर सके।

(२) कॉर्पोरेशन के रेलवे नॉमिनी को इस मामले में स्वीकृति की आवश्यकता, क्योंकि कॉरपोरेशन में रेलवे का भी काफी हिस्सा रहता है, अतः उनके नॉमिनी को सम्मिलित करके निर्णय लेना ही उचित समझा गया।

(३) रोडवेज़ कॉर्पोरेशन १-१०-६४ को बनी और इस सारे मामले पर कॉर्पोरेशन द्वारा विचार किया गया। कॉर्पोरेशन ने भी उक्त ६ स्कीमों को रेलवे नॉमिनी के आने व स्वीकृति देने तक और कॉर्पोरेशन के भावी कार्यक्रम की रूपरेखा बनने तक फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है।

अब माननीय हांडाजी ने और दूसरे प्रस्ताव आये हैं जिनमें कहा गया है कि गजट में शाया हो गया, उसके बारे में मैं थोड़ी सी रोशनी डाल देना चाहता हूं। यह मुझे आज ही मिला है, उसमें यह बात हुई है कि यहां से सूचना तो यही दी गई थी कि गंगानगर जिले के सारे रूट्स का प्रकाशन रोक दिया जाये लेकिन वहां गंगानगर डिस्ट्रिक्ट न समझ कर गंगानगर शब्द जहां जहां आया या उससे संबंधित जो रूट्स हैं वह समझे कि इनको रोकने का आदेश है, इसलिए उनको रोक दिया और बाकी को गजट में छाप दिया? जब यह मालूम पड़ा कि यहां गलतफहमी हो गई तो यह गलतफहमी में छपा है बाकी हमारा आदेश था कि ६ रूट हैं उनको रोका जाये।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें तीन बातों की जानकारी करना चाहूंगा। एक तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि गवर्नमेंट का डिसीज़न रोडवेज़ कॉरपोरेशन का हो गया था १६-६-६४ को और इस कारण हम उसको नेशनलाइज़ नहीं करना चाहते थे। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह डिसीज़न इससे पहले नहीं हुआ और गवर्नर महोदय ने और मुख्य-मंत्री महोदय ने इसी सदन में इसकी घोषणा पिछले सेशन में नहीं की थी; पहली बात। दूसरी जानकारी यह करना चाहता हूं कि आपने जो प्रेस से कि इसका पब्लिकेशन नहीं किया जाये इस सम्बंध में कोई लिखित ऑर्डर भेजा था कि चूंकि कॉर्पोरेशन बन रहा है और गवर्नमेंट इस स्कीम को एग्ज़ीक्यूट नहीं करना चाहती है इसलिए इनका पब्लिकेशन नहीं किया जाये, इस प्रकार का लिखित आदेश दिया था या नहीं और अब तक जितनी भी स्कीम नेशन-

(श्री भैरोंसिंह)

लाइज़ की हैं उसके अन्दर क्या सब स्कीमों में रेलवे की कोई ओपीनियन लेकर आपने ऐसा डिसीज़न लिया है ? क्या यह सही है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो फेज़ प्रोग्राम है उसके अनुसार इस रूट का नेशनलाइज़ेशन ६४ में नहीं बल्कि ६२ और ६३ के अन्दर होना चाहिए था और उस समय गवर्नमेंट बिना रेलवे के नुमाइन्दे के ओपीनियन लिए ही इस डिसीज़न पर पहुंच गई थी कि हमें इस रूट का नेशनलाइज़ेशन करना है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ पूछ लेना चाहता हूँ। आप सब का साथ ही उत्तर दे दीजियेगा।

रोडवेज़ की जो रिपोर्ट यातायात मन्त्री ने सदन में पिछले वर्ष पेश की उसमें बाकायदा जो नक्शा दिया हुआ है उसके अनुसार गंगानगर के ६ रूट्स ही नहीं, बल्कि और ज्यादा रूट्स भी ६३ के मार्च तक नेशनलाइज़ हो जाने चाहिये थे। नम्बर १।

नम्बर २, यातायात मन्त्री कृपया उत्तर देने का कष्ट करें कि गंगानगर और गंगापुर के कन्फ्यूजन में यह रिपोर्ट निकल गई ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : गंगानगर जिला और कनेक्टेड रूट ; इसमें गलतफ़हमी हो गई।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जिला गंगानगर और शहर के कनेक्टेड रूट्स में बदली हो गई ; ठीक है। इनमें एक रूट है जो गंगानगर से हनुमानगढ़ तक जाने वाला नेशनलाइज़ होने वाला है। बाकी आठ रूट्स और किये जाने वाले थे। उनमें कोई ऐसा नहीं है कि जो गंगानगर से कहीं जाता हो।

ये रूट थे वे :

पदमपुर से गजसिंहपुर,

रायसिंहनगर से पदमपुर

हनुमानगढ़ से सांगरिया

संगरिया से मटेली

हनुमानगढ़ से अबोहर

अधिकतर रूट्स आप गौर फरमावेंगे कि हनुमानगढ़ से कहीं बाहर जाने वाले थे जो नेशनलाइज़ होने वाले थे। ये सारे इस हनुमानगढ़ निर्वाचन क्षेत्र के होने वाले थे। केवल रायसिंहनगर, पदमपुर और गजसिंहपुर,पदमपुर और गंगानगर,अबोहर—इन तीन को छोड़कर सभी हनुमानगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित थे।

मेरी समझ में नहीं आता, माननीय यातायात मन्त्री समझा दें कि गंगापुर और गंगानगर जिले का कन्फ्यूजन कैसे हो गया ? हनुमानगढ़ निर्वाचन क्षेत्र के सारे रूटों को नेशनलाइज़ करके क्या चुनाव लड़ना मुश्किल हो रहा था इसलिये हनुमानगढ़ क्षेत्र के बस मालिकों को आपने आश्वासन दिया। अध्यक्ष महोदय, सरकार को इस मसले को अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिये। सुनने में तो यहां तक आया है कि यह कॉर्पोरेशन तो

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

बहुत बाद की बात है । इसके सम्बन्ध में बाकायदा प्रोसीडिंग्ज़ निकाल कर देख लीजिये कि कमिटमेन्ट है आपका इन रूटों को नेशनलाइज़ करने का । चुनाव के समय में इस तरह से, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं, इन रूटों का नेशनलाइज़ेशन रोक देना आपकी बोनाफाइडी को खतरे में डालती है । बल्कि कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि बस मालिकों ने इस इलेक्शन में आपको हचास हजार रुपया चन्दा भी दिया ।

नेशनलाइज़ेशन को, रूटों को रोका जाना और चुनाव के समय में रोका जाना और हनुमानगढ़ के ही बड़े बड़े रूटों को रोका जाना और गंगानगर के सारे बस मालिकों की गाड़ियों पर तिरंगी झंडियों का रातों रात लग जाना और लगातार चुनाव पीरियड तक लगे रहना, ये सब इस बात के निश्चित रूप से द्योतक हैं कि आपने राष्ट्रीयकरण के नाम पर चुनावों का सौदा किया उन लोगों से । आपने राष्ट्रीयकरण की एक तरह से हत्या करके चुनावों में सौदाबाजी की ।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : आप जानते हो, तो कूकते क्यों हो ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यातायात मन्त्रीजी, हम आपका आदर करते हैं । प्रातः स्मरणीय हैं आप । आप झूठ नहीं बोलेंगे । करोड़ों रुपया राष्ट्रीयकरण से इस इलाके में सरकार को प्राप्त होने वाला था । हम तो, उदयपुर का नहीं हो रहा था तब भी बराबर कह रहे थे, इनके करने से सरकार को करोड़ों रुपयों की आमदनी होगी । लेकिन हम अपने राष्ट्रीयकरण को इस तरह से गंगानगर में बेचना पसन्द नहीं करते । हम चाहते हैं सरकार को आमदनी हो ।

धरती की नीलामी आप कर रहे हैं, उसे रोकिये पर यातायात मन्त्रीजी से बड़े आदरपूर्ण तरीके से कहूंगा कि कांग्रेस के चुनावों के दौरान राष्ट्रीयकरण रोका जाना, उस निर्वाचन क्षेत्र के रूटों का और महत्वपूर्ण रूटों का, जिससे सरकार को करोड़ों का लाभ होने वाला होता है, तो इससे सरकार की, आपकी और कांग्रेस की बोनाफाइडी में संदेह उत्पन्न हो गया है और परिस्थितियां साबित कर रही हैं कि शंकाएं ये ठीक हैं हमारी ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : मैं सिर्फ आपके द्वारा यह पूछना चाहता हूं कि इन्हीं रूटों के राष्ट्रीयकरण को ध्यान में रखकर आपने बसों को खरीदने के लिये इस वर्ष करोड़ों रुपया अलॉट किया था और अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए यह भी बता देना चाहता हूँ कि उस पैसे से बसें खरीद भी ली गई हैं और वे बसें आज भी खड़ी हैं; तो क्या उन बसों का सदुपयोग होगा, दुरुपयोग नहीं होगा ? अगर वे रूट नेशनलाइज़ नहीं किये गये तो ये खरीदी हुई बसें खड़ी रहेंगी और जिस तरह पहले बसें डेढ़-डेढ़ साल तक खड़ी रहीं, उनके कल-पुर्जे बदल लिये गये, सामान बदल लिया गया, चोरी चला गया उसी तरह से इनके भी नहीं जावेंगे ? और इस तरह से क्या इस सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा, और दुरुपयोग ही नहीं, जो करोड़ों रुपया इसमें लग गया है, उसके ब्याज की

श्री उमरावसिंह ढ़ायरिया

हानि सरकार को नहीं उठानी होगी और अगर कार्पोरेशन्स बनाने के बाद ही खर्च करना था तो ऐसा क्यों नहीं किया, पहले क्यों खरीद ली बसें और पैसा व्यर्थ में क्यों इनमें फंसा दिया ?

श्री रामकिशन (वैर) : एक जानकारी मुझे भी लेनी है, जैसे यातायात मन्त्रीजी ने बतलाया है कि कॉर्पोरेशन बनने के बाद इसलिए नोटीफिकेशन को इन रूटों के नेशनलाइज़ करने के सम्बन्ध में विद्ड्रॉ कर लिया था कि राजस्थान के अन्य भागों में भी उन्हीं दिनों में घोषणा हुई है, राज्यपाल के भाषण के समय कि सरकार कॉर्पोरेशन बनाने जा रही है, तो राजस्थान के अन्य भागों में भी रूटों के नेशनलाइज़ेशन की जो स्कीम प्रकाशित हुई है उनको भी वापिस लिया है क्या ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : यह राष्ट्रीयकरण का सवाल महत्वपूर्ण है और ऐसे महत्वपूर्ण सवाल पर हनुमानगढ़ के चुनावों के मौके पर उसे कैंसिल कर देना, यह उचित नहीं है; यह चर्चा भी लोगों में है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कही गई बातों को दोहरावें नहीं ।

श्री मुरलीधर व्यास : इसलिये अर्ज करना चाहता हूँ कि जो वक्तव्य दिया है, नोटिफिकेशन गजट में गलत हो गया इस लिए सारी बातें हुई हैं, तो यह ऐसे ही स्पष्ट नहीं होगा, मैं खुद आपसे कहना चाहता हूं और इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप सत्य के भक्त हैं और लोगों ने कहा है कि इस तरह वहां की बसों की बात हुई है । मैं जानना चाहता हूं कि यह इस चुनाव को जीतने के लिये ही राष्ट्रीयकरण की नीति स्थगित की गई है या भविष्य के लिए भी समाप्त कर दी गई है ? यह भी सही है कि वहां के बस मालिक कांग्रेस के झंडे लगाकर चुनावों में आये ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दोहरावें नहीं उन सारी बातों को । आप तो भाषण दे रहे हैं, तथ्य पूछना चाहें तो वे पूछें ।

श्री मुरलीधर व्यास : आगे आपकी क्या नीति है, क्या इस नेशनलाइज़ेशन को परस्यू करने की है या नहीं, इसको स्पष्ट कर दें और परस्यू करने की है, तो कितने दिनों में करेंगे, यह भी बता दें ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सबसे पहले तो अध्यक्ष महोदय, यह साफ कर देना चाहता हूं कि सरकार ने जो गजट में छापा किया वह कॉर्पोरेशन को खयाल में रखकर किया । इसकी यह मंशा नहीं है कि राष्ट्रीयकरण की नीति छोड़ दी है ।

श्री रामकिशन (वैर : तो फिर कब करेंगे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कॉर्पोरेशन के प्रस्ताव में साफ लिखा है । मैं पढ़कर सुना देता हूँ ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसको सुनाने की आवश्यकता नहीं हैं । आप तो यह बता दें कि यह नेशनलाइज़ेशन कब तक हो जावेगा इनका ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कॉर्पोरेशन ने यह प्रस्ताव किया है .

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : प्रस्ताव की कॉपी है हमारे पास । क्यों समय ले रहें हैं इसमें ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सब के पास तो नहीं है । उसमें भी यह लिखा है कि कॉर्पोरेशन ने भी उक्त नौ स्कीमों को रेल्वे के नॉमीनी के आने और स्वीकृति देने तक कॉर्पोरेशन की भावी कार्यक्रम की रूप रेखा बनने तक फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। इसलिए उसके हाथ-पैर नहीं बांध देना चाहिये, इस दूरन्देशी के कारण सरकार ने प्रशासनिक दृष्टि से इसे स्थगित करके उचित ही किया है।

(१.८० म. प.)

अब रह जाता है कि इसमें कोई गलत-फहमी हुई हो या भ्रम पैदा हुआ हो कि इसकी जरूरत नहीं है और सरकार ने राष्ट्रीयकरण की नीति को छोड़ दिया है तो छोड़ा नहीं है, वरन् साधनों की कमी थी इसलिए जल्दी करने के लिए कॉर्पोरेशन की स्थापना की है। कॉरपोरेशन की स्थापना यह सिद्ध करती है कि सरकार उत्सुक है कि राष्ट्रीयकरण की नीति जो उसने अपनाई है वह जारी रहे। वह जारी ही नहीं रहे बल्कि जल्दी से जल्दी जहां आवश्यक हो वह किया जाय।

अब दूसरी बात जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही है कि राज्यपाल महोदय के भाषण में उसका जिक्र था। इससे मैं इन्कार नहीं कर सकता हूं कि सरकार की ऐसी नीति थी और सरकार ने उस प्लान को छोड़ दिया हो। सरकार का प्लान बनाने के इरादे की घोषणा करने की बात अलग है और विधिवत् कानून के अनुसार घोषणा होना दूसरी बात है। विधिवत् घोषणा तो तब होती है जब कि राजपत्र में आपत्तियां जानने के लिए उसको प्रकाशित किया जाय और आपत्तियां आ जाने के बाद उनका हियरिंग होने के बाद, उन पर निर्णय करने के बाद उसका नोटिफिकेशन हो तो उसको घोषणा कहते है। वह घोषणा नहीं हुई है और न कोई व्यवस्था हुई है। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि लिखित व्यवस्था हुई है, ऐसी बात नहीं हैं। आपत्तियां मंगाने के लिए सिर्फ यह कहा था....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मेरा क्वेश्चन यह है कि कॉरपोरेशन की विधिवत् घोषणा कब की है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : १-१०-६४ को।

श्री भैरोंसिंह : और ये स्कीम पब्लिश हुई थीं जून में।

निगम की स्थापना करने का निर्णय तो उस असेम्बलीमें बता ही दिया था कि कॉरपोरेशन बना रहे हैं और गवर्नमेंट के इस डिसीज़न के बारे में राज्यपाल महोदय और मुख्य मंत्रीजी नें उस दिन कह दिया होगा, लेकिन अब आप कहते हैं कि विधिवत् घोषणा हो गई तो विधिवत् घोषणा हो गई तो जब उसका गजट में पब्लिकेशन होता है तो वह अक्टूबर में हुई और उसका फन्क्शन अक्टूबर में चालू होना चाहिए।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वह तारीख दे देता हूं १६ जून को मंत्रि-मंडल में निर्णय हुआ कि राष्ट्रीयकरण किया जाय, कॉरपोरेशन बनाया जाय, I mean that.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कॉरपोरेशन बन रहा है, यह सदन को मालूम था। वह गजट हुआ, जून में, अक्टूबर में बसें चलनी चाहिए थीं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : घोषणा नहीं हुई। आपत्तियों के लिए राजपत्र में विज्ञप्त किया गया था। वह विज्ञप्ति रोक दी गई कुछ छप गई और कुछ नहीं छपी, उसका मैंने जिक्र कर दिया।

अब मैं दूसरी बात पर आता हूं कि यह कि यह कहा गया कि इलेक्शन में आदेश दिया गया था तो वह इलेक्शन में आदेश नहीं दिया गया था। उस समय उसके बारे में मौखिक आदेश दिया गया था और बाद में उसकी पूर्ति की गई लिखित आदेश से।

श्री भैरोंसिंह : आपने जो मौखिक आदेश की पूर्ति की है लिखित आदेश से तो क्या उसमें यह कारण बताया गया है कि चूंकि कॉर्पोरेशन बनाने का डिसीज़न ले लिया है इसलिए छापने की आवश्यकता नहीं है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बराबर था।

श्री भैरोंसिंह : यह जो कह रहे हैं कि पहले मौखिक आदेश दिया गया है और उस मौखिक आदेश के आधार पर जो लिखित आदेश दिया गया है, तो क्या यह सही हैं कि उसमें कॉर्पोरेशन का कहीं जिक्र नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : वह आदेश तो प्रेस को भेजा गया है कि आप छापें नहीं। उसमें कारण दें कि उसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : उसके पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउण्ड है। अगर मंत्री महोदय सुनना चाहें तो बता दूं !

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसके लेने देने से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जो सही बात थी और जो सही जानकारी मेरे को थी वह मैंने कह दी।

श्री भैरोंसिंह : एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेन्ट है, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने यह कहा है कि १६–६–६४ को रोड़वेज़ कॉर्पोरेशन बनाने का डिसीज़न गवर्नमेंट ने ले लिया और उस डिसीज़न के कारण गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की रूट्स को नेशनलाइज़ करने की पॉलिसी बनाई गई थी और जो गज़ट में पब्लिकेशन के लिए भेजी गई थी उसको विद्होल्ड कर लिया और प्रेस को ऑर्डर दे दिया कि उसको छापे नहीं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि १६–६–६४ को आपने कोटा-अकलेरा रूट को नेशनलाइज़ किया। रोड़वेज़ ने घोषणा कर दी और रूट को नेशनलाइज़ करने के बारे में आपत्तियां आ गई, उनके ऑब्जेक्शन्स की सुनवाई हो गई और उस स्कीम को फाइनलाइज़ कर दिया गया और उस रूट पर आपने बसें भेज दीं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय ; उसकी प्रिलिमिनरी कार्यवाही होकर विधिवत उसकी घोषणा हो चुकी थी।

श्री भैरोंसिंह: दो रूट्स को साथ-साथ नेशनलाइज़ करने की स्कीम बनती है। दो रूट्स को साथ साथ गजट में पब्लिश होने के लिए भेज दिये जाते हैं। एक रूट रोक ली जाती है और एक रूट के ऑब्जेक्शन्स की हियरिंग हो जाती है, कोटा-अकलेरा रूट को नेशनेलाइज़ किया जाता है, गंगानगर के इसमें भी, अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा राज है। गंगानगर के बारे में तो माननीय मंत्रीजी ने टेलीफोन कर दिया कि अमुक रूट्स नहीं छापी जायं, तो उधर हुक्म मानने वाले ऐसे थे कि जिन जिन रूट्स में गंगानगर का नाम था उन रूट्स को हटा दिया और हनुमानगढ़ के नाम की जो थी उनको पब्लिश करा दिया। गंगानगर के नहीं छपे और दूसरे जो बाकी के रूट्स थे जिनमें कि गंगानगर का नाम नहीं था और हनुमानगढ़ का नाम आया था, वह छप गये। बाद में यह मालूम हुआ तो कहा कि चाहिए तो यह था कि गंगानगर वाले छप जायं, लेकिन गंगानगर वाले बच गये और हनुमानगढ़ वाले फंस गये। उस हालत में यह तय किया कर दिया कि सारी स्कीम्स को कॉर्पोरेशन के नाम पर खत्म कर दिया जाय और बाकी की स्कीम को आपने खत्म नहीं किया कॉर्पोरेशन के नाम पर।

श्रीमती कमला बेनीवाल (उप-मंत्री, यातायात): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि स्टेटमेंट से स्पष्ट है कि जिस वक्त गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की रूट्स को रोका गया उस वक्त में सिवाय इन ६ रूट्स के कोई ऐसी स्कीम सरकार के पास पब्लिश होने को नहीं थी इसलिए इन ६ को रोका गया। और जैसा कि आप कहते हैं कि हनुमानगढ़ की पब्लिश करा दी गई और गंगानगर की नहीं की गई तो इससे यह स्पष्ट है कि सरकार ऐसा इन्टेंशन नहीं रखती थी कि चुनाव होने जा रहे हैं....

श्री भैरोंसिंह: उसका कारण यह नहीं था। उसका कारण तो यह था कि जैसे कि अफसर थे कि कागज पर अगर मक्खी चिपकी हुई है, तो नकल करने वाला मक्खी मारकर उसको चिपका दे, वैसे थे। इसी एनोमॉली में वह गंगानगर तो रह गया और हनुमानगढ़ छप गया जिसके लिए आपने एक्सप्लेनेशन कॉल किया कि हनुमानगढ़ क्यों छाप दिया?

श्रीमती कमला बेनीवाल: राज्य सरकार की मन्शा पूरे ६ स्कीम्स को रोकने की थी। गंगानगर के गलती से ४–५ रूट्स पब्लिश कर दिये तो उसको रोकने की जरुरत थी क्योंकि वह एक स्कीम के अन्तर्गत थे।

श्री भैरोंसिंह: आपने कोटा–अकलेरा को कैसे नेशनेलाइज़ किया?

श्रीमती कमला बेनीवाल: मैंने कहा कि जिस स्टेज पर कॉर्पोरेशन बनने की इत्तिला सरकार को मिली भारत सकार से विचार–विमर्श होने के बाद और जिस समय इन ६ को रोका गया उस समय सिवाय इन ६ स्कीम्स के, क्योंकि और भी कोई स्कीम प्रेस के पास में या सरकार के पास पब्लिश होने को नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह: This is not the question of publication but of nationalisation.

Page No. 56

(श्री भैरोंसिंह)

जब आप यह कहते हैं कि हम कॉर्पोरेशन पर बर्डन नहीं डालना चाहते थे तो कोटा अक्लेरा रूट को आपने १६-६-६४ को नेशनलाइज़ क्यों किया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : वह पहले की स्कीम थी। ऑब्जेक्शन के बारे में हियरिंग होने के बाद सारी की सारी कार्यवाही हो चुकी थी इसलिए नेशनलाइज़ करना जरूरी हो गया।

श्री भैरोंसिंह : कब हो गया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : तारीख मुझे याद नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : मैं बताता हूँ कि १६-६-६४ को ऑब्जेक्शन की हियरिंग दी है और उसके बाद में गाड़ियां भेज दी हैं तो आपने किस स्टेज पर बिल्कुल खत्म कर दिया और गवर्नमेंट ने यह तय कर लिया कि पब्लिश नहीं हो ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं यह कहना चाहती हूं कि जिस वक्त में ये स्कीमें रोकी तो और कोई स्कीम हमारे सामने पब्लिकेशन के लिए नहीं थीं कि उनको पब्लिश करने से रोकते। जो थीं उनको रोका गया था।

श्री भैरोंसिंह : मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन यह करना चाहता हूं कि इस प्रकार का प्रश्न अजमेर-भीलवाड़ा का चल रहा था। इस प्रश्न में लीगल रिमेम्ब्रेन्सर ने सारी आपत्तियें स्वीकार कीं और उस स्कीम को रिजेक्ट कर दिया। उसके अगेन्स्ट में जब लोग हाई कोर्ट में गये, उधर से चित्तौड़ भीलवाड़ा और उदयपुर का मामला चला। उसमें और कोटा अकलेरा में कोई अन्तर नहीं है इस पर भी इस एक को रख दिया और दूसरे को रिजेक्ट कर दिया। कोटा अकलेरा और गंगानगर की स्कीम एक ही तरह की है। दोनों साथ साथ ली जानी चाहिये थीं, १० दिन का फर्क था उसको लागू कर दिया और गंगानगर को छोड़ दिया। एपेरेन्ट है कि उधर लागू नहीं करना चाहते ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : दोनों में साफ फर्क है । एक प्रेस में रुकी रही, ऑब्जेक्शन्स इन्वाइट करने के लिए पब्लिश नहीं हुई और दूसरी ऑब्जेक्शन्स के लिये पब्लिश हो गई । जो पब्लिश नहीं हुई थीं उनको रोका था; सिवाय इसके और कोई बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : जवाब मुकाबले का हो गया।

गंगानगर हनुमानगढ़ की बात छोड़ भी दें तो भी नीति का प्रश्न है। सरकार ने इस वर्ष राष्ट्रीयकरण की नीति घोषित की है उसमें कॉर्पोरेशन के द्वारा परिवर्तन हुआ है तो मंत्री महोदय पूर्णरूप से विचार करके तदुपरान्त घोषणा करदें कि सरकार की क्या मंशा है कॉर्पोरेशन बनाया जाता है राष्ट्रीयकरण की नीति को बल देने के लिए, जिसको आपने स्वयं ने स्वीकार किया है। लेकिन इस तरह से राष्ट्रीयकरण की स्कीम रुक जाती है तो सरकार ने जो नीति घोषित की हैं वह कार्यान्वित नहीं हो पायगी जैसी कि सरकार की मंशा है।

श्री भैरोंसिंह : इसमें बहुत बड़ा लेकुना है।

श्री अध्यक्ष : इसलिए पुनः विचार कर लें। कॉर्पोरेशन सरकार का क्रियेशन हैं कार्य करने का तरीका है, नोमिनेटेड आदमी हैं। जो घोषणा सदन में की जाय उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने की इस बारे में घोषणा हो जाय तो सबको संतोष हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह : एक बहुत बड़ा लेकुना क्रिएट कर दिया है, रेलवे के नोमिनीज़ को बिना पूछे नेशनलाइज़ेशन नहीं किया जा सकता।

श्री मथुरादास माथुर : आपके कहने का मतलब यह है कि रेलवे के नोमिनी को पूछा जायगा, लेकिन यह नहीं है कि उनको वीटो पॉवर होगा।

श्री भैरोंसिंह : आपने यह कहा कि जब तक उनको नहीं पूछा जायगा....

श्री अध्यक्ष : सरकार ने नीति घोषित की उससे पहले उनको कंसल्ट किया या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री) : वह तो एग्ज़ीक्यूटिव एजेन्सी है, पॉलिसी मेकिंग बोडी नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक गवर्नमेन्ट की पॉलिसी का सम्बन्ध है कॉर्पोरेशन इसलिए बनाया गया है कि उसके जरिये रिसोर्सेज़ ज्यादा ला सकें, लोन ले सकें, इस वजह से नेशनलाइज़ेशन का प्रोग्राम ज्यादा एक्टिवाइज़ कर सकें, ज्यादा अच्छी तरह से कर सकें। क्योंकि नेशनलाइज़ेशन का मामला प्लान में नहीं आता है इस लिए धनराशि हमारे पास नहीं होने से नोन प्लान में खर्चा नहीं कर सकते, इसलिए कई जरूरी काम रोक देते हैं उनको पूरा नहीं कर पाते हैं, रिसोर्सेज़ नहीं होने से पूरा नहीं कर पाते।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : गाड़ियें पड़ी हैं बेकार।

श्री मथुरादास माथुर : बेकार नहीं पड़ी हैं। इसलिए कॉर्पोरेशन बनाया है प्लॉनिंग कमीशन को पूछने के बाद। अब हमें लोन्स मिलेंगे और ज्यादा काम कर सकेंगे। यह हमारा प्लान या योजना है।

श्री भैरोंसिंह : आप, अध्यक्ष महोदय का जवाब दे दीजिये जिन रूट्स को नेशनलाइज़ किया उनके बारे में रेलवे के नोमिनी को पूछा था या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर ; पहले कॉर्पोरेशन नहीं बना था, the Corporation was conceived in the month of June, 1964 and it came into being on 1-10-1964.

श्री अध्यक्ष : इसके लिए माननीय सदस्यों के दिमाग में शंका उत्पादन हुई है कि कॉर्पोरेशन बना है जिसमें रेलवे के आदमी भी रहेंगे इससे आपके राष्ट्रीयकरण को धक्का लगेगा या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : कतई नहीं।

श्री अध्यक्ष : यह तो स्पष्ट हो गया, बहस की आवश्यकता नहीं है। मैंने निवेदन

(श्री अध्यक्ष)

किया था कि सदन में जो अधिकृत घोषणा हुई है इस सारे कार्य के बारे में, इस बारे में सरकार की क्या नीति है, उसकी शीघ्र से शीघ्र घोषणा कर दें।

(१.१५ म० प०)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

वित्त विभाग की अधिसूचना

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, वित्त) : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विभाग (रेवेन्यू सेक्शन) की अधिसूचना........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : एक मेरा स्थगन-प्रस्ताव रह गया।

श्री परसराम मदेरणा : संख्या एफ ५ (२१) एफ. डी. (आर. टी.) ६४, दिनांक १७ अगस्त, १९६४, जिसके द्वारा राजस्थान बिक्री कर नियम, १९५५ में संशोधन किये गये हैं, उनको सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (यातायात मंत्री): रेलवे के नोमिनी के बारे में.......

श्री अध्यक्ष : इस पर सोचना पड़ेगा, यह नीति का प्रश्न है, आप सोच-समझ कर करें।

यह शंका न हो जाय दिमाग में कि इसको केवल नीति को टालने का माध्यम बनाया गया है।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं बनेड़ा से तहसील हैड क्वार्टर हटाये जाने के संबंध में एक याचिका, देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित, उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, मैं देवगढ़ क्षेत्र में........

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्या हमेशा ट्रेज़री बैन्चेज़ से बोलती है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वहां ट्रेजरी बैन्चेज़ नहीं हैं, यहीं खत्म हो जाती हैं।

श्री अध्यक्ष : आप सब ट्रेज़री हैं क्या ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): आप सीमाएं निर्धारित करते हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : अध्यक्ष महोदय, मैं देवगढ़ क्षेत्र में अकाल सहायता कार्य में काम करने वाले मजदूरों की बकाया मजदूरी का भुगतान करने संबंधी उनके हस्ताक्षरों सहित याचिका को उपस्थापित करती हूं।

श्री अध्यक्ष : इन दोनों याचिकाओं को याचिका समिति के समक्ष भेज दिया जायगा।

(श्री अध्यक्ष)

वित्तीय कार्य।

अधिक अनुदानों की मांग १९६०–६१

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन)विधेयक, १९६४ (पुरः स्थापन)

श्री परसराम मदेरणा(उप-मंत्री, विधि): अध्यक्ष महोदय, मुझे दो बिल पुरःस्थापित करने हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेंट (अमेन्डमेन्ट)बिल, १९६४ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेंट (अमेंडमेंट)बिल, १९६४ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री परसराम मदेरणा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान आबकारी तथा कर अधिकारीगण (पदनाम परिवर्तन) विधेयक, १९६४

(पुरःस्थापन)

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान एक्साइज़ एंड टैक्सेशन ऑफिसर्स (चेन्ज इन डेज़िग्नेशन्स)बिल, १९६४ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान एक्साइज़ एंड टैक्सेशन ओफिसर्स (चेन्ज इन डेज़िग्नेशन्स)बिल, १९६४ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री परसराम मदेरणा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

कार्य-सलाहकार समिति के अट्ठारहवें प्रतिवेदन के उपस्थापन विषयक

श्री अध्यक्ष : कार्य सलाकार समिति के प्रतिवेदन के संबंध में माननीय सदस्यों ने पुनः विचार का सुझाव भेजा है अतः पुनः विचार किया जाकर सदन की कार्यवाही स्थगित होगी उससे पूर्व माननीय सदस्यों को सूचित कर दिया जायगा।

एक्सेस डिमान्ड्स।

(१.१९ म०प०)

अधिक अनुदानों की मांग संख्या ६४ व ६२ – राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्य में पूंजी की लागत तथा नागरिक निर्माण कार्य

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिक अनुदानों की मांग संख्या ६४, मुख्य शीर्षक ८५-राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्य में पूंजी की लागत के सम्बंध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २०,२७,१०६ रुपये की राशि प्रदान की जाय।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अधिक अनुदान की मांग ....

श्री अध्यक्ष : इसी मांग पर पहले-बहस हो जाय।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री वित्त): दोनों साथ ही हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : दोनों साथ ही हैं।

श्री अध्यक्ष : अच्छा ! ले लें।

श्री हरिश्चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ६२ मुख्य शीर्षक ५० – नागरिक निर्माण कार्य के संबंध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २२,०७,१५३ रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

[इन मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या ६२

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद):

(१) मांग संख्या ६२, मुख्य शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य में १)रु० की कटौती जांय (विभाग द्वारा ठेकेदारों को देय राशि के भुगतान में विलम्ब करने से उत्पन्न होने वाली स्थिति पर बहस करने हेतु)।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर)

(२) मांग संख्या ६२, मुख्य शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य में १००)रु० की कटौती की जाय (विभाग द्वारा ठेकेदारों को देय राशियों के भुगतान में विलम्ब के कारण दायर किये जाने वाले दावों से उत्पन्न स्थिति पर बहस करने हेतु)।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा(मावली):

(३) मांग संख्या ६२, मुख्य शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य में १)रु० की कटौती की जाय(विभाग द्वारा ठेकेदारों का भुगतान समय पर न करने के कारण अदालतों में चलने वाले मुकदमों की संख्या में वृद्धि पर विचार करने हेतु)।

(४) मांग संख्या ६२, मुख्य शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य में १००)रु० की कटौती की जाय (गांधीनगर क्वार्टर्स के लिए अवाप्त भूमि का मुआवजा अभी तक भी न दिये जाने के प्रश्न पर बहस करने हेतु)।

Page No. 61

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा):

(५) मांग संख्या ६२, मुख्य शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य में १००) रु० की कटौती की जाय (निर्माण कार्य के पुनर्विनियोजन द्वारा जो अधिक व्यय हुआ उस पर बहस करने हेतु)।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) :

(6) Demand No. XCII, Major Head 50-Civil Works, be reduced by rupee one(to discuss misappropriation of funds).

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल):

(७) मांग संख्या ६२, मुख्य शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्यों में १) रु० की कटौती की जाय (निर्माण कार्यों में हुई फिजूल खर्ची के कारण अधिक मांग आने पर बहस करने हेतु)।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा):

(८) मांग संख्या ६२, मुख्य शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (जो सरकारी दफ्तर व कर्मचारियों के रहने के लिये भवन बनाये जाते हैं उनमें खराब माल लगाये जाने पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या ६४

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा):

(१) मांग संख्या ६४, मुख्य शीर्षक ८१–राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्य पर पूंजी की लागत में १) रुपये की कटौती की जाए (सड़कों के निर्माण में घोटाले पर विचार करने हेतु)।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) :

(२) मांग संख्या ६४, मुख्य शीर्षक ८१-राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में १) रुपये की कटौती की जाए (निर्माण कार्यों के अनावश्यक जगह पर करने व जरूरी स्थानों पर नहीं करने पर विचार करने हेतु) ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर):

(३) मांग संख्या ६४, मुख्य शीर्षक ८१-राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में १) रुपये की कटौती की जाए (सड़क एवं भवन निर्माण कार्यों में अपव्यय के कारण अधिक हुये खर्चे पर विचार करने हेतु) ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा):

(४) मांग संख्या ६४, मुख्य शीर्षक ८१-राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में १००) रुपये की कटौती की जाए (सड़क व भवन के निर्माण में हुये अनावश्यक व्यय पर विचार करने हेतु) ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर):

(५) मांग संख्या ६४, मुख्य शीर्षक ८१-राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में १) रुपये की कटौती की जाए (निर्माण कार्य पर नये पूंजी की अनियमितता पर विचार करने हेतु) ।

Page No. 62

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर):

(६) मांग संख्या ६४, मुख्य शीर्षक ८१ राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में १) रुपये की कटौती की जाय (नागरिक निर्माण कार्य में हुई गबन घोटाले की लागत पर विचार करने हेतु)।

श्री गोकुल प्रसाद (मांडल) —

(७) मांग संख्या ६४,मुख्य शीर्षक ८१-राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्य पर पूंजी की लागत में १) रुपये की कटौती की जाए (मांग में बताये निर्माण कार्यों में फिजूल खर्ची हुई है इसलिये इस पर विचार करने हेतु)।

श्री गोविन्दसिंह (पिडावा):

(८) मांग संख्या ६४, मुख्य शीर्षक ८१-राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर पूंज की लागत में १) रुपये की कटौती की जाय (राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में हुई अव्यवस्था पर विचार करने हेतु)।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद):

(९) मांग संख्या ६४, मुख्य शीर्षक ८१-राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में १) रुपये की कटौती की जाय (सड़कों के निर्माण में घोटाले पर बहस करने हेतु)।

(१०) मांग संख्या ६४, मुख्य शीर्षक ८१-राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत में १) रु० की कटौती की जाय (सड़क व भवन के निर्माण में हुए अनावश्यक व्यय पर बहस करने हेतु)।]

अध्यक्ष: श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

(अनुपस्थित)

श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत राजाओं का राज्य खत्म हुआ, लेकिन राज्य सरकार ने इस सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा करप्शन और नेपोटिज्म के गढ़ बनाये और इस गढ़ के राजा बनाये हमारे मंत्री। मुझे बड़े दुःख के साथ निवेदन करना पड़ रहा है कि कोटा डिवीजन से केवल एक ही हमारे मंत्री हैं और झालावाड़ के हैं, जब जयपुर से वे झालावाड़ जायं तो बीच में कोटा और बूंदी आ जाता है। इस नाते कोटा वाले संतोष कर लेते हैं कि हमारे यहां का कोई मंत्री तो है। इस नाते, इस सहानुभूति के नाते इस बढ़ते हुए करप्शन और नेपोटिज्म को देखते हुए मैं तो निवेदन करूंगा कि यथा नामः तथा गुणः कहावत को चरितार्थ करें। इस नाम के व्यक्ति ने तो अपने धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया और उन्होंने अपने नाम को सार्थक किया। लेकिन दिखता ऐसा है कि हमारे मंत्री जी तो गद्दी से चिपटे हुए हैं और गद्दी इनसे छूटती नहीं। मैं इस नेपोटिज्म और करप्शन के सम्बन्ध में, जो नीचे के स्तर पर करप्शन और नेपोटिज्म होता है, उनका ध्यान आकर्षित करूंगा। लेकिन अभी अभी जो हाई लेवल के ऊपर नेपोटिज्म और करप्शन का केस हाई कोर्ट तक गया है, उसकी ओर, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्दर जो पांच एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर्स थे,

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

जो लगभग पांच साल से ऑफिशियेट कर रहे थे, उन पांच एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर्स, उन पांच व्यक्तियों के लिए एक दूसरी इन्क्वायरी कमेटी बना कर उनको रिवर्ट किया गया। उन पांच व्यक्तियों ने रिवर्ट होने के पश्चात् हाई कोर्ट के सामने एक याचिका पेश की। जब याचिका पेश की गई तो आरम्भ के अन्दर तो न्यायाधीशों ने यह मान कर कि उनके ऊपर जो चार्जेज हैं वह विदिन परव्यू ऑफ लॉ नहीं आते हैं इसलिए याचिका को रिजेक्ट करना चाहिए। लेकिन बाद में पिटीशनर्स ने, उन पांचों इन्जीनियर्स ने, स्पेसिफिक गवर्नमेंट के ऊपर और चीफ इन्जीनियर के ऊपर मेलाफाइडी के चार्ज लगा कर और मेलाफाइड ढ़ंग से अपनी पॉवर्स का दुरुपयोग कर रिट्रेन्च करने के और रिवर्ट करने के गम्भीर चार्जेज़ को पिटीशन में शामिल करते हुए अपनी पिटीशन

(१.२५ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

दी तो हाई कोर्ट ने उस पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया। जिस समय हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्ज़ चली और प्रोसीडिंग्ज़ बयान के अन्दर, बहस के अन्दर आई तो पिटीशनर्स के लायक वकील ने आपके इस डिपार्टमेंट के ऊपर और खास तौर से चीफ इन्जीनियर के ऊपर, श्री माथुर के ऊपर, स्पेसिफिक चार्जेज़ लगाये कि उन्होंने इन व्यक्तियों को जान बूझ कर रिवर्ट किया है, इसलिए किया है कि वे अपने व्यक्तियों को हर प्रकार से फायदा पहुंचाते थे। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने चार्जेज़ के अन्दर यहां तक कहा है कि किन्हीं पोस्ट्स पर ट्रान्सफर इसलिए किये गये हैं कि दस हजार, बीस हजार के और पेमेन्ट उन व्यक्तियों के द्वारा वे करवाना चाहते थे। इस कारण अमुक व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रान्सफर किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, केवल इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक बताया, जो कि हाई कोर्ट के फैसले में रेफरेन्स है और जिसकी कॉपी मेरे पास है, उसे मैं सदन की जानकारी के लिए पढ़ देता हूं:

"Adverse remarks given by Shri B. D. Mathur himself were not only against the rules but were also wrong absolutely. He pointed out a case in which Shri B. D. Mathur did not hesitate to spoil the careers of these young officers since they came in the way of his favourite contractors. He showed the records to the court under which orders of penalty etc. etc. Charged against the contractors were subsequently remedied costing the Government exchequer tens of thousands of rupees."

इस हद तक उन्होंने दृष्टान्त दिये कि केवल कुछ ठेकेदारान, जिनके ऊपर पैनल्टी के रूप में और जुर्माने के रूप में हजारों रुपये थे, उस जुर्माने को माफ करना चाहते थे और इसलिए जान-बूझ कर इन इन्जीनियर्स को ट्रान्सफर किया गया। इस प्रकार चार्जेज़ लगाये उनसे इसको सिद्ध करा अपनी पिटीशन के अन्दर कि जो उनको रिवर्ट किया गया है वह केवल इसलिए किया गया है कि अपने रिश्तेदारों को फायदा देना चाहते थे। इसके बाद

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

जो चीफ इन्जीनियर हैं उन्होंने यहां तक हिम्मत की कि उन पांचों सीनियर एक्टिंग इन्जीनियर्स का केरियर स्पोइल करने के लिए,उनका सर्विस रिकार्ड खराब करने के लिए लोगों पर असर डाला गया कि इनका सर्विस रिकार्ड खराब किया जाय और उसमें यह लिखा जाय कि सर्विस कर रहे थे उस सर्विस काल में ठीक प्रकार से काम नहीं किया और अमुक अमुक प्रकार की अवैध कार्यवाही की हैं और अनियमिततायें की हैं इसलिए इनको रिवर्ट किया गया है। जब इस प्रकार का कयास हाई कोर्ट में पेश किया गया तो जो पिटीशनर्स के वकील थे उन्होंने पिटीशनर्स की और से एक एफीडेविट पेश किया और सरकार को यह कहा गया कि उस एफीडेविट का काउन्टर एफीविट दे। जब इस प्रकार की स्थिति आई तो चीफ इन्जीनियर थे, उन्होंने जो सेक्रेटरी थे विभाग के उनके द्वारा पेश करवाया। उसके बाद चीफ जस्टिस ने उन्हें बाध्य किया कि सेक्रेटरी को क्रोस करने के लिए उस आधार पर हाई कोर्ट में पेश करें।

उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि अगर सरकार सत्य थी और चीफ इन्जीनियर सत्य थे तो मेरी समझ में नहीं आता कि उस एफीडेविट को सत्य साबित करने के लिए सेक्रेटरी श्री झाला को जिरह के लिए पेश किया जाता तो क्या आपत्ति हो सकती थी ? उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि जब यह एफीडेविट पेश किया गया और हाई कोर्ट ने कहा कि सेक्रेटरी को हाई कोर्ट के सामने क्रोस करने के लिए लाया जाय तो उन्हें क्रोस करने के लिए नहीं लाया गया और एडवोकेट जनरल से दरख्वास्त की गई कि किसी तरह से यह पिटीशन क्लोज़ हो........

श्री हरिश्चन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता चाहता हूँ what relevance this has got with the demand ? It is absolutely irrelevant. He can raise it on other occasions but it is not relevant to this demand.

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : माननीय मंत्रीजी ने आपत्ति की है। मेरी समझ में नहीं आता, इसमें कहां तक औचित्य है क्योंकि आप इस सदन से जब बजट पास कराते हैं........

श्री उपाध्यक्ष : घोटालों के विषय में बोल रहे हैं या सड़कों पर ?

श्री कृष्णकुमार गोयल: मेरा कट मोशन घोटाले से सम्बन्धित है मैंने जैसा आरम्भ में निवेदन किया कि जो लोअर लेवल पर करप्शन होता है वह तो होता ही है उसके तो मैं स्पेसिफिक केसेज़ पेश करूंगा लेकिन हाई लेवल पर जो एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर के कैडर के व्यक्ति हैं उनको रिवर्ट किये जाने के बारे में सरकार और सरकार के ऊन्च अधिकारी किस हद तक हथकंडे अपना सकते हैं, वह सब हाई कोर्ट के सामने नंगा हो चुका है।

श्री उपाध्यक्ष : एक बात निवेदन करूंगा कि सड़कों के निर्माण में घोटाला एक विषय है और आफिसरों की तैनाती इत्यादि अथवा उनकी पदोन्नती इत्यादि में जो गड़बड़ होती है

(श्री उपाध्यक्ष)

वह दूसरा विषय है। इसलिए इसका ख्याल रखें कि अपने कटौती प्रस्ताव की सीमा के बाहर अधिक न जायं, क्योंकि एक तो काफी कटौती प्रस्ताव माननीय सदस्यों को रखने हैं और दूसरे समय का भी तकाजा है, कल भी बहुत से रह गये थे। आज ऐसी परिस्थिति नहीं आनी चाहिए।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): सार्वजनिक निर्माण विभाग की डिमाण्ड बहस के लिए नहीं आती है।

श्री कृष्णकुमार गोयल: मैं निवेदन कर रहा था कि मुझे इन्टरप्ट किया इतने समय में तो मैं खत्म कर लेता।

मैं निवेदन कर रहा था कि हाई कोर्ट से इस स्टेज पर जाकर केस विदड्रॉ किया। और रिवर्ट ऑर्डर हाई कोर्ट में साबित हो कि वह रिवर्ट ऑर्डर गलत था, उससे बचने के लिए और हाई कोर्ट में जाकर यह प्रूव हो कि मेलाफाइडी थी, हाई कोर्ट में मेलाफाइडी साबित न हो जाय, इसलिए उन अधिकारियों के साथ समझौता करते हैं और ऐसा करके केवल अधिकारों के साथ खिलवाड़ ही नहीं किया लेकिन उस पर कितना खर्चा हुआ, जो तारीखों पर हर पेशी पर अधिकारियों की बड़ी फौज पड़ी रही उस पर भी कितना व्यर्थ खर्चा हुआ........

श्री उपाध्यक्ष: सड़कों के निर्माण से इसका क्या संबंध है?

श्री कृष्णकुमार गोयल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह एक घोटाले की बात है। आज लो लेवल या हाई लेवल पर छोटे या बड़े काम दिये जाते हैं उसमें विभाग जान-बूझ कर इस प्रकार का लेकुना छोड़ देता है कि जिससे ओवरसीयर और इंजीनियरों का मतलब हल हो सकता है और उनको रिश्वत खाने का मौका मिलता है। घोटाले होते हैं........

श्री उपाध्यक्ष: मैं फिर निवेदन करूंगा कि आप सड़कों के निर्माण में घोटाले होते हैं, उस पर ही कहें। क्योंकि आपका कटौती प्रस्ताव सड़कों के निर्माण में घोटालों पर हैं। आपको इस प्रकार का हैडिंग देना चाहिये था।

श्री कृष्णकुमार गोयल: उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती प्रस्ताव का हैडिंग है सड़कों के निर्माण में घोटाले पर विचार करते हेतु।

श्री उपाध्यक्ष: लेकिन administration is different.

श्री कृष्णकुमार गोयल: मैं यह निवेदन करूंगा कि आज तक जितने भी एस्टीमेट बनाये जाते हैं उनको बाद में रिवाइज़ किया जाता है और अधिकारी ही डाइरेक्ट कोन्ट्रेक्टर के कॉन्टेक्ट में जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भवन बनता है तो आरंभ में जो एस्टीमेट बनता है उसमें दरवाजे, खिड़कियें आदि की कोई पोजिशन नहीं रखते हैं और टेण्डर कॉल किये जाते हैं। टेन्डर आ जाते हैं और उसके बाद यह बात ध्यान में आती है तो एस्टीमेट रिवाइज़ होता है।

श्री हरिश्चन्द्र (निर्माण मंत्री) : I would again very humbly request that if there are any points which require investigation they will be investigated. But if they make allegations in wild way, it will be difficult for the Government to make a reply. If they have any specific grievance it can be investigated and looked into.

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं उसमें खास विषय उठाया जाता है। उसमें कोई त्रुटी हो या और कोई बात हो तो उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया जावे और इसका नोटिस इसलिए दिया जाता है कि उस सम्बन्ध में सरकार व विभाग से सम्बन्धित मन्त्री उस सम्बन्ध में सारी सूचना इकट्ठी करके अपना जवाब देते हैं। यदि आप एक प्रकार का कटौती प्रस्ताव लावें जिसमें आप सड़कों के घोटाले का जिक्र करना चाहते हैं तो उसी विषय पर रहें। इसके सारे मामले को डील करना शुरू करें वह भी आपको अधिकार है मगर जिस समय सूचना दें उस समय सारी सूचना होनी चाहिये ताकि मंत्री तैयार हो जावें उत्तर देने के लिये। यदि आप कुछ कहते हैं और मंत्री तैयार नहीं होते और उसका उत्तर नहीं देते हैं तो मंत्री का दोष माना जाता है। इसलिए जिस विषय पर कटौती का प्रस्ताव हो उस पर ही बोलें, उसके साथ कोई विषय हो तो थोड़ा उसका भी बयान कर दें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी व्यक्ति की आलोचना करने की नीति से यह नहीं कह रहा हूं। जो घोटाले होते हैं वे कैसे होते हैं और किस तरह से घोटालों की गुन्जायश रहती है उसकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं यह निवेदन करूंगा कि कोटा से पीपलदा तक सड़क बनाई गई वह कितने टुकड़ों में बांटी गई। और हर एक टुकड़े का कितना कितना एस्टीमेट बना और वहए स्टीमेट कितनी बार रिवाइज़ किया और अब वह एस्टीमेट रिवाईज़ किया गया तो ओरीजिनल एस्टीमेट से दुगुना हुआ, क्या यह सच है? इसका कारण यह कि जिस समय एस्टीमेट बना उस समय उसमें कहां से पानी आयेगा, कहां से बजरी आवेगी, कहां से कोन्क्रीट आवेगी, पत्थर कहां से आवेगा, उसकी दूरी इतनी पास में रखी गई थी कि उससे एस्टीमेट में कम पैसे दर्ज हुए। मगर जब वास्तव में कॉन्ट्रेक्टर ने कोन्टेक्ट लिया तो वह दूरी बहुत निकली और उसका नतीजा यह हुआ कि बाद में उस एस्टीमेट को आपको रिवाइज़ करना पड़ा। मैं यह कहूंगा कि आपको एस्टीमेट रिवाइज़ करना पड़ा है तो उसको रिवाइज़ करने से पहले ही आपने सब बातों का फिज़िकल वेरीफिकेशन करके ही एस्टीमेट क्यों नहीं बनाया ताकि आपको उसे रिवाइज़ नहीं करना पड़ता और बार-बार रिवाइज़ करने से वह कोस्ट एस्टीमेटेड कोस्ट से दुगुनी हो जाती है तो इसमें रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को मौका मिलता है। यह तो कोटा से पीपलदा के सड़क के एस्टीमेट की बात है। अब इस सड़क पर काम चलते हुए पाच साल हो गये मगर अभी एक टुकड़ा भी पूरा नहीं होता। इसके अलावा हर काम में टाइम लिमिट होती है।

आपने देखा होगा कि जिस कोन्ट्रेक्टर ने ठेका लिया उसका कभी भी काम टाइम लिमिट

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

में पूरा नहीं हुआ। आपको दो-तीन बार टाइम लिमिट एक्सटेन्ड करनी पड़ती हैं। आपके यहां टाइम लिमिट में अगर कोई काम पूरा नहीं होता है तो यह प्रोवीज़न है कि ठेकेदार पर १० परसेन्ट पैनल्टी लगेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने आज तक कितने केसेज़ में पैनल्टी १० परसेन्ट की ठेकेदारों से वसूल की ? मैं बहुत ही नम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि केवल एक दो एक्सेप्शनल केसेज़ हो सकते हैं बाकी सेन्ट परसेन्ट केसेज़ में काम पूरा नहीं होता और आपने किसी पर भी पैनल्टी नहीं लगाई। मौके पर आपके ओवरसीयर्स और इन्जीनियर्स होते हैं। वे लिखते है काम पूरा नहीं हुआ और जब एस्टीमेट जाते हैं तो कोन्ट्रैक्टर अधिकारियों के पास जाते हैं और टाइम लिमिट बढ़ा दी जाती है और पैनल्टी एग्ज़ेम्पट कर दी जाती है।

इसमें खास दो चीजें हैं। एक तो एस्टीमेट और दूसरा टाइम लिमिट। जिस समय अधिकारी एस्टीमेट बनाते हैं उस समय उसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि उसमें टाइम लिमिट होता है कि अमुक समय पर अमुक कार्य करना है। किन किन स्थानों से मेटीरियल आवेगा और उसमें जान बूझ कर दूरी कम रखी जाती है और या खामी रखी जाती हैं। पहले तो यह कहा जाता है कि ठेकेदार को सामान बहुत नजदीक मिल जावेगा। अगर कोई सड़क बनानी है तो उसका सारा सामान उपलब्ध होने का स्थान एक या दो मील बतावेंगे, लेकिन वास्तव में जब कॉन्ट्रैक्टर ने ठेका लेकर काम किया तो उस समय वह शिकायत करता है कि सामान दो मील में उपलब्ध नही है, यह ८ मील से लाना पड़ता है, तो उस कोन्ट्रैक्टर को ६ मील का डिफरेन्स मिलता है। इस तरह से उस आदमी ने जिसने टेन्डर नीचा दिया है उसको बाद में लाभ पहुंचा दिया जाता है। इसलिये मैं वह निवेदन करूंगा कि टाइम लिमिट पर और एस्टीमेट के नाम पर बड़ी भारी गड़बड़ियें होती हैं।

मैं तो केवल यह निवेदन करूंगा कि आप इन खामियों को देखें, इन पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें। यह खामियां सारे राजस्थान में हैं, जहां जहां कन्ट्रैक्ट देते हैं, चाहें रोडस के हों, चाहें बिल्डिंग्स के हों उनके लिये जो एस्टीमेट्स बनाये जाते हैं, टाइम लिमिट रखा जाता है, लीज़ बताये जाते हैं उनमें खामियां रहती हैं। जो अधिकारी इस प्रकार की खामियां रखने के लिये जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ आप एक्शन क्यों नही लेते ? उनके खिलाफ आप एक्शन नहीं लेंगे तो चाहे आप कितने ही रास्ते ढूंढें, चाहे कितना ही करप्शन को रोकने का बीड़ा उठायें, जब तक इन कमियों को दूर नहीं करेंगे, एस्टीमेट्स की कम्प्लायेंस नहीं होने देंगे तब तक इन खराबियों को नहीं रोक सकते।

सड़कों का इतना निर्माण करवाया जाता है, इस सम्बन्ध में क्या कभी सरकार ने सोचा है कि वे गांव जो ग्रेनरीज़ एरिया हैं उन गांवों के अनाज को मेन रोड़ पर लाया जा सके, कौन कौन सी उनके लिये कनेक्टिंग रोड्स हैं, इस पर क्या कभी आपने विचार किया है ? घोटालों को छोडिये पर क्या सरकार ने कभी इन्टीरियर विलेजेज़ को जो ग्रेनरी एरियाज़ हैं, मेन रोड़ से कनेक्ट करने पर विचार किया है

Page No. 68

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

ताकि वे मेन रोड़ पर अपनी अनाज की गाड़िया ला सकें ? कोटा केवल सेल्फसफिशियेन्ट एरिया ही नहीं हैं बल्कि मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ कि अगर वहां के अनाज को अच्छी तरह से प्रोक्योर करलें तो सारे राजस्थान को खिला सकते हैं। पर दुर्भाग्य है कि गांवों को लिंक रोड्स बना कर मेन रोड़ से कनेक्ट नहीं किया जाता। बरसात के दिनों में उन गांवों से माल गधों के द्वारा, मवेशियों के द्वारा या गाड़ियों के द्वारा नहीं लाया जा सकता। इन गांवों को मेन रोड़ से कनेक्ट करने पर सरकार ने कभी विचार ही नहीं किया है। माणस गांव का पुलिया है उसको टूटे आज ५–६ साल का अर्सा हो गया। उसको ठीक करने में एक लाख का एस्टीमेट आयेगा पर पांच, छ: बार पैटी कोन्ट्रेक्ट दे कर ५०-६० हजार रुपया मदनलाल पाटनी को दे चुके हैं, जिसको कोटा का बच्चा बच्चा जानता है कि वह कैसा ठेकेदार है, उनको ठेके दिये गये, उनके लड़कों को ठेके दिये गये, मैं यह कहना तो भूल ही गया वे एक बड़े भारी कांग्रेसी हैं भूतपूर्व नगर परिषद् के सदस्य भी वे रहे थे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): कांग्रेसी के लिये सर्टिफिकेट लेना पड़ता है क्या ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : कांग्रेसी कोई काम ही नहीं कर सकता ? कांग्रेसी के लिए डिस्क्वालिफिकेशन है क्या ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : माणस गांव की पुलिया पर से बड़े बड़े गांवों का रास्ता गुजरता है जहां से कोटा की मंडी को अनाज पहुंचाया जाता है, स्टेट ट्रान्सपोर्ट की बसेज़ भी पास ही हैं, पर वह पुलिया पांच, छ: साल से बेकार पड़ा हुआ है, पैटी कोन्ट्रेक्ट्स के नाम से करीब पचास, साठ हजार रुपया मदनलाल पाटनी को दे चुके हैं, जब कि वह पुलिया १ लाख में बिल्कुल ठीक हो सकता है।

आप खुद एक पुलिया का उद्घाटन कर के आये, आरम्भ में एक एस्टीमेट बना उसके पास होने के बाद आपने उद्घाटन कर दिया। उसके बाद आपके अधिकारी विचार करते हैं कि एस्टीमेट बदलना चाहिये, साइट बदलना चाहिये। इस प्रकार आपके अधिकारियों द्वारा गड़बड़ की जाती है। वहां जगह जगह पर रास्ते टूट गये हैं, आपकी योजना इतनी गलत और त्रुटिपूर्ण है कि यातायात में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कोटा से इटावा तक का रास्ता खराब हो गया है पर बसें पहुंच सकती थीं। बड़ी पुलियाओं के बनाने के ठेके दे दिये पर एग्रीमेंट के माफिक बरसात से पहले पुलियाएं नहीं बन पाईं, जब कि बरसात से पहले पहले बन जानी चाहिये थीं। और वे बेकार पड़ी हुई हैं, काम पूरा नहीं हुआ, उसका नतीजा यह हुआ कि बसेज़ आज तक नहीं पहुंच पाती हैं। हमारी और कोटा डिवीजन की आपके साथ पूरी सद्भावना है, आप इन खामियों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें ताकि आपके गढ़ में आपकी छत्र-छाया में यह करप्शन नहीं चल सके।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय,............

श्री उपाध्यक्ष : I would request the hon. Members to confine their speeches within 10 minutes.

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मैं अंग्रेजी नहीं जानता, मुझे हिन्दी में समझा दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग में जितना पक्षपात और घोटाले हैं उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा।

श्रीउपाध्यक्ष : ३॥ बजे तक १० मिनिट रहेंगे, बाद में कम हो जायेंगे।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : बूंदी जिले का ऐसा दुर्भाग्य है कि महाराजा साहब के और बूंदी के एक कांग्रेसी नेता के आपस में बड़ी टक्कर है।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : वह खत्म हो गई है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : वह खत्म नहीं हुई है। बजट में बूंदी जिले के लिये प्रावधान रखते हैं, साढ़े चार, पांच लाख का हर साल का बजट सार्वजनिक निर्माण के कार्यों के लिए बूंदी जिले के लिए रखा जाता है पर उसमें से एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाता। तीन साल से बराबर वहां हर साल ५ लाख का बजट लेप्स होता आ रहा है। वहां सड़कों की हालत बहुत खराब है। बजट में प्रावधान होता है पर एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि बूंदी जिले के लिए जब कि हर साल ५ लाख का बजट रखा जाता है तो वह खर्च क्यों नहीं किया जाता?

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : वहां सड़कें बहुत पहले से ही बनी हुई हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : कोटा से लेकर पाटन वाया लाखेरी, बूंदी से गेनोली (केनोड़ी) सड़कों की कितनी खराब दशा है, यह माननीय मंत्री महोदय खुद जानते हैं।

आपको मैं याद दिलाऊं कि मेज़ नदी के पुल के निर्माण के बारे में सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि दो वर्ष में वह पूरा हो जायगा, पर आज तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। ठेका जिला कांग्रेस के प्रेसीडेन्ट के पास है, आप उन पर दबाव नहीं डाल सकते, दबाव डालते हैं तो कई बाधाएं आप के रास्ते में आ सकती हैं। आपकी राजनैतिक प्रतिद्वन्द्विता के कारण बूंदी जिला पिस रहा है। आपकी डिस्ट्रिक्ट, में झालावाड़ में, आराम से खूब काम चल रहा है। राज एण्ड कम्पनी को ठेके के काम दिये जा रहे हैं, राज एण्ड कम्पनी में शायद आपके शेयर्स होंगे, आपके नहीं तो आपके रिश्तेदारों के होंगे। झालावाड़ में कितने काम चल रहे हैं, सारा बूंदी जिले का बजट झालावाड़ में चला जाता है, राज एण्ड कम्पनी, उसमें कई आपके रिश्तेदार हैं, प्राइवेट शेयर होल्डर्स हैं....

श्री हरिश्चन्द्र : कहां?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : झालावाड़ में।

श्री हरिश्चन्द्र : हर राजपूत मेरा रिश्तेदार नहीं हो सकता।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : महारानी साहिबा के शेयर्स हैं....

श्री हरिश्चन्द्र : नहीं।

Page No. 70

(श्री हरिश्चन्द्र)

It is a very serious matter । हर राजपूत मेरा रिश्तेदार नहीं हो सकता

श्री हरिप्रसाद शर्मा : राज एण्ड कम्पनी झालावाड़ में है कि नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : मुझे मालूम नहीं ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आप जान-बूझ कर भोले बन रहे हैं....

श्री हरिश्चन्द्र : राजपूत कम्पनी ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : राज एण्ड कम्पनी ! आप मंत्री नहीं थे तब आपके ठेके चलते थे, आज भी चलते हैं, वहां ठेके के कामों में कई घोटाले चलते हैं, झालावाड़ की सब जनता जानती है, तो आज यह हालत है। हमने समझा था कि एक राजघराने के बहुत बड़े मंत्री आने के बाद भ्रष्टाचार समाप्त हो जायगा, पक्षपात दूर हो जायगा, क्यों कि आप का तो नाम ही सत्यवादी हरिश्चन्द्र है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि बूंदी जिले के अन्दर जो सार्वजनिक निर्माण कार्य के लिए सैंक्शन्ड हैं वे तीन साल से लैप्स हो रहे हैं । आपने एक पैसा भी खर्च नहीं किया, बताइये क्या कारण है ?

श्री हरिश्चन्द्र : आप तो यूं ही बैठ जायेंगे ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मैं जानता हूं कि आप काम नहीं करेंगे । आप ज्यादा से ज्यादा, यदि नाराज होंगे तो वहां की जनता को देख दें, सड़कें बनें या नहीं, यह मेरा काम है, मैं देखूंगा । मैं आपसे कई बार प्राइवेट में भी मिला हूं । आपने सारी बातों का विश्वास दिलाया । पाटन गांव के अन्दर गांव से स्टेशन तक ५-५ फीट पानी पड़ा हुआ है और अभी तक सड़कें नहीं बनी । लाखेरी में श्रम कल्याण केन्द्र के लिए एक लाख मन्जूर हुए उसमें से सिर्फ ५० हजार अभी तक लगे हैं, वहां अभी तक फाटक भी नहीं लगा और गधे आकर अन्दर बैठते हैं । कर्वा से इंद्रगढ़ रोड है । आपने कहा था कि काम जारी है, लेकिन सारा का सारा काम बंद पड़ा हुआ है । लाखेरी से मकेला का ठेका आपने कांग्रेस के प्रेसीडेंट सरदारसिंह को दिया । ऐसे ठेकेदारों को आप खत्म क्यों नहीं करते ? तो मैं फिर दुहराना चाहूंगा कि आप जैसे सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र के दिमाग में पक्षपात की भावना है, यह कोटा डिवीज़न वालों के लिए दुर्भाग्य की बात है । हमारे जो काम हैं उनके लिए आपको जबाब देना पड़ेगा । तीन साल से ५ लाख रुपये बूंदी के लैप्स हो रहे हैं, इसका क्या कारण हैं ?

(१.५२ म. प.)

संशोधित कार्य सालहकार समिति के अट्ठारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर सहमति

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : क्षमा कीजिए, मैं इन्टरवीन करना चाहता हूं कि सलाहकार समिति की जो रिपोर्ट है, आज की एजेण्डा के अनुसार पेश करनी थी, उसमें तरमीम करनी थी । सब मेम्बरों से इन्फोर्मल डिस्कशन होने के बाद में तरमीम

(श्री मथुरादास माथुर)

शुदा रिपोर्ट, कार्य सलाहकार समिति के १८वां प्रतिवेदन का उपःस्थापन करता हूं । मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के १८वें प्रतिवेदन पर सहमति प्रकट करता है ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कार्य सलाहकार समिति की १८वीं रिपोर्ट पर ?

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन, संशोधनानुसार, स्वीकृत हुआ ।

अधिक अनुदानों की मांगें ६४ व ९२

(पूर्व क्रम से)

श्री विजयसिंह झाला ।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ।

(अनुपस्थित)

श्री गोकुल प्रसाद ।

(अनुपस्थित)

श्री गोविन्दसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं भी बोलना चाहता हूं । मेरे कट मोशन्स थे ।

श्री उपाध्यक्ष : I am sorry. प्रश्न यह यह है कि मांग संख्या ६४, मुख्य शीर्षक ८१-राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के संबंध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २०,२७, १०६ रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकृत हुई ।

श्री हरिशचन्द्र : I would like to give reply.

श्री उपाध्यक्ष : I am sorry for this but you can speak on this also after Demand No. 92.

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेरे दोनों मांग संख्याओं पर कट मोशन्स थे, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : मांग संख्या ९२ ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

श्री सम्पतिलाल बोहरा ।

(अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री विजयसिंह झाला।

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्रीमती नगेन्द्रबाला।

(अनुपस्थित)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): मैंने अपना कट मोशन विभाग द्वारा अजमेर जिले में ठेकेदारों को देय राशि के भुगतान के विलम्ब करने के बारे में रखा है। विभाग में जो बदलाव हुआ करते हैं उसमें सारी स्कीमों के अन्दर दिक्कत हो जाती है। निर्माण विभाग के मातहत हमारे वाटर वर्क्स हैं....

श्री हरिश्चन्द्र: This has nothing to do with the P. W. D.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: आप सुन तो लीजिए। Let me express.

श्री हरिश्चन्द्र: The P. W. D. has nothing to do with it.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: Let me explain। आपके यहां सारी स्कीमें बनीं।

श्री हरिश्चन्द्र: पब्लिक हैल्थ ने बनाई। The P. W. D. has nothing to do with the Public Health.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: पब्लिक हैल्थ और आप अभी अभी अलग हुए हैं। मुझे कहने तो दीजिए।

श्री हरिश्चन्द्र: मैं उसका जवाब नहीं दे सकता क्योंकि वह मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। I would request you not to do it.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: अब आपने छोड़ दिया है, इससे मुझे क्या ताल्लुक है? मैं तो सारी स्थिति आपको और सरकार के पास पहुंचाना चाहता हूं। आज यह हालत है कि वहां १६ मील पाइप कम है। क्या स्कीम्स निकलती हैं? अजमेर पानी के बगैर तरसता है, नसीराबाद....

श्री हरिश्चन्द्र: This relates to public Health. यहां तो पी. डब्ल्यू. डी. पर डिस्कस हो रहा है और माननीय सदस्य पब्लिक हैल्थ पर बोल रहे हैं। मैं क्या जवाब दूंगा?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: यह डिपार्टमेंट आपके मातहत था और अभी अलग हुआ है। मुझे अपनी बातें कहने तो दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: इस ढंग से आप अपनी बात घुमाइए कि उसको भी टच कर जाय।

श्री हरिश्चन्द्र : यह तो सबको टच करता जायगा, पता नहीं चलेगा । यह मेरी डिमांड से बाहर है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपको परवाह हो इस बात की कि लोग आराम में रहें, लोगों को विश्वास हो........

(२.०० म० प०)

तो मैं अर्ज कर रहा था । दस मिनिट मिले हैं, वे खराब न किये जांय । पांच मिनिट इस पर और पांच मिनिट दूसरे सब्जेक्ट पर बोलना चाहता हूं । आप इन्डस्ट्रीज़ मिनिस्टर भी हैं । १६ मील का पाइप कम है । यह नहीं है कि उसको खरीद लिया जाय । कुए खुदे हुए हैं, लाखों रुपये लगेंगे, पाइप कम है इसलिए पानी नहीं आ सकता है । उस पाइप के लिए क्या स्थिति है, यह सुनने की बात है ।

श्री उपाध्यक्ष : The pipe is not subject of this demand.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट का है । आप आउट ऑफ वे जाकर भी ध्यान दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष : Even then the Minister will not be able to reply to this.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : दो मिनिट में ।

१६ मील के पाइप के लिए उन्होंने क्या व्यवस्था की ? यह कहने देना नहीं चाहते, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं । आप भी ध्यान से सुनें । १६ मील में कारखाना चलाना चाहते हैं । कोटा ले लिया पाइप नहीं बनायेंगे, इन्डस्ट्रीज़ से टीन लेकर गड़बड़ी कर रहे हैं । आप मत जवाब दो, खा जाओ । आज दिन है उसका, लेकिन मैं पूछना आपसे चाहता हूं कि १६ मील तक के लिए पाइप चाहिये । हिन्दुस्तान ने उसके लिए कारखाने नहीं खोले है क्या ? पैसा मारने की तरकीब क्या है ? कौनसी यह स्कीम है ? मैंने एक बात का ध्यान दिलाया, आप जवाब दो या न दो ।

सड़कों के बारे में निर्माण मंत्रीजी के इस विभाग की तारीफ भी करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : So far your aim is looking mis-directed.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : No, Sir, it was important for you also He acn ask his collegues and they can reply, for not bringing water to Ajmer, Nassirabad and Kekri for the last five years. People areloocd tking to them and every year it is postponed.

Now I come to another point.

यह एक डिपार्टमेन्ट ऐसा है जिसके बारे में आपको कुछ मिलता है । यह वह डिपार्टमेन्ट नहीं है समाज का वेलफेयर हो रहा है, समाज कल्याण हो रहा है, या खादी बोर्ड हो रहा है जिसको कोई देख न सके । यह डिपार्टमेन्ट इस तरह का है कि जो नेशनल वेल्थ को बढ़ाने वाला है । इसलिये सदन को यह देखना चाहिये कि इस पर जो खर्चा

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

होता है वह सारे देश व प्रान्त के लिए होता है। यह सही है कि देश में जल्दी इम्प्लीमेन्ट होने वाली चीजें हों उन पर जल्दी से जल्दी खर्चा करके काम किया जाय। यह बात समझ में आ सकती है। यह नहीं कि एक छात्रालय चल रहा है, हजारों रुपया खर्च हो रहा है लेकिन तीन स्टूडेन्ट्स ही पढ रहे हों और वे भी नाम मात्र। ऐसे मामलों में तो रुपया कट नहीं होता है! बजट पास करवाते हो सड़कों आदि के मामले में तो कट होता है। मैं चर्ज करता हूं कन्सर्न्ड मिनिस्टर को कि जब बजट पास करवाते हो तो कह देते हो कि यह होगा, वह होगा। लेकिन यहां से जब निकलते हो, तो ३३ परसेन्ट कम होगा। क्यों? उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। यह ज्यादती है कि पैसा नहीं मिले। निर्माण विभाग को ज्यादा से ज्यादा पैसा देना चाहिये जिससे हमारी तरक्की, स्टैन्डर्ड ऑफ लिविंग बढ़े।

मैं कट मोशन के सिलसले में कहना चाहता हूं। मिसाल के तौर पर कहना चाहता हूं, आप सब ही जानते हैं। फस्ट फाइव ईयर प्लान था उस समय अजमेर स्टेट अलग थी। उस समय यह तय हुआ था कि फर्स्ट फाइव ईयर के बाकी बचे हुए काम हैं वे दूसरी पंचवर्षीय योजना में पूरे किये जावेंगे उनके लिए एलोकेशन्स होंगे। जो स्कीम बनी थीं, उनको युटिलाइज़ करेंगी। एलोकेशन्स किए हुये थे। किन किन सड़कों का निर्माण किया जावेगा, यह सब स्कीमें बनी हुई थी, उसका रुपया मौजूद था। दूसरी योजना में, सब बातें मौजूद थीं लेकिन अजमेर मेरवाड़ा की उन सडकों को आज तक बनाने में, उनको पूरी करने में जब कि एलोकेशन्स थे, स्कीमस थीं, यह डिपमेर्टन्ट फेल रहा है। एक मोरल बाइन्डिंग था कि जो एलोकेशन्स थे और फर्स्ट फाइव ईयर प्लान की बाकी बची हुई स्कीम्स थीं जो कि दूसरी योजना में ली जाने वाली थीं उनको पूरा नहीं किया गया, कई सड़कें पड़ी हुई हैं। हर साल टाल देते हैं। उस रुपये को दूसरी जगह युटिलाइज़ कर दिया। वह अजमेर के लिए था और उसके साथ बड़ा भारी अन्याय किया गया। उस सारे प्लान को यों ही पड़े रहने दिया। सेकन्ड फाइव ईयर में उसको टेक अप नहीं किया। सवाल हैं क्यों पड़ा रहा? हम यह महसूस करते हैं कि पी.डबल्यू.डी. मिनिस्टर हमारे यहां के नहीं हैं। हमारे यहां के मिनिस्टर इतने गाऊ हैं या गाऊ के बच्चे हैं, वे आपको कुछ कहते नहीं हैं।

श्री निरंजनाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह): It is unparliamentary, Sir. it is a reflection over the Ministers.

श्री उपाध्यक्ष : The objection is that it is unparliamentary to say that.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : क्या बात हुई?

श्री निरंजननाथ आचार्य : It is a contemptuous expression,

"गाऊ के बच्चे हैं"

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : क्या बुरी बात है 'गाऊ के बच्चे' होना?

श्री उपाध्यक्ष : I rule out the objection. It is quite all right.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं यह कह रहा था कि उनके ध्यान नहीं देने से इन्होंने इस बात पर गौर नहीं किया। फाइनेन्स मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं, आप अजमेर के अन्दर स्कीम्स पास करके आये, उनका क्या हुआ? सड़कों पर पत्थर पड़े जो हवा और बरसात से सड़ गये। रामसर और श्री नगर रोड़ की बात तीन साल से कह रहे थे। हर वक्त टारगेट बनाया जाता कि फर्स्ट फाइव ईयर की पहले गौर करेंगे और सेकन्ड फाइव ईयर की बाद में। जहां आपकी नजरें इनायत हुई उनकी सड़कें बनती हैं और हमारी ओर ध्यान नहीं दिया जाता हैं। अजमेर के ८ जने आपकी तरह से ही हुकूमत चला चुके हैं चूंकि हम तरक्की में ज्यादा थे, आज आपके हाथ में हुकूमत है इसलिए हमारा गला पकड़ कर मत खींचिये। हमारी सड़कों के निर्माण का आपको पूरा ध्यान देना है इसलिए नहीं कि यहां के चार चार मिनिस्टर हैं, इसकी जरूरत नहीं है, जनता को रिलीफ मिलना चाहिये। चार मिनिस्टर तो राजस्थान के हो गये। हमसे उनका ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक इस बात से कि चार मिनिस्टर वो और १८ मिनिस्टर, कितना ध्यान देते हैं अजमेर की जनता के लिए। पीने के लिए जनता को पूरा पानी नहीं मिलता है, सड़कों के लिए पैसा नहीं मिलता है। फर्स्ट फाइव ईयर प्लान की सड़कें ही पड़ी हैं। अजमेर-मेरवाड़ा की जनता पर क्यों छुरी चलाते हैं? मैं जोरादार शब्दों में इसलिए कहता हूं कि मिनिस्टर महोदय इस ओर ध्यान देंगे। आप उसी स्पिरिट में काम पूरा करिये, १८ आदमी बराबर के हैं। अजमेर-मेरवाड़े को गर्क में मत गिराइये, उनके विकास को नहीं रोकिये।

श्री उपाध्यक्ष : The hon'ble Minister.

श्री हरिशचन्द्र (निर्माण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जहां पर दो एक्सेस डिमान्ड्स पेश की हैं, मैं आशा करता था कि माननीय सदस्य अपने रिमार्क उन एक्सेस डिमांड्स पर रखेंगे लेकिन उन्होंने कई बातें और भी रखीं जिन पर थोड़ा जवाब जरूर अर्ज करूंगा।

जो सामान पी. डब्ल्यू.डी. के लिये लाया जाता है उसका पहले सस्पेन्स अकाउन्ट में इन्द्राज़ होता है और उसके बाद जो सामान साइट पर जाता है वह उन प्रोजेक्ट्स पर डेबिट होता है।

जो फीगर बताये गये हैं वे सस्पेन्स अकाउन्ट में जमा इन्द्राज़ हुए। इसके बाद जब वर्क शुरू हुआ और खर्चा पड़ा तो उस एक्सेस के ये फीगर्स हैं।

चूंकि माननीय सदस्यों ने इस बारे में जिक्र ही नहीं किया और दूसरी जगह हमने लगा दिया तो कम से कम सदन को मालूम होना चाहिए कि यह एक्सेस डिमाण्ड किस चीज की है, इसलिए मैंने निवेदन किया। पी. डब्ल्यू. डी. के हास स्टील, सीमेंट, बिटूमन यानि कोलतार, पेन्ट, ग्लासेज़ आदि चीजों की जरूरत पड़ती रहती है और वे जब खरीदते हैं तो उसका अकाउन्ट सस्पेन्स अकाउन्ट में रखा जाता है और जैसे तैसे बिल्डिंग आदि में

(श्री हरिश्चन्द्र)

वे लगते जाते है उसमें जो एक्सेस खर्चा ६०-६१ का हुआ है उसको आज विवरण द्वारा रखा गया है। यह मैं निवेदन करना चाहता था।

दूसरा जो २०२७१६०) का खर्चा हुआ है वह रोड़ और बिल्डिंग में एक्सेस हुआ है वह है। तो माननीय बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य उसमें पढ़ते तो शायद रोशनी और गिरती कि यह बिल्डिंग और एस्टेब्लिशमेंट पर हुआ है। अब माननीय सदस्य की क्या यह मंशा है कि खास तौर से बूंदी से आने वालों की कि वर्करों को पेमेंट करते हैं, पेमेंट बढ़ाने की घोषणा करते हैं, डेली वेजेज़ में बोढ़त्तरी करते हैं वह वह उनको न दिया जावे? तो इसमें ये तीन तरह के एक्सेस हुए हैं। अगर आप थोड़ा समय निकाल कर इनको देखते तो आपको यह महसूस होता।

आपने इसकी परवाह नहीं की, मुझे यह बताना पड़ा कि एस्टेब्लिशमेंट वालों का जो पांच-पांच रुपया बढ़ा उससे भी यह एक्सेस हुआ। आप तो एक तरफ देखते हैं। सरकार कोबुरा-भला जो कहना हो कह दो, बाकी जो होगा, निपटते रहेंगे। इन चीजों के लिये भी आपको सरकार को भूलना नहीं चाहिये।

तो मैंने अर्ज किया कि यह जो २०,२७' १६० रुपया हुआ है एक्सेस वह इस तरह से हुआ है।

अब जो कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने फरमाया उसमें सबसे पहला मुद्दा उठाया एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियरों का। उनका रिवर्शन हुआ और उसमें आपने सबको घसीट लिया। मैं समझता हूं यह उचित नहीं है। इसलिये किसर कार एक पद्धति पर चलती है और वह यह कि अफसरों के जो प्रोमोशन्स वगैरह होते हैं उसके अन्दर एक कमेटी बनाई जाती है उसमें पी.एस.सी. का भी मेम्बर होता है, अपोइन्टमेंट विभाग का सेक्रेटरी भी होता है और चीफ इन्जीनियर भी होता है और इसके अलावा सेक्रेटरी, पी.डब्ल्यू. डी. भी रहता है। तो यह मामला वहां गया। उन्होंने फैसला किया। इसके बाद सरकार के पास जाता। मामला गया। तो चूंकि सरकार ने कमेटी बना दी थी तो सरकार को उसका फैसला मन्जूर करना चाहिए। सरकार ने मन्जूर किया। अब अगर कोई उस फैसले से एग्रीव्ड है तो उसको नेचुरली अधिकार होता है कि वह अपने हक को बचाने के लिए या हकों की पाबन्दी करने के लिए हाई कोर्ट में जावे, वे गए। फैसला हुआ इसमें कहीं पर भी चीफ इन्जीनियर पर आरोप नहीं लगा। आप लगा सकते हैं। हर आदमी चार्ज लगाने में/हशियार है। पर हाईकोर्ट के फैसले में नहीं है। इसलिए यह कहना कि चीफ इन्जीनियर ट्रान्सफरों पर गड़बड़ करते हैं या और आदमी गड़बड़ करता है, मैं समझता हूँ यह सत्य से परे है। इसलिए मैं इस बहस में ज्यादा न पड़ कर आगे चलता हूँ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : मैं एक क्लेरिफिकेशन चाहूंगा। आप फरमाये कि पीटीशन जो पेश की गई कोर्ट में उसमें प्रिन्सिपली मेलाफाइडी का चार्ज लगाया था। इसके बाद प्रोसीड नहीं किया सरकार ने और जिसमें मेलाफाइडी का चार्ज था और चीफ इन्जीनियर को जिसमें टारगेट बनाया था उसमें

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

इफीडेविट की जब स्टेजआई और भाला साहब को क्रोस एग्जामिन किया गया उस वक्त सरकार का प्रोसीड न करना, प्रेस न करना, यह किस बात का द्योतक है ?

श्री हरिश्चन्द्र : जो जजमेंट हुआ है आप उस पर कन्सेन्ट्रेट करें। प्रोसीडिंग में ऐसी बात निकलती होगी तो सरकार ध्यान देगी । पर जजमेंट में कहीं पर भी चीफ इन्जीनियर या किसी पर कोई ऐसा आक्षेप नहीं है। अब उससे कोई और चीज निकलती होगी तो उसके लिए चीफ सेक्रेटरी, गवर्नमेन्ट, आगे कदम उठावेंगे, क्या उठायेंगे ये नहीं कहा जा सकता। पर आपने जो कहा कि दस हजार, पांच हजार रुपये ले लेते हैं, फिर ट्रान्सफर करते हैं। ऐसा जजमेंट में कहीं रिफ्लेक्शन नहीं है. इसलिए यह कहना कि फलां दस हजार खा गया, बीस हजार खा गया, मैं निवेदन करूंगा इस तरह के आरोप लगाना इससे पहले अपने आपके पास कोई ऐसा प्रमाण हो तो आप बताइये। सरकार हमेशा जागरूक है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने प्रेस क्यों नहीं किया ? उठा क्यों लिया ? आप प्रोसीडिंग्ज़ देखिये ।

श्री हरिश्चन्द्र : लेकिन मैं तो जजमेंट पर जाऊंगा । हाई कोर्ट का क्या डिसीज़न हुआ, उस पर जाऊंगा, और बहस में नहीं पड़ना चाहता ।

जैसा मैंने अर्ज किया कि यदि मैंने अकेले ने ही इन्जीनियर्स का प्रमोशन किया होता तो आप मुझे कहते there was a definite comittee for promotions in which there are four members. और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर्स हैं उन कमेटियों के अन्दर उसको देखें और मैं कह दूं कि करप्शन दो-एक आदमियों के बीच होता है न कि जहां चार पांच आदमी हों ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ४ मेम्बर्स कमेटी के अन्दर थे उसमें एक नम्बर की गलती कर दी। यह हाईकोर्ट में बहस के दौरान आया है।

श्री हरिश्चन्द्र : लेकिन जजमेन्ट में कुछ नहीं आया है। मैं तो जजमेन्ट को देखता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : साढ़े इकसठ नम्बर आये है उसको आप प्रमोशन देंगे और जिसके साढ़े इकसठ से कम हैं उसको आप प्रमोशन नहीं देंगे। काउन्टिंग के अन्दर साढ़े इकसठ के अन्दर साढ़े साठ आये...

श्री हरिश्चन्द्र ; आप थोड़ा लेट आये, मैं कह चुका हूं। और इससे कोई और चीज शुरू होती है जिससे कॉग्नीज़ेन्स एडमिनि-स्ट्रेशन को लेना पड़ेगा तो लेंगे ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या यह सत्य है कि गवर्नमेंट के डिसीज़न के ऊपर एडवोकेट जनरल ने कन्सीड किया था ?

श्री हरिश्चन्द्र : एस्टीमेट्स के बारे में माननीय सदस्य जो कोटा से आये हैं उन्होंने कहा....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप तो यह बतायें कि रिट मन्जूर होने के बाद में क्या कॉग्नीज़ेन्स डिपार्टमेन्ट ले सकता है ?

श्री हरिश्चन्द्र : I am not prepared to discuss every problem here. If there are any administrative things to be followed, they will be followed. But I cannot give any assurance at this stage.

तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि जहां तक एस्टीमेट्स का मामला है आप कहते हैं कि यह बिल्कुल सही है कि एस्टीमेट्स हमें रिवाइज़ करने पड़ते हैं, लेकिन जिस रफ्तार से हमारे देश की इकोनोमिक हालत बदलती जा रही है उसमें अगर आप देखें तो ६ महीने के पीरियड में ही एस्टीमेट्स में फर्क पड़ जाता है । जो आज आप एस्टीमेट्स बनाते हैं उनको आपको हर ६ महीने के बाद चेन्ज करना पड़ेगा । is continuous process इसलिये जितनी धन-राशि हमें मिलती है उसी में हम काम करते हैं इसका मतलब यह नहीं कि साल भर के अन्दर ही हम सारा पैसा खत्म करदें । इतना पैसा खर्च करने के लिए न तो हमारे पास इतने बड़े ठेकेदार हैं और न हमारी पी० डब्ल्यू० डी० की केपेसिटी है और कोई ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी भी नहीं है जो कि काम को खत्म कर सके । अब एस्टीमेट्स जो बनाये जाते हैं वे उस समय में २० लाख के किसी एक प्रोजेक्ट के हैं और उसके तहत आपको दो लाख रुपये की धनराशि मिल सकती है । तो अब जब साल गुजर गया तो जो भी आदमी कन्स्ट्रक्ट करता है तो पी० डब्ल्यू० डी० के सामने यह डिफिकल्टी आ जाती है कि क्योंकि स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग ऊंचे जा रहे हैं । इसलिए कई चीजों के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, उसका एस्टीमेट के ऊपर रिपर्कशन पड़ता है । तो आज के २० लाख रुपये में जिस काम को कम्पलीट कर सकते हैं उसके अन्दर साल भर बाद २२ लाख या २३ लाख हो जाते हैं । तो यह कहना कि इस चीज को सारे इन्जीनियर्स इसलिए करते हैं कि उसमें उनका कोई पर्सनल मोटिव है, मैं समझता हूं कि यह बहुत गलत है और इसमें कोई सच्चावट नहीं है । क्योंकि एस्टीमेट्स तो ६ महीने बाद भी लगाये गे तो आपको महसूस होगा कि जिस रफ्तार से हमारी इकोनोमिक ग्रोथ देश की और प्रान्त की हो रही है उसको देखते हुए एस्टीमेट्स हमारे हर ६ महीने में कुछ न कुछ बढ़ेगे । चाहे ५ परसेन्ट बढ़ सकते हैं, २ परसेन्ट बढ़ सकते हैं या १० परसेन्ट बढ़ सकते हैं और जितनी धन-राशि हमारे पास आती है वह इतनी नहीं आती है और न हमारी कैपेसिटी है कि हम उस काम को ६ महीने के अन्दर ही खत्म कर दें । आखिर हर काम में टाइम लगता है और उससे जो फर्क आता है उसके बारे में जो आपने कहा और मैंने जो अर्ज किया वह सही रूप में इसका निवेदन करना है ।

आपने कोटा-पीपलदा एस्टीमेट के बारे में कहा । मैं अभी कुछ नहीं कह सकता । अगर आप मुझे पहले बता देते तो मैं कुछ कह सकता था । मैं इतना जरूर आश्वासन दे सकता हूं कि मैं इसकी रिपोर्ट मंगवा लूंगा कि कितने रिवाइज्ड टेन्डर्स हुए और क्यों हुए और उसकी क्या परसेन्टेज थी और अल्टीमेटली किसे उसको दिया है, आपके पास इसकी सूचना पहुँच जायेगी और आपको जो पूछना है वह लिखित में पूछ लें ।

टाइम लिमिट के अन्दर जो आपने बताया यह भी एक ऐसा सवाल है कि हमारे

(श्री हरिश्चन्द्र)

सामने कई दिक्कतें आती हैं । जो काम कन्सट्रक्ट करते हैं, ठेकेदार हैं, कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़, हैं या कोई अदर एजेन्सी है, डिपार्टमेन्टल वर्किंग के अन्दर–दिक्कत यह आती है कि सड़कें बना रहे हैं उसका पीरियड दे दिया कि साल भर के अन्दर पूरी होनी चाहिए । तो कहीं लैंड एक्वीज़ीशन का झगड़ा आ जाता है, लैण्ड एक्वायर नहीं हो पाती है, कोई और झगड़े आ जाते हैं, कभी गांव वाले आ जाते हैं कि यहां सड़क मत बनाओ, यह अलाइनमेन्ट गलत है तो उसमें टाइम एक्सटेन्ड करना ही पड़ता है । मैं यह कह दूं कि ६ महीने का टाइम है और उसके ऊपर एक दिन भी हो जाय तो १० परसेन्ट पैनल्टी लगा दी जाये और उसके ऊपर कोई हियरिंग नहीं होगी । तो जो यह १० परसेन्ट लगेगा तो यह उसके ऊपर बड़ी भारी ज्यादती होगी । यह नहीं हो सकता, क्योंकि कोई उसकी गलती भी न हो और दस परसेन्ट भी उसके ऊपर लगा दिया जाये । तो हर चीज को नापना पड़ता है और नापने के अन्दर एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर, असिस्टेन्ट इन्जीनियर की राय के मुताबिक परसेन्टेज आॅफ पैनल्टी लगाते हैं और उसके लिए सरकार के पास अर्जियां आती हैं और सरकार उनके ऊपर गौर करती है और उसके पीछे यह कह देना कि पैनल्टी के पीछे खाने का ही मोटिव है और कुछ है ही नहीं, मैं यह समझता हूं कि यह भी सत्य से बहुत परे है ।

इसके अलावा मानस गांव के बारे में आपने कहा । माननीय सदस्य को तो मालूम ही है और मैं समझता था कि आप इस चीज को यहां नहीं उठायेंगे क्योंकि आपने इस चीज को आॅलरेडी जिला परिषद् में उठाया था, जहां मैं गया था और आप भी वहां पर थे और मानस गांव की बात वहां खड़ी हुई थी । वहां के प्रधान और सभी वहां थे और मैंने आश्वासन दिलवाया था कि इस पुलिया पर और पैसा देकर कम्पलीट करायेंगे । मैं समझता था कि उस आश्वासन के बाद यह पोलीटीकल फोरम नहीं होगा और आप खड़े होकर उस चीज फिर कह गये ....

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : मेरा कहना यह था कि ५० हजार रुपया जो पेटी कोन्ट्रैक्टर्स को समय समय पर दिया है यह रुपया देना निरर्थक रहा है और वह पैसा ऐसे न देकर एस्टीमेट देकर बनाया जाता तो पुलिया बन जाती ।

श्री हरिश्चन्द्र : मेरा ख्याल है यह स्टेट टाइम की बनी हुई है ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : नहीं ।

श्री हरिश्चन्द्र: मेरे पास फेक्ट्स एण्ड फीगर्स नहीं हैं । जहां तक मेरा ख्याल है यह मानस गांव की पुलिया कोटा रियासत के टाइम पर बनी थी और बनने के बाद क्योंकि एक्सेस आॅफ वाटर आया, बाढ़ आई तो उस पुलिया के फैन्स कट गये हैं । पुलिया वहीं की वहीं है । पुलिया टूटी नहीं है । अब मैंने इन्जीनियर्स से बात की है । उसके बाद उन इन्जीनियर्स लोगों ने यह कहा कि अगर फैन्स बना देंगे तो बहुत आसानी से काम हो सकता है और ज्यादा रुपया नहीं लगेगा । लेकिन बारिश आई तो फिर फैन्स बह जायेंगे । इसलिये

(श्री हरिश्चन्द्र)

उसमें ज्यादा मोखे बनाने की आवश्यकता है और इसके लिए २, २।। लाख रुपये का एस्टीमेट था। लेकिन मैंने यह जरूर कहा है कि इस को किसी न किसी रूप से एस्टीमेट को कम कर सकते हैं या और कोई टेक्निकल एडवाइज दे सकते हैं तो वह दें।

यह नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास, जैसा कि नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि समारे पास धनराशि बहुत कम है। आज सड़कों और पुलियां की मांग इतनी जबरदस्त है कि सारे प्लान को खा सकती है।

आप अभी यह चार्ज लगा रहे थे कि हर गांव तक सड़क कोटा में अन्दर आनी चाहिए। कोटा में प्रोब्लम दूसरा है वह प्रोब्लम भी आपको समझना चाहिए और मुझे दुःख है कि माननीय सदस्य जो मेरे नजदीक के दोस्त हैं और जो कि बहुत अच्छे वकील हैं, वे इन प्रोब्लम्स को समझते नहीं हैं और न इधर ध्यान देने की कोशिश क ते हैं, और एक अजीब सा वातावरण बनाने की सोचते हैं जो कि उनके दिमाग से बिल्कुल ही अलग है, और वह इनहेरिट करना चाहते है इस तरह की क्वालिटीज़ को जो उनमें नहीं थी। कोटा के अन्दर पोब्लम यह था कि एक तो जो पुरानी सड़कें स्टेट की बनी हुई हैं उनमें सोलिंग नहीं है। कोटा की बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं कि जिनमें सोलिंग नहीं था। अब कोटा के अन्दर ट्राफिक इतना बढ़ गया है और एकाउन्ट ऑफ दी इकोनोमिक प्रोस्पेरिटी आफ दी स्टेट कि उस ट्राफिक के प्रेशर को यह सड़क मेन्टेन नहीं कर सकती है। इसके अलावा जो चम्बल की नहरें आई हैं तो नहरों ने विशेष परिस्थिति बूंदी और कोटा डिवीजंन्स की कर दी हैं। और जहां भी आपको पानी मिलता है सड़कों के आसपास और जो १०-१० टन के ट्रक्स चलते हैं तो जिन सड़कों के नीचे सोलिंग नहीं है तो वे सड़कें ठहर नहीं सकती है, वे सड़कें रह नहीं सकती हैं। आज उन सड़कों को अपग्रेड करने के लिए कम से कम ५० लाख रुपये चाहिए इन डिवीज न्स के लिए अगर उनको एकोर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन्स करेंगे तो वे सडकें अप टू स्पेसिफिकेशन्स हो सकती हैं। लेकिन यह नहीं हो सकता कि सड़क के दोनों तरफ पानी भरा रहे और सड़क के ऊपर १०-१० टन के ट्रक्स चलते रहें और जिनमें सोलिंग नहीं हों वे सड़कें बैठेंगी नहीं। कम्पल्सरी रिएक्शन होता है, जब कि पानी भरा होता है और जैसा कि आपने देखा होगा कि सड़कें बैठी हुई है। हमने इरिगेशन के हमारे इन्जीनियर्स से बातचीत की है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके ऊपर सरकार ज्यादा पैसा देगी ताकि बूंदीकेइलाके में के और खास तौर से कोटा डिवीज़न में जहां जहां पर चम्बल की नहरें आ गई हैं इस प्रोब्लम को हल करने के लिए, इसके साथ साथ और पैसा मिलना चाहिए स्पेसिफ़िकली फोर दीज़ टू एरियाज़ ताकि हम इन सड़कों की हालत ठीक कर सकें।

केशवराय पाटन मैं गया था और माननीय सदस्य जो बूंदी से जाये है वे नये हैं और उनमें नया खून है इस वास्ते बोलते ऊट-पटांग निकल जाता है

श्री कृष्णकुमार गोयल : बूंदी वाले होते तो मंत्रि-मंडल में आने का आग्रह होता।

श्री हरिश्चन्द्र : केशवराय पाटन वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वे पॉलिटिकल एडवान्टेज मेरा नहीं उठाये। आप मुझ से मिले थे, यह भी मुझे मालूम है और आपकी जो समस्या है वह भी मुझे मालूम है। आपने जो बात रखी है वह भी मुझे मालूम है और उस पर मैं कार्यवाही कर रहा हूं और जब आपको यह मालूम हो जाय कि मैं उस पर कार्यवाही कर रहा हूं उस वक्त में यह बताना चाहते हैं माननीय सदस्य कि यह तो कुछ नहीं कर रहे हैं और मेरे प्रेशर से कर रहे हैं। मैं प्रेशर के ऊपर ईल्ड नहीं करता हूं। आपकी वाजिब बात को मानूंगा और आप जो वाजिब बात कहेंगे उसको मैं मानूंगा। आप जो कहेंगे, यह मेरे दिमाग में कभी नहीं रखता और न सरकार रखती है।

(श्री हरिप्रसाद शर्मा के बोलने के लिए खड़े होने पर) आप मेहरबानी करके बिराज जाइये।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : मैंने यह कहा था कि जो बजट बूंदी के लिए सड़कों के लिए रखते है वह कन्टीन्युअसली लैप्स हो रहा है और एक भी पैसा वहां नहीं लग रहा है। क्या यह बात सही नहीं है?

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास फीगर्स नहीं हैं इस वक्त में। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि आपने एक बात मेरे सामने रखी और रखने के बाद आपको यह चीज मालूम हुई कि मैं कुछ उस इलाके के लिए कर रहा हूं, आपके लिए कर रहा हूं और जब वह चीज आपके पास आती है तो आप उसका पोलिटिकल एडवान्टेज उठाना चाहें, यह मैं समझता हूं ठीक नहीं है। सरकार की मन्शा यह नहीं है कि सरकार सिर्फ एक पक्ष की बात करे। जो वाजिब बात हो, उस पक्ष की हो या इस पक्ष की हो, वह करती है। आपने जो बात कही वह बिल्कुल सही है कि उस इलाके में सड़के पानी के लिहाज़ से या और लिहाज से कट गई हैं तो उनकी मरम्मत करानी चाहिए। मैं इतना ही कह सकता हूं, जो कि मेरे बस की बात है। उसके लिए मैंने चिट्ठी भी लिखी है। शायद आपके पास पहुँची हो। जो बूंदी का बजट है इस साल का वह करीब-करीब ४,५५,००० रु० का है; उसमें और एलॉट्मेंट हुआ है। मैंने पैसा दिया है, आपके कहने के बाद। कन्स्ट्रक्शन ऑफ मेज़ बन्ध बीच ओरीजिनल ट्रीटमेंट वह ५५ हजार का था। उसके बाद २५ हजार रुपया और एलॉट किया। ऑन दी मेटल्ड राड फ्रोम जैतपुर टू तलवाड़ा, ओरीजिनल ट्रीटमेंट २० हजार का था उसके बदले में ४० हजार रुपये का दिया। कैनाल एण्ड बिटुमैन ट्रीटमेंट ऑफ बून्दी-नैनवा रोड का ४० हजार का था उसमें ४० हजार और दिया है। बीटुमैन ट्रीटमेंट माने खाली कोलटार की सड़कों का लिखा हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : (किशनपोल, जयपुर) : इनका क्वेश्चन तो यह था कि बूंदी में एलॉटमेंट तो होता है, लेकिन उसके बाद में एक्सपेन्डीचर कितना होता है?

श्री हरिश्चन्द्र : यह एलॉटमेंट मैंने कहा कि हुआ है और मैंने इन्जीनियर्स को पाबन्द

(श्री हरिश्चन्द्र)

किया है। यहां से नहीं, पर बूंदी जाकर और उनसे कहा है कि अगर यह काम नहीं होता है then take it that you are sacked. I have told them like this. But I want to impress upon the Hon'ble Members that there are certain difficulties, there are certain channels through which the Government has to go. I would, therefore, request the Hon. Member that if he finds that there is no progress in his area: please come to me and tell me. I will see. I will go with you and see that it is done. But this forum should be made a forum of mere criticism out of healthy criticism and suggestions which can improve the tone of the administration of the State.

एक और आपने खेड़ी-रसूलपुर के लिये बात कही थी। खेड़ी-रसूलपुर में मैं वहां गया और शिलान्यास हुआ। जब शिलान्यास किया तो इसके ऊपर पोलिटिकल एडवान्टेज नहीं लें क्योंकि मैं सच बात कहना चाहता हूं....

श्री कृष्णकुमार गोयल: आप चिन्ता मत करिए, कोटा और झालावाड़ का झगड़ा नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र: यह कहा गया कि बूंदी का बजट झालावाड़ चला जाता है, यह गलत बात है। आप एक दृष्टि से देखते हैं। आपके दो आंखें नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर): आप तो रणजीतसिंह।

श्री हरिश्चन्द्र: मैं यह अर्ज कर रहा था कि खेड़ी-रसूलपुर, इसका जो शिलान्यास किया तो शिलान्यास करने के बाद इसको यहां आ कर देखा तो यह बजट के अन्दर इन्क्लूडेड नहीं तो यह जरूरी हो जाता है कि give me some provision. ताकि शुरू हो। इसके बारे में हम और कोशिश करेंगे कि जल्दी ही काम समाप्त हो जाय। शिलान्यास तो हो गया लेकिन पैसा उपलब्ध नहीं था और उसमें टाइम लगता है। आज ऐसा नहीं है कि एकदम उपलब्ध करके कह दिया जाय कि पैसा आ गया है। There are certain process, which we have to follow, वह करने के बाद पुलिया आपकी वहां पर बनेगी।

नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने पहले तो अपने वाटर वर्क्स की चर्चा की। अब उसका जवाब तो मैं कुछ नहीं दे सकता हूं क्योंकि वाटर वर्क्स का महकमा मेरे पास नहीं है। आपने कहा कि पाइप्स नहीं हैं। मैं समझता हूं कि आप नसीराबाद की सड़क पर चले जायं और जहां से पानी आने वाला है उस सड़क पर कोटा की तरफ जायें तो आपको नजर आयेंगे पाइप पड़े हुए। मैं उम्मीद करता हूं कि यह काम जल्दी से जल्दी समाप्त होगा।

यह भी आपने एक बात रखी कि कई ऐसी सड़कें हैं जो कि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान की हैं और कम्प्लीट नहीं हुई है।

अब इसमें सिर्फ इतना देखने की जरूरत है कि रोड माइलेज जब प्लान के अन्दर काफी लंबा हो जाता है, जहां फर्स्ट प्लान की सड़क करीब करीब ४० मील लम्बी है और एक

(श्री हरिश्चन्द्र)

जगह की सड़क है वह करीब १२ मील ही लंबी है तो नेचुरली वह १२ मील लंबी सड़क जल्दी कंपलीट होगी और ४० मील लंबी जो सड़क है वह फर्स्ट प्लान में कंपलीट नहीं होगी तो केरीड फोर्वर्ड होगी फर्स्ट प्लान से सेकन्ड प्लान में। ताहम भी यदि कहीं आपके एरिया में ऐसी सड़क रह गई, फर्स्ट प्लान में रह गई, आहिस्ता काम चल रहा है, हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में नहीं आवे, आप हमारे नोटिस में लावें। ४० मील या २० मील लम्बी सड़क कंपलीट नहीं हुई है या धीरे काम हो रहा है और आपकी निगाह वहां गई है तो आप अवश्य मेरे पास आवें। मैं उम्मीद दिलाना चाहता हूं कि ऐसी सड़क फर्स्ट प्लान की होगी they will receive highest priority.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) ; यह भी उन्होंने पोलिटिकल एडवान्टेज उठाने के लिए कहा है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : मैंने शिकायत की है हुकूमत से कि फर्स्ट प्लान की पूरी नहीं हुई है। पोलिटिकल एडवान्टेज तो आप उठाने की कोशिश करते हैं क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। मैं तो फिर भी इधर बैठा हूं राज्य करने वालों में; सो तो वे राज कर ही रहे हैं। आप एडवान्टेज उठाने की बात करते हैं!

श्री हरिश्चन्द्र : इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि मेरा प्रस्ताव पास किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ९२, मुख्य शीर्षक ५०, नागरिक निर्माण कार्य के संबंध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त हुए वर्ष में व्यय के लिए राज्यपाल महोदय को ७७ लाख १ हजार की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ९२ स्वीकार की गई।

(२.४२. म० प०)

संशोधित कार्य-सलाहकार समिति के १८ वें प्रतिवेदन का सदन में वाचन

इससे पहले कि आगे की मांग संख्या ली जाय, मैं १८ वां प्रतिवेदन जो कार्य सलाहकार समिति ने प्रस्तुत किया है, जिसको हाउस ने स्वीकार किया है, वह माननीय सदस्यों के सामने पढ़ कर सुना देता हूं:—

"शनिवार दिनांक २४ अक्टूबर, ६४ व २६ अक्टूबर ६४ को राजस्थान पंचायत लॉज़ अमेन्डमेंट बिल, १९६४ पर विचार किया जायगा।

२७ अक्टूबर, ६४ को खाद्य व बाढ़ समस्या पर विचार।

२८, २९ और ३० अक्टूबर को अविश्वास प्रस्ताव पर विचार और ३१ अक्टूबर, ६४ को एक्साइज़ एंड टैक्सेशन ओफिसर्स (चेन्ज ऑफ डेजिग्नेशन) बिल, ६४ और राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेंट (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६४ पर विचार"।

(श्री उपाध्यक्ष)

इस प्रकार का संशोधन कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन में है ।

नेक्स्ट डिमान्ड ।

अधिक अनुदानों की मांग संख्या ६०-वैज्ञानिक विभाग

श्रीमती कमला बेनीवाल (उप-मंत्री कृषि) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि अधिक अनुदानों की मांग संख्या ६०, मुख्य-शीर्षक ३६, वैज्ञानिक विभाग के संबंध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४४,५७० रु० तक की धन-राशि प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्तुत प्रस्ताव हुआ श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ।

(विराम)

The time allotted is ten minutes.

[इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:—

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर):

१. मांग संख्या ६०, मुख्य शीर्षक ३६—वैज्ञानिक विभाग में १) रु० की कटौती की जाय (पलाना कोलेरीज़ पर मजदूरों की मजदूरी एवं बोनस के payment में सरकार की गलत प्रणाली पर बहस करने हेतु) ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) :

२. मांग संख्या ६०, मुख्य शीर्षक ३६—वैज्ञानिक विभाग में १) रु० कटौती की जाय (पलाना खान के मजदूरों को बोनस समय पर दिये जाने पर बहस करने हेतु) ।]

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ६०, मुख्य शीर्षक ३६ में ।

पलाना कोलेरीज़ के मजदूरों को बोनस और सेलेरीज़ के पेमेन्ट के सम्बन्ध में मैंने भी एक कट मोशन दिया है । इस मांग के अन्दर ४४,५७० रुपये सरकार से मांगे गये हैं । पलाना कोलेरीज़ में उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की कुछ दुर्लक्षपूर्ण स्थिति चल रही है कि वह किसी से छिपी हुई नहीं है । आज पलाना कोलेरीज़ की स्थिति यह है कि हालत बद से बदतर हो रही है । पलाना कोलेरीज़ में कहां तो हम ओपन कास्ट माइनिंग की बात कर रहे थे और यहां पर थर्मल पॉवर स्टेशन लगाने की बात भी सदन में चली और उस सम्बन्ध में सरकार के बड़े बड़े आश्वासन थे; आज उस पलाना कोलेरीज़ की हालत यह है कि बंगाल से कोयला लाकर वहां पर गेरा जाता है । ४० वेगन कोयला वहां के चीफ इन्जीनियर मि. घोष साहब ने बंगाल से लाकर पलाना कोलेरीज़ पर गेरा और यदि आप देखें उस कोयले का उपयोग वे कहां करने जा रहे हैं तो वहां बड़ी विचित्र सी चीज नजर आती है । यह ठीक है कि बहुत से चेम्बर्स बंद हो गये और वहां काम बन्द है और पलाना

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

कोलेरीज़ के बारे में जो भी सरकार के आश्वासन थे सन् ५२ से आज तक वे बिल्कुल नाकामयाब रहे और योजना मंत्री इस सम्बन्ध में····

श्री श्रवणलाल : On a point of order Sir, सदन में कोरम पूरा नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी कृपा के लिये धन्यवाद।

(गण-पूरक घण्टी के पश्चात्)

(श्री बालकृष्ण कौल को सदन में आते देख कर)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कोरम आ गया साहब। हजरते कोरम तशरीफ ले आये हैं।

मैं अर्ज कर रहा था कि ओपन कास्ट माइनिंग की चर्चा पलाना कोलरीज़ के मुत्तलिक अब एक पुरानी कहानी बन कर रह गई है। और इस सम्बन्ध में आज यहां इसी को-ऑर्डिनेशन के अन्दर गुजरात में नवेली में हम सक्सेसफुल ओपन कास्ट माइनिंग कर चुके हैं और वहां के गवर्नमेंट एक्सचेकर को करोड़ों रुपयों का फायदा हो चुका है; वहां कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं पलाना कोलेरीज़ पर होनी शुरू हो गई हैं। बंगाल से कोयला ढोकर पलाना कोलेरीज़ पर गेरा जाता है। एक वेगन या दो वेगन गेरा जाता तो पलाना के वर्कर्स को बात समझ में आ जाती, लेकिन ४० वेगन कोयला बंगाल से ढोकर पलाना कोलेरीज़ पर गेर दिया और यदि आप मौके पर जाकर देखें और आप उस कोयले का मुलाहिजा फरमावें तो वह कोयला नहीं है मिट्टी है और एक पकार का चूरा है। मैं इस सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा कि वहां यह कोयला आये हुए काफी समय हो गया है लेकिन उस मिट्टी को किसी उपयोग में आज तक नहीं लिया गया है और आगे भी नहीं लिया जायगा।

इसके अतिरिक्त पलाना कोलेरीज़ में तनख्वाहों के वितरण में और बोनस देने में काफी गड़बड़ियां हैं। लोगों को उचित समय पर तनख्वाहें नहीं मिल पातीं और उचित समय पर वहां बोनस भी नहीं दिया जा रहा है और एक प्रकार से पलाना कोलेरीज़ के सम्बन्ध में सरकार की नीतियों के कारण जारों मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं और वहां मौजूदा सरकार का जो स्टाफ है वह भी अच्छी हालत में नहीं है, उनको भी समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो उपाध्यक्ष महोदय, ओपन कास्ट माइनिंग कब शुरू होगा कब नहीं, इस सम्बन्ध में सरकार का कोई निश्चित स्टेटमेन्ट आना चाहिये। वेग टर्म्स में कि एक साल में शुरू हो जायगा या हमें फंड्स नहीं मिले या हमें फलां चीज नहीं मिली, ढिंका चीज नहीं मिली, यह बात सुनते सुनते काफी समय हो गया है।

इसके अतिरिक्त मैं समझता हूं जो थर्मल पॉवर स्टेशन पलाना में लगाने जा रहे हैं उसकी बहुत बड़ी अहमियत है। चंबल से आने वाली बिजली और भाखरा से आने वाली बिजली के लिये यही पॉवर स्टेशन होगा जो दोनों को आपस में कनेक्ट करेगा।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

हमारे यहां पर पॉवर स्टेशन एस्टेब्लिश करना है । हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि सारे राजस्थान को हम इलेक्ट्रि फाई कर दें और इसके अतिरिक्त हम सारे राजस्थान के इन्डस्ट्रियलाइजेशन की तरफ कदम बढ़ा सकें । गांव गांव के अन्दर बिजली पहुंचा सकते हैं । सदन के अन्दर इस बात के ऊपर काफी चर्चा हुई है और यह आश्वासन दिया गया था कि पानी ही मुख्य कारण है, उसके कारण हम शायद थर्मल स्टेशन स्टार्ट नहीं कर सकें । इस सम्बन्ध में यह भी आश्वासन दिया गया था कि हम एक छोटी कैनाल लिफ्ट इर्रिगेशन के जरिये जल्दी से जल्दी पलाना कोलेरी के ऊपर पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि वह थर्मल स्टेशन कायम हो जाय । स्टार्ट नहीं कर सकें । मुझे तो आज राजस्थान कैनाल की सारी योजना लड़खड़ाती हुई चलती नजर आती है ।

अभी ६ तारीख को टी०टी० कृष्णामाचारी हनुमानगढ़ तशरीफ लाये थे, और मुख्य मंत्री से उनकी बातचीत हुई थी । मैं समझता हूं कि इस सरकार को झिंझोड़ने के लिए यह काफी मुद्दा होना चाहिये कि राजस्थान कैनाल की योजना जो चल रही थी उसकी मन्थर गति को देख कर अब यह निश्चय एक प्रकार से भारत सरकार ने कर लिया है कि इसे अपने हाथ में ले, देश के अन्दर व्याप्त असंतोष को देखते हुए, सरकार के लगातार नारों को देखते हुए और जरूरत को देखते हुए । राजस्थान कैनाल में जहां एक लाख क्यूबिक फीट मिट्टी एक ओवरसियर को एक साल में खोदनी चाहिये थी वहां पांच सौ ओवरसियरों ने मिल कर ८० हजार क्यूबिक फीट मिट्टी खोदी है और बुलडोज़र और दूसरी दस हजार की मशीनरी बेकार खड़ी रही हैं । साढ़े सात करोड़ की मशीनरी को वर्कशॉप में जंग लग रही है, वहां लिफ्ट इर्रिगेशन के जरीये पानी पहुंचाने की बात खटाई में पड़ी हुई है । मेरी समझ में नहीं आता कि किस शान से कैसे कह दिया था कि एक छोटी नहर निकाल कर पलाना कोलेरी तक पहुंचा देंगे और वहां एक थर्मल पॉवर स्टेशन की रचना कर देंगे । चाहे थर्मल पॉवर स्टेशन की रचना हो या नहीं, मैं बड़ी गम्भीरता के साथ यह अर्ज कर देना चाहूंगा कि पलाना कोलेरी हमारे लिए एक असेट हो सकती है । उससे बहुत सी चीजों का निर्माण हो सकता है । राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में जो हम कोल यूज़ कर रहे हैं मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस कोलेरी का कोल वहां यूज हो सकता है । यह सेल्फ बर्निंग कोल है । इसके बारे में बहुत से टेक्निकल आगर्युमेंट्स दिये जा सकते हैं । यह खाल के कारखाने में, फर्टीलाइज़र के कारखाने में उपयोग में लाया जा सकता है । लेकिन इस दिशा में सरकार का कोई दृढ़ निश्चय नजर नहीं आ रहा है । सरकार की एक के बाद दूसरी बात सामने आना शुरू हो गई है और राजस्थान के लोग भटकते फिर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस पलाना कोलेरी की बात तो आप छोड़िये, जो खाद के कार–

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

खाने के लगाने की बात थी, वह इस पलाना कोलेरी और जामसर के जिप्सम के आधार पर हनुमानगढ़ में लगने वाला था। लेकिन वह खाद का कारखाना भी सरकार के सामने एक राजनैतिक विषय बन गया है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि सदन में घोषणा की गई कि खाद का कारखाना, चूंकि हमें गुजरात से एक केमीकल सस्ता मिलता है, इसलिए उदयपुर में लगायेंगे। उदयपुर में लगाने की बात कह कर उसे कोटा में लगाने की बात कही गई। हनुमानगढ़ में लगाने की जो बात थी वह रद्द कर दी गई, पलाना से प्राप्त, जामसर से प्राप्त जिप्सम और अमोनिया गेस–इन सबका फर्टीलाइजर के लिए कोई अर्थ न बता कर गुजरात से प्राप्त होने वाले केमिकल के जरिए निर्माण करने की बात सस्ती बताई गयी। मुझे आश्चर्य हुआ कि खाद के कारखाने को कोटा में लगाया जा रह था, यहा योजना हनुमानकढ़ के क्षेत्र में इलेक्शन आने के कारण रद्द हो गई और हमारे माननीय मंत्री, मंत्राणी, मुख्य मन्त्री ने हनुमानगढ़ के एक एक गांव के अन्दर जाकर घोषणा की—केवल कांग्रेस को वोट देना, यह खाद का कारखाना वापिस हनुमानगढ़ में आ जायगा। इस विधान सभा में १७६ सदस्यों के सामने दिया हुआ एश्योरेन्स और आर्थिक विचार, सारी की सारी बातचीत और सारे के सारे विचार सब हनुमानगढ़ क्षेत्र के चुनाव आन्दोलन में रद्द हो गये....

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन) : यह आश्वासन दिया किसने ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने दिया, कमला जी ने दिया और मुख्य मंत्री ने दिया।

श्रीमती कमला बेनीवाल (उप-मंत्री, कृषि) : गलत बोल रहे हैं। आपको ऐसी गलत बात नहीं बोलनी चाहिए।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : हमेशा ऐसी बात कहते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : पब्लिक मीटिंग में 'कारखाना' शब्द नहीं बोला है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और मुझे मालूम हुआ है; हनुमानगढ़ के कुछ लोगों ने मुझे सूचना दी है कि उन्होंने आपके भाषण टेप रिकॉर्ड किये हैं। मुझे टेप रिकॉर्ड प्राप्त हुए....

श्रीमती कमला बेनीवाल : आप टेप रिकॉर्ड में बता दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अगर प्राप्त हो गये तो मैं यहां लाकर सुनाने की व्यवस्था करूंगा।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं पूछना चाहती हूं कि आप टेप रेकॉर्ड लाकर बता दें कि मैंने या इन्होंने कहा हो।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : टेप रकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ है। अगर प्राप्त हो गया होता तो आप इस तरह नहीं कहतीं।

अब खाद के कारखाने को लगायेंगे हनुमानगढ़ में या नहीं लगायेंगे; क्या कहना है ?

Page No. 88

श्रीमती कमला बेनीवाल : जो नहीं कहा है वहां वह अब भी नहीं होगा और जो कह कर आये हैं वह पूरा करेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या कह कर आई हैं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : जो आपने सुना नहीं है वह कहा है और जो आप कह रहे हैं वह नहीं कहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने तो फ़िलोसोफर की जैसी बात कह दी। जैसे फ़िलोसोफर दीवार पर गोबर लगा हुआ देख कर सोचने लगा था कि दीवार पर गोबर कैसे कर दिया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : वह फ़िलोसोफर आप ही हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जो आर्थिक-लाभ की बात कही, जो चीजों की बात कही उसके अनुसार अब खाद का कारखाना वहां लगेगा या नहीं। यह साधारण सी बात है, इस बात को कहें। लेकिन आपने खाद के कारखाने को राजनैतिक चीज बनाया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से अर्ज करूंगा कि यह पलाना कोलेरी का विषय भी राजनैतिक विषय बनता चला आ रहा है। जो ओपन कास्ट माइनिंग का प्रश्न है, इसके बारे में बराबर कमिटमेंट करने की बावजूद, जो थर्मल स्टेशन को वहां लगाने की बात है उसे कहने के बावजूद, इस सदन में इनके बारे में बार-बार घोषणाएं करने के बावजूद स्थिति यह है कि बंगाल से लाकर कोयला वहां पटका जाता है। मजदूरों को सेलेरी नहीं दी जाती है, बोनस समय पर नहीं दिया जाता है, जो हजारों मजदूर इस कार्य के अन्दर लगे हुए थे उनको बेरोजगार कर दिया गया है और पब्लिक सेक्टर के अन्दर एक अच्छी योजना को आपने खटाई में डाल दिया है और इसे कांग्रेस पक्ष के लोग आज एक राजनैतिक विषय बनाना चाहते हैं, जिस प्रकार कि खाद के कारखाने को राजनैतिक विषय बनाया है। कोटा के अन्दर जिस खाद के कारखाने को लगाने का पूरा जस्टिफिकेशन दिया गया, हनुमानगढ़ के अन्दर उस खाद के कारखाने को वहां लगाने के जस्टिफिकेशन को कम करना शुरू कर दिया। इसलिए अन्त में मैं यह कहूंगा कि पलाना कोलेरी में जो चालीस वैगन कोयला लाकर गेरा गया है, उसकी इन्क्वायरी कराई जाय और यह बताया जाय कि क्या कारण है? सदन को यह बताया जाय कि क्या कारण है और क्यों लाया गया है और क्यों पैसे का दुरुपयोग हुआ है, दूसरे मजदूरों को ठीक समय पर तनख्वाह और बोनस देने की व्यवस्था क्यों नहीं हुई है ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पलाना कोलेरी के सम्बन्ध में विचार करने के लिए एक कटौती का प्रस्ताव रखा है। पहली बात तो यह है, उपाध्यक्ष महोदय, जो इसी साल बजट रखा गया था उसके जो ऊपर सप्लीमेन्ट्री डिमाण्ड आई उनके लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन १६६०-६१ का जो बजट इस सदन से मंजूर करवाया, जिसके ऊपर सप्लीमेन्ट्री डिमाण्ड भी रखी गई थी, उसके बाद दुबारा फिर सप्लीमेन्ट्री डिमाण्ड रखी गई है। इतना ही नहीं, जब

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

१९६०–६१ में बजट रखा गया था तो उसके बाद १९६१–६२ में सप्लीमेन्ट्री डिमाण्ड लाई जानी चाहिए, लेकिन उस साल नहीं लाये तो १९६२–६३ या १९६३–६४ में लाई जानी चाहिए थी। तब भी न लाकर अब १९६४–६५ में लाई जा रही हैं। यानी यह कोई बजट न होकर मजाक हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस पलाना की खान को लेकर इस सदन में जब कभी चर्चा होती है तो इस पर बराबर वाद-विवाद किया जाता है सदस्यों की ओर से और जल्दी से जल्दी ओपन कास्ट माइनिंग सिस्टम कराने के लिए निवेदन किया जाता है और सरकार के द्वारा बराबर कहा जाता रहा है, सरकार से बराबर आश्वासन मिलता रहा है– कभी कहा जाता है कि ओपन कास्ट माइनिंग सिस्टम जल्दी शुरू होने वाला है, कभी कहा जाता है कि थर्मल पॉवर स्टेशन चालू होने वाला है। लेकिन जो स्थिति आज से तीन साल पहले थी वह स्थिति आज नहीं है, बल्कि यह कहना चाहिए कि आज स्थिति बदतर है। पहले तो कुछ प्रोडक्शन होता था लेकिन प्रोडक्शन आज बिल्कुल बन्द पड़ा है। आज, उपाध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं कि हमारे राज्य की बहबूदी और राज्य की प्रोस्पेरिटी उद्योगों पर निर्भर है।

(३.०० म.प.)

और साथ ही हमें यह पता है कि राजस्थान की धरती के गर्भ में अनेक प्रकार के पदार्थ भरे पड़े हैं। राजस्थान की धरती के गर्भ में अनेक प्रकार के रत्न छुपे हुए हैं। अगर हमें अपने राज्य को वैभवशाली बनाना है, यदि हमें अपने राज्य का विकास करना है, यदि हमें अपनी जनता को खुशहाल देखना है तो हमें हमारे यहां पर धरती के गर्भ में छिपे हुए रत्नों को निकालना होगा और कारखाने खोलने होंगे। मगर हमें बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस ओर राजस्थान सरकार का ध्यान जिस प्रकार से होना चाहिये अभी तक नहीं गया है। यह प्रश्न केवल पलाना कोलरी का ही नहीं है और भी कई उद्योग हैं। बहुत से दूसरे उद्योगों को ले रखा है, उन पर भी हम किसी प्रकार की खुशी जाहिर नहीं कर सकते हैं।

अभी थोड़े दिन पहले हमारे यहां आधा करोड़ रुपया लगा कर डीडवाना में सोडियम सल्फेट का कारखाना खोला गया ? जिस समय यह खोला गया हमें बड़ी खुशी थी और आशा थी कि इससे हमारा फायदा होगा। मगर बड़े दुःख का विषय है कि वह कारखाना बन्द पड़ा हुआ है। ऐसा लगा कि पैदा होते ही मर गया। और आधा करोड़ का नुकसान सरकार को हुआ। हमें इस पर १५ लाख की मशीनरी और ३२ लाख और खर्च करने पर भी हम प्रोडक्शन नाम-मात्र भी नहीं कर सके। यह कारखाना गर्मियों में थोड़ा सा शुरू हुआ था, मगर जल्दी ही शुरू होकर बन्द हो गया। इसका कारण यह कहा जाता है कि जहां पर मीठे पानी का उपयोग मशीनों में होना चाहिये था वहां पर खारे पानी का उपयोग किया गया। यह सोचा गया कि खारे पानी से काम चल जाएगा। लेकिन जब खारे पानी से मशीनों में क्षार जम गया तो मशीनें बन्द हो गईं और कारखाना रुक गया। इसलिये मैं इस सम्बन्ध में उप-मंत्राणी से जानना चाहूंगी

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूड़ावत)

कि वे इस संबन्ध में जानकारी देंगी । इसके उपरान्त यह सुना जाता है कि सरकार ने जर्मनी से इंजीनियर बुलाये । उन्होंने कहा बताते हैं कि अगर मीठे पानी का इन्तजाम हो सकता है तो अभी इनको चलाया जा सकता है, लेकिन हम मीठा पानी वक्त पर देने का प्रबन्ध नहीं कर सके और कई महीने बीतने पर अब प्रबन्ध हुआ है । फिर भी वेस्ट जर्मनी के इंजीनियरों ने कहा कि अभी हमने मशीन साफ की हैं और हम चले जावेंगे । अगर हमें वापिस बुलावोगे तो आने–जाने का खर्चा और ४००)रु० प्रतिदिन के देने होंगे । इसलिये अभी तक यह हमारी सरकार के पास मशीनरी इस पड़ी हैं और सरकार पशोपेश में पड़ी है कि आया उस मशीनरी को उन इंजीनियरों की एब्सेन्स में चला कर रिस्क लिया जाए या नहीं और अगर खराब हो जाएगी तो उनको बुलाने का खर्चा किया जा सके या इंजीनियरों को बुला कर काम शुरु किया जावे । सोडियम सल्फेट के प्रोडक्शन बन्द हो जाने से इसका भाव भी बढ़ गया है और ३००) ३५०) का भाव हो गया है । इस तरह से दो–चार महीने में लाखों रुपयों का नुकसान खाद में राज्य सरकार को कर दिया है । मैं मन्त्राणी महोदया से निवेदन करूंगी कि वे अपने उत्तर में इस पर प्रकाश डालें कि अभी तक उसके बन्द रहने का क्या कारण है और अब वह कारखाना कब तक चालू होगा ?

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगी कि पनाना और डीड़वाना का ही प्रश्न नहीं है । हमारे यहां क्लोराइन नाम का पदार्थ बहुत मिलता है और उसकी कीमत भी बहुत महंगी है और लाखों रुपये हमें इसके लिए फोरिन एक्सचेन्ज में खरीदने के लिए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन अभी तक हमारी राज्य सरकार ने इसकी समृद्धि के लिए कोई कदम नहीं उठाया है ।

अभी दो-तीन दिन हुए राज्य सरकार ने इसको स्टेट अन्डर्टेकिंग में लेना स्वीकार किया है, लेकिन हमें शक है कि इसकी भी वही हालत होगी जैसी दूसरे स्टेट अन्डर्टेकिंग्ज की हैं । इसलिए मैं यह निवेदन करूंगी कि इन सारी बातों का उत्तर मन्त्राणी महोदया देंगी कि ये कब तक शुरू हो जावेंगे और जो सोडियम सल्फेट का कारखाना बन्द पड़ा है उसके लिए क्या किया जा रहा है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल (उप-मंत्री कृषि) : उपाध्यक्ष महोदय, जो कट मोशन्स रखे गये हैं उन पर बोलते हुए माननीय सदस्यों ने कुछ अन्य विषयों पर भी चर्चा की । मैं इस मामले में आम तौर पर इतना ही कहना चाहूंगी कि पलाना की खान को ओपन कास्ट बनाने के सम्बन्ध में सरकार का जो प्रोग्राम है उसमें तब्दीली होने का प्रश्न नहीं है । मजदूर निकाले गये हैं, इसके लिए कई कारण हो सकते हैं और इसके लिए सरकार स्वयं ही चिन्तित है । जहां तक लेबर को वेजेज देने का प्रश्न है, मैं समझती हूं कि सरकार स्वयं गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया से एप्रूव्ड कोलोनी एण्ड माइन्स स्कीम है, उसकी तहत काम करती है और मजदूरों को बोनस वगैरह उसी स्कीम के अनुसार दिया जाता है । उनको ७ तारीख को तनख्वाह दी जाती है और क्वार्टर खत्म होने के बाद में उनको बोनस भी

(श्रीमती कमला बेनिवाल)

दिया जा सकेगा यही कहा जाता है कि उनको परेशानी है लेकिन यह बताया नहीं कि किनको परेशानी है। इसलिए यह कहना कि लोगों को बड़ी परेशानी है, काम बन्द होने से व्यवसाय बन्द हो गया है, लेकिन मैं यह कहूंगी कि जो लोग काम करते हैं उनको बराबर मजदूरी और बोनस दिया जाता है। बाकी जो लोग कहते हैं कि जो कारखाना हनुमानगढ़ में लगने वाला था वह रुक गया और वहां पर जाने वाले मंत्रियों ने इस बात को लेकर वोट मांगे कि कांग्रेस को वोट दोगे तो कारखाना लगा देंगे, अन्यथा नहीं, यह बात फैलाई और इस तरह की गलत बातें कही गई, उसके लिए मैं कहूंगी कि इस प्रकार की गलत बातें आपको नहीं करनी चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि अन्य अन्य बातों को लेकर इल्ज़ाम लगाया गया और कहा गया कि सरकारी कर्मचारियों पर भी दबाव डाला गया और जनता को गलत बातें कह कर उनसे वोट मांगे गये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगी कि वस्तुस्थिति यह है, बावजूद इतनी मंहगाई के, जबकि वहां पर बाढ़ आई हुई थी और रेल और सड़क के सारे रास्ते बन्द थे, गेहूं और शक्कर नहीं मिलती थी और तमाम हिन्दुस्तान की विरोधी पार्टीज़ के जितना गलत और झूठा और नीचे स्तर का प्रचार का तरीका होते हुए भी लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया और इन सारी बातों के बावजूद जब कांग्रेस वहां से जीत कर आती है तो उन लोगों के दिल में खलबलाहट पैदा होती है। इससे आपको मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस की हुकूमत....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): झूठे आश्वासन और दबाव डाले गये....

श्रीमती कमला बेनीवाल : आप झूठ कहते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने झूठ बोलना शुरू कर दिया है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : इस तरह की और भी तथ्यहीन कई बातें इसलिये करते हैं कि सारे हिन्दुस्तान की विरोधी पार्टीज़ की ताकत लगाने के बावजूद भी, सारे राजा और महारानी के प्रयत्नों के बावजूद भी, कांग्रेस जीत गई तो आपको खलबली लगी। आपके पैर के नीचे की जमीन निकल गई, इसलिये आप इस प्रकार की गलत बातें कहते हैं। मैं यह निवेदन करूंगी कि इस प्रकार से गलत बातें कह कर हाउस की परम्परा को न तोड़ें। बराबर उनको समय पर वेजेज़ और बोनस मिलता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी भावना तो समझ में आती है, लेकिन सच नहीं है। २०० जीपें दौड़ रही थीं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं यह कहूंगी कि ये २०० या ४०० और ५०० जीपें कांग्रेस के उम्मीदवारों की, उनकी एक भी जीप नहीं थी। जितने कार्यकर्ता थे सब ने महनत से कार्य किया और उसका ही यह परिणाम है। किसी राजा और रानी की राजनैतिक पार्टी की कारें नहीं चलती थीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): अभी जो रायसिंहनगर से आने वाले माननीय

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

सदस्य ने आपत्ति उठाई थी, उसका ट्रेजरी बैंचेज़ की तरफ से उत्तर नहीं दिया गया। फर्टीलाइज़र फैक्टरी के बारे में जब श्री कामराज कोटा में आये थे तो मुख्य मंत्रीजी ने वहां कमिटमेंट किया था कि फर्टीलाइज़र फैक्टरी कोटा में लगेगी। अतः मिनिस्टरों की तरफ से हनुमानगढ़ के इलेक्शन के समय में इस प्रकार का प्रचार करना कि हनुमानगढ़ में कुंभारामजी जीत गये तो वहां फर्टीलाइज़र फैक्टरी खोली जायगी, यह कहां तक उचित कहा जा सकता है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : ऐसी बात किसी ने नहीं कही है। उनके कहने से कोई गलत बात सत्य नहीं हो सकती और न सत्य बात गलत हो सकती है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : तो फिर फर्टीलाइज़र फैक्टरी कहां खोली जायगी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : इस पर विचार करके निश्चय किया जायगा, आपके मेरे कहने से ही तो सब कुछ नहीं हो जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ६०, मुख्य शीर्षक ३६–वैज्ञानिक विभाग के संबन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४४,५७० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ६० स्वीकार की गई।

इससे पहले कि दूसरी मांगें ली जाय मैं यह सूचित कर देना चाहता हूं कि कल की तरह आज भी ४॥ बजे मांगों पर मुख–बंध लागू किया जायगा।

अधिक अनुदानों की मांग संख्या ८६-बिक्री कर

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ८६, मुख्य शीर्षक १२ का–बिक्री कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २२,७०४ रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

[इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:—

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) :

(१) मांग संख्या ८६, मुख्य शीर्षक १२-का–बिक्री कर में १) रु० की कटौती की जाय (पैसेंजर कर की वसूली में लापरवाही पर बहस करने हेतु)।

(२) मांग संख्या ८६, मुख्य शीर्षक १२ का–बिक्री कर में १) रु० की कटौती की जाय (सेल्स टैक्स की चोरी को रोकने में विभागीय असफलता पर बहस करने हेतु)।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) :

(३) मांग संख्या ८६, मुख्य शीर्षक १२–का–बिक्री कर में १००) रु० की कटौती

Page No. 93

की जाय (यात्रा भत्ता व परिचालन में अधिक व्यय पर बहस करने हेतु)।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा)

(४) मांग संख्या ८६, मुख्य शीर्षक १२–का–बिक्री कर में १) रु० की कटौती की जाय (बिक्री कर की वसूली में लापरवाही पर बहस करने हेतु)।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर):

Demand No. LXXXIX. Major Head 12-A-Sales Tax be reduced by rupee one (to discuss the cases of arrears of Sales Tax and failure of Government in collecting them).

(६) मांग संख्या ८६, मुख्य शीर्षक १२–का–बिक्री कर में १) रु० की कटौती की जाय (सरकार द्वारा नियुक्त Preventive Force पर किये गये खर्च एवं उसकी तुलना में Preventive Force की सफलताओं पर बहस करने हेतु)।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़वा) :

(७) मांग संख्या ८६, मुख्य शीर्षक १२–का–बिक्री कर में १) रु० की कटौती की जाय (बिक्री कर की वसूली में अव्यवस्था पर बहस करने हेतु)।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद):

(८) मांग संख्या ८६, मुख्य शीर्षक १२–का–बिक्री कर में १) रु० की कटौती की जाय (प्रिवेन्टिव फोर्स स्पेशल रेड न कर उसकी गाड़ियों का दुरुपयोग किया है इस पर बहस करने हेतु)।

(९) मांग संख्या ८६, मुख्य शीर्षक १२–का–बिक्री कर में १) रु० की कटौती की जाय (सेल्स टैक्स की चोरी को रोकने में विभागीय असफलता पर बहस करने हेतु)।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर):

(१०) मांग संख्या ८६, मुख्य शीर्षक १२–का–बिक्री कर में १) रु० की कटौती की जाय (प्रिवेंटिव फोर्स ने स्पेशल रेड करने के नाम पर भी रुपए का दुरुपयोग किय है पर बहस करने हेतु)।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन):

(११) मांग संख्या ८६, मुख्य शीर्षक १२–का–बिक्री कर में १) रु० की कटौती की जाय। बिक्री कर की वसूली में शिथिलता पर बहस करने हेतु)।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली)

(१२) मांग संख्या ८६, मुख्य शीर्षक १२–का–बिक्री कर में १) रु० की कटौती की जाय (सेल्स टैक्स की गलत कर निर्धारण की नीतियों के कारण बढ़ती हुई सेल्स टैक्स की चोरी पर बहस करने हेतु)।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर):

(१३) मांग संख्या ८६, मुख्य शीर्षक १२–का–बिक्री कर में १) रु० की कटौती

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

की जाय (बिक्री कर की वसूली में सरकार की अनियमिता पर बहस करने हेतु) ।

श्री गोकलप्रसाद शर्मा (मांडल):

(१४) मांग संख्या ८६, मुख्य शीर्षक १२-का-बिक्री कर में १) रु० की कटौती की जाय (यात्रा भत्ते में हुई फिजूल खर्चा पर बहस करने हेतु) ।]

श्री उपाध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाददार ।

(अनुपस्थित)

श्री कृष्णकुमार गोयल ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : माननीय उपाध्यक्षजी, पैसेन्जर्स टैक्स और सेल्स टैक्स, ये दोनों टैक्स तो इस सदन के लिये समय समय पर इतने चर्चा के विषय बन चुके हैं कि बार बार उन्हीं तथ्यों पर जाना, जब तक कि सरकार स्वयं गम्भीर होकर इस सम्बन्ध में विचार करके ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक बहस करना महज बहस करना मात्र ही होगा । पैसेन्जर्स टैक्स के बारे में जो सारे तथ्य मैंने कोटा के बारे में रखे और उदयपुर के बारे में अन्य माननीय सदस्य ने रखे, उन पर नहीं जाकर मैं इतना ही अर्ज करना चाहूंगा कि आज प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में यह पैसेन्जर्स टैक्स लाखों रुपयों की तादाद में चढ़ गया है, पर फिर भी राज्य सरकार की तरफ से इसकी वसूली की तरफ से जो ढिल-मिल नीति बरती जा रही है या यह कहा जाय कि कुछ छुट-भइयों को जानबूझ कर छूट दे रखी है, यह उचित नहीं । उदयपुर और कोटा के बारे में बार बार यहां मुद्दे उठाये गये प्रश्नों के दौरान में या बहस के दौरान में, उन अवसरों पर हर बार सरकार ने यही जवाब दिया कि सरकार जागरूक है, सजग है और कभी तो यह भी कहा कि अटेचमेन्ट हो गया है, पर आज तक भी पैसेन्जर्स टैक्स का लाखों रुपया लोगों में बकाया है, उसमें आज तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है । मैं तो वित्त मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में आपने जो हमसे हाई कोर्ट की एक दुविधा आ जाने के कारण संशोधन द्वारा अधिकार लिये थे उस संशोधन के उपरान्त आपने कोटा और उदय-पुर डिस्ट्रिक्ट में या अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में कितनी वसूली की है । पहले कितना आउट-स्टेन्डिंग था और संशोधन लाने के बाद कितने सफल हो चुके हैं और भिन्न भिन्न जिलों में कितना पैसेन्जर्स टैक्स बकाया है, ये सब फीगर्स बतायें । सबसे अधिक विडम्बना तो यह है कि बस मालिक टिकट देने के साथ ही पैसेन्जर्स टैक्स वसूल कर लेता है ? और लाखों रुपयों तक वह बढ़ता जाता है, सरकार में जमा नहीं कराया जाता और हर साल उसी मोटर मालिक को टोकन प्राप्त हो जाता है और उसकी वे गाड़ियां बराबर चलती रहती हैं । कानून में हर प्रकार की व्यवस्था दी हुई है कि पैसेन्जर्स टैक्स का एक पैसा भी किसी में बकाया हो तो उसको टोकन नहीं दिया जाय, फिर भी उन लोगों को टोकन दे दिये जाते हैं । नीचे स्तर पर और ऊंचे स्तर पर जो भ्रष्टाचार चलता है, वह आज किसी से छिपा हुआ नहीं है ।

कोटा में मुझे मालूम है कि जो मैनेजिंग डाइरेक्टर है बस कम्पनी के, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि बड़े-बड़े मन्त्री या

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

अधिकारी कोटा पधारते हैं तो उसी के वहां उनकी दावतें होती हैं। उसमें पैसेन्जर्स टैक्स का डेढ़ लाख रुपया बकाया है, उसकी दावतें चलती रहती हैं........

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : हमें तो किसी ने दावत नहीं दी ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप नहीं तो आपके बड़े भाई साहब, सुखाड़ियाजी जाते हैं, नाम बता दूं, बुधसिंह बापना के यहां।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : जिसमें राशि बकाया है, जो ३०२ का, ३०७ का मफरूर है, ऐसे लोगों के यहां मंत्री महोदय को जाना नहीं चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : हमें क्या मालूम है कि वह किसी अपराध में कभी पकड़ा गया है। चीफ मिनिस्टर के सैकड़ों प्रोग्राम होते हैं, चीफ मिनिस्टर को पहले क्या मालूम पड़ सकता है कि कौनसी कम्पनी का कौन मैनेजिंग डाइरेक्टर है, कौन नहीं है, कई लोग मिलने आते हैं....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चीफ मिनिस्टर के साथ तो पूरा काफिला होता है, किसी से पूछ सकते हैं। चीफ मिनिस्टर को यह भी मालूम नहीं कि बसन्त कुमार आर्य साले साहब के साहबजादे में डेढ़ लाख रुपया बाकी है ?

श्री बालकृष्ण कौल : चीफ मिनिस्टर कोई वित्त मंत्री या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर नहीं हैं कि उनको यह सब मालूम रहे कि फलां में इतना बाकी है, फलां में नहीं है। तो चीफ मिनिस्टर से यह उम्मीद करना कि किस डिपार्टमेन्ट की किसमें कितनी बकाया है, कितनी नहीं है यह महान् गलती है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उन्होंने ठीक ही कहा है चीफ मिनिस्टर को हर बात मालूम हो, यह उचित नहीं है, उनको तो यही मालूम होना चाहिये कि कुम्भारामजी के लिये किस प्रकार का एडजस्टमेन्ट करना चाहिये। मैनेजिंग डाइरेक्टर डिफाल्टर है, यह उनको मालूम था, वह कम्पनी खुल कर डिफॉल्टर रही है।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं इन सब बातों का आपस में रिलेशन जानना चाहता हूं। कहां कोटा, कहां हनुमानगढ़, कहां कुम्भाराम, कहां सुखाड़ियाजी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह रिलेशनशिप धीरे धीरे मालूम हो जायगी। दीवाली पर कुछ गम मनायेंगे, कुछ मुबारिकबाद देंगे।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, गृह) : आप तो खूब गम मना कर आये हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : हम तो मना चुके, आप मनायेंगे अब।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : नहीं, हमारे गम मनाने का सवाल ही नहीं। हमने लिख

दिया है आपके भाग्य में, आपको बार-बार गम मनाना पड़ेगा । मैं ज्योतिषी हूं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हम सबसे बड़े ज्योतिषी हैं ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : ज्योतिषी होते तो घर में ही बैठे रहते ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मुख्य मन्त्री को मालूम है या नहीं, हमारे वित्त मन्त्रीजी को मालूम है । नन्द शैल के यहां बड़ी बड़ी मछ्छियां पहुंचाना ।

कोटा नदी से कैसे मगर पकड़वाए । गए । सन् १६६२तक इस नदी से मगर पकड़ने या शिकार करने की बिल्कुल मना थी तो श्री शैल के मारफत चम्बल नदी से मगर पकड़वाए ।

श्री उपाध्यक्ष : How is it relevant ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : उन्होंने कहा था, कुम्भाराम का क्या सम्बन्ध है ?

श्री उपाध्यक्ष : Please confine your self

श्री कृष्णकुमार गोयल : लाखों रुपये पैसेंजर टैक्स का एक्युम्युलेट हो चुका है, लेकिन किन्हीं कारणों से रीयलाइजेशन के अन्दर कोई एक्टिवनैस नहीं दिखाना चाहते । दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब से इस टैक्स को लगाना आरम्भ किया है, यह सेल्स टैक्स सिरदर्द ही बन गया है । इसके मारे व्यापारी परेशान, ग्राहक परेशान, उसका हिसाब रखना मुश्किल हो रहा है । यहां तक कि मजबूरी के अन्दर लोगों को सेल्स टैक्स चोरी करने पर मजबूर होना पड़ता है । आज राजस्थान के अन्दर इस प्रकार की स्थिति है कि कुछ पदार्थों पर जिस प्रकार से सेल्स टैक्स का दर निर्धारित किया गया है, इस कारण से जो हमारे राजस्थान के आस-पास के प्रांत हैं; जैसे मध्यप्रदेश या उत्तरप्रदेश, वहां सेल्सटैक्स कम या अधिक होने की वजह से स्मग्लिंग होता है, कई स्थानों पर तो राजस्थान का व्यापार वहां चला गया है । इतना ही नहीं खास तौर से पहले गोटा-किनारी पर सेल्स-टैक्स का प्रश्न आया था । वित्त विभाग ने इसको सोना या चांदी का जेवर न मानकर कर लगाया, जनरल रेट ६ परसेंट की लगा दी । उसके बाद एक पार्टी ने रेवेन्यू बोर्ड को मूव किया । बोर्ड ने फैसला दे दिया है कि गोटा किनारी पर जनरल रेट लगाना अनुचित होगा । बल्कि इसे सोने और चांदी से बना हुआ मानकर केवल दो परसेंट होना चाहिए, इस तरह का निर्णय रेवेन्यू बोर्ड एक केस के अन्दर दे चुका है, लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उसका फैसला जो हमारे लिए मान्य होना चाहिए जब तक आगे वह हाई कोर्ट में अमान्य न हो जाय, लेकिन राज्य सरकार कहती है कि क्योंकि वह फैसला तो अमुक केस के अन्दर था, इसलिए अमुक केस को ही एप्लाई करेगा; यह उचित नहीं होगा । क्या सरकार चाहती है कि प्रत्येक व्यक्ति जो गोटा-किनारी के अन्दर डील करता है वह कानून के अनुसार जो असेस किया हुआ हो पैसा जमा कराए, फिर वकील करे और सरकार भी एडवोकेट करे और बोर्ड में अपील लड़ी

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

जाय ? तो न्याय की दृष्टि से केवल इस पर दो परसेंट टैक्स लगना चाहिए ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके लिए सरकार का कोई जवाब नहीं है । उदयपुर के अन्दर कुछ पार्टीज़ ऐसी हैं कि जिन्होंने रेवेन्यू बोर्ड के फैसले के बाद सिर्फ दो परसेंट टैक्स दिया था, लेकिन उनको भी ६ परसेंट देना पड़ रहा है । सरकार को इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए । इतना ही नहीं खाद्य के बारे में स्थान-स्थान पर त्राहि-त्राहि मची हुई है, आज हरएक मांग कर रहा है। कि आवश्यक वस्तुओं की कम से कम कीमत की जाय । सरकार ऐसी कमजोरी को छिपाने के लिए कभी किसान को, कभी व्यापारी को, कभी उपभोक्ता को दोषी ठहराती है । लेकिन वित्त विभाग ने आज तक घोषणा नहीं की कि ऐसी हालत में जब खाद्यान्नों के भाव बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, हम आशा करते थे कि कम से कम वित्त मन्त्रीजी.इस आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे और घोषणा करेंगे कि जब तक खाद्यान्नों के भाव ऊंचे हैं तब तक के लिए फूडग्रेन्स से सेल्स टैक्स हटा देंगे; लेकिन वित मन्त्री की हिम्मत नहीं कि किसी प्रकार की घोषणा करे और फूडग्रेन्स पर सेल्स टैक्स माफ करें । ग्रेन और गोटा-किनारी ही नहीं, जितनी भी उपभोग्य वस्तुएं हैं उन पर सेल्स टैक्स माफ होना चाहिए । मैं तो वित मन्त्री से उम्मीद करूंगा कि वह जनता और सदन का श्रेय प्राप्त करें और घोषणा करें कि सेल्स टैक्स को ऐसी स्थिति में माफ कर दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद ।

(अनुपस्थित)

श्री सम्पतिलाल बोहरा ।

(अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह झाला ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पैसेन्जर टैक्स का प्रश्न है वह कई बार विधान सभा में उठा है और हमारे वित्त मन्त्री को भी कई बार जोश आया, हालांकि वह बुढ़ापे का जोश था और ज्यादा नहीं ठहरता, लेकिन अभी भी जोश बहुत आता है और जोश दरअसल १०-१५ दिन तक ठहर जाय तो कम से कम राजस्थान में ७५ परसेन्ट पैसेन्जर टैक्स वसूल हो सकता है, लेकिन न जाने वह किस प्रकार का जोश है कि कुछ देर तक ठहरता है और उसके बाद में मिट जाता है । इसी कारण....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : सोडा वाटर जोश है ।

श्री विजयसिंह झाला : सन् १९६३ में जब पैसेन्जर टैक्स का प्रश्न उठा था तो हमारे वित्तमन्त्री ने कहा था कि १९६३ के अन्त तक राजस्थान के अन्दर, बल्कि भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों के अन्दर जितने व्यक्तियों के खिलाफ पैसेन्जर टैक्स बाकी है आप देखेंगे कि १ जनवरी १९६४ तक एक पैसा भी बकाया न रहेगा । उस बुढ़ापे के जोश में विधान सभा में यह आश्वासन दिया था, उसके बाद में १९६४ के प्रारम्भ में पुन: यह प्रश्न उठा था तो आपने कहा कि कार्यवाही चालू की है और अब दो महीने के

(श्री विजयसिंह झाला)

अंदर इसकी वसूली कर ली जायगी तो जिस पेसेन्जर टैक्स के लिए इस सदन के अन्दर दो बार आश्वासन दिया गया हो और बड़े जोश के साथ दिया गया हो लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि सारे के सारे आश्वासन फीके रहे। मैं कुछ अंश तक आपकी तारीफ भी करूंगा कि आप जैसा जोश वहां के स्थानीय कर्मचारियों और अधिकारियों में पैसेन्जर टैक्स वसूल करने का रहता है। अब वह जोश क्यों मिट जाता है? आपके डाइरेक्शन्स से या मुख्यमन्त्री के डाइरेक्शन्स से, यह मैं नहीं कहता लेकिन यह अवश्य होता है। चौधरी कम्पनी बस, बसन्तकुमार आर्य या और कई ऐसे लोगों की मोटरें रह जाती हैं तो उदयपुर और वहां के बीच में दौड़धूप हो जाती है उसके बाद में यह जोश भी ठंडा हो जाता है। ऐसी हालत मैं जानना चाहूँगा कि जो सारे राजस्थान में करीब ५० लाख का पैसेन्जर टैक्स का बकाया है तो आपकी लापरवाही से, जिसकी वजह से हाईकोर्ट से मोटर मालिकों ने स्टे ऑर्डर लिया। मैं तो कहूंगा कि इन्टेन्शनली वे गल्तियां आपने रखीं; चाहे वह लॉ डिपार्टमेंट हो चाहे आपका विभाग हो लेकिन बार बार एक ही गल्ती को दुहराना और उस गल्ती के आधार पर ५० लाख रुपया मोटर मालिकों से, स्टे होने की वजह से वसूल न होना शर्म की बात है। इसके सिवाय भी आप कहते हो कि बहुत से लोगों में स्टे हैं इसलिए मैं वसूल नहीं कर रहा हूं और स्टे जब हट जावेगा तब मेरा जोश देखना। यह जोश भी देखेंगे बाद में जब स्टे हट जावेगा। लेकिन होगा यही जो आज तक हुआ है। इन पचास लाख को जाने दीजिये। जिनमें स्टे नहीं लिया है उनमें लाखों रुपया बाकी है। उनमें जोश नहीं दिखाते वसूल करने का। फिर कहूंगा अलका होटल का या नाथद्वारा के प्रसाद का। आप कहेंगे कि मैंने नाथद्वारा का प्रसाद नहीं खाया है या मैं अलका होटल में नहीं ठहरा हूं? आचार्य साहब ने जरूर प्रसाद खाया है और अलका होटल में ठहरे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, गृह) : आप और हम दोनों बैठ कर खाते हैं एक पंक्ति पर। आप प्रसाद में पैदा हुए हो और वहां रहोगे।

श्री विजयसिंह झाला : मेरे प्रसाद का मोटर मालिकों पर असर नहीं होता है, लेकिन आपका करता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अन्दर ही अन्दर कुछ बोल रहा है।

श्री विजयसिंह झाला : आपको दूसरा विभाग और मिला है, आपकी जानकारी के लिए निवेदन कर दूं। राजनगर की जनता ने आपको श्मशान घाट का मिनिस्टर बनाया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : 'श्मशान का बेटर; यह आपको उपाधि दी है।

श्री विजयसिंह झाला : और मेरी समझ में आपने उसको सहर्ष स्वीकार किया है, इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि कांग्रेस सरकार की अस्थियां निकलने वाली हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : श्मशान घाट के बटेर हैं ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ये चालाक इतने हैं कि श्मशान घाट के मन्त्री हो गए, घाट वालों को तय करना है....

श्री निरंजननाथ आचार्य : "श्मशान घाट के बटेर" कहा है । ढूंढते ही फिरो । प्राणान्त होने पर बटेर तैयार ।

श्री विजयसिंह झाला : आपके पास सूचना आ चुकी है । अस्थियां निकल रही हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपकी परेशानी होने वाली है । पंडा होकर बैठा हूं; आपकी कब आने वाली है ?

श्री विजयसिंह झाला : हमारी नहीं आने वाली है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आपकी आने वाली है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप का तो हनुमानगढ़ में भड़िता हो चुका है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपका हुआ है । ७० लाख में से १० लाख तो निकल गये ।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री विजयसिंह झाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पैसेन्जर्स टैक्स के बारे में कह रहा था । ५० लाख को तो जाने दीजिये । जोश न होने से वसूल नहीं कर सके । उसके सिवाय भी कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से पैसेन्जर टैक्स वसूल नहीं हो रहा है । वह यह हैं कि आपके आर. टी. ओ. और एक्साइज़ विभाग दोनों अलग अलग हैं । मैं समझता हूं, जब तक सही व्यवस्था नहीं होगी, दोनों को आर. टी. ओ. और एक्साइज को संयुक्त जिम्मेदारी मान कर एक मिनिस्टर के अन्तर्गत नहीं लावेंगे, जब तक आप इनकी संयुक्त जिम्मेदारी महसूस नहीं करेंगे तब तक सारे राजस्थान में पैसेन्जर टैक्स वसूल नहीं हो सकता । विधान सभा में कई बार कहा गया कि आपके जो कलेक्शन करने का तरीका है उसमें चेन्ज लाना पड़ेगा और जब तक नहीं लावेंगे तब तक पैसेन्जर टैक्स की चोरियां या इस सम्बन्ध में जो आपकी ढीली नीति है उसमें सुधार किसी प्रकार का नहीं हो सकता । क्योंकि जब तक एक्साइज़ विभाग क्लियरेंस सर्टिफिकेट न दे दे, कायदे के अनुसार आर. टी. ओ. को टोकन इश्यू नहीं करना चाहिए । बगैर टोकन इश्यू हुए गाड़ियां चल रही हैं । मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश में जैसी इस सम्बन्ध में व्यवस्था है वैसी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी ।

एक सुझाव पहले दिया था कि जो टिकट मोटर मालिकों को देते हो उन पर पहले से ही पेसेन्जर टैक्स लगा दें और वे टिकट पैसेन्जर टैक्स का टिकट लगे होने पर ही बेचे तो बाकियात का भी सवाल नहीं रहेगा और बार बार सदन में झकझोर करनी पड़ती है और आपसे लड़ना पड़ता है, आपको थोड़ा जोश आता है, लेकिन आप कुछ कर नहीं

(श्री विजयसिंह झाला)

सकते हो, और तड़प कर रह जाते हो, इस बीमारी से भी आप मुक्त हो जाओगे ।

आपके कर्मचारियों में जो असन्तोष है उसको मिटाना पड़ेगा । बहुत सों की सीनियोरिटी लिस्ट नहीं बनी है जिससे जिस मन से काम करना चाहिए उस लगन के साथ वे काम नहीं कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं सेल्सटैक्स के बारे में आता हूं । मैं समझता हूं, हमारे यहां पर बहुत सी चीजों पर हमारी पड़ौसी स्टेट्स के मुकाबले अधिक सैल्स टैक्स हैं । नाम उनका नहीं लेना चाहूंगा । मैं यही कहना चाहूंगा कि टैक्सेशन कमेटी अभी बनी है । यह सुझाव दिया गया है कि पड़ौसी स्टेट्स को देखते हुए जो हमारे यहां पर सेल्स टैक्स लगाते हैं उसको देखते हुए लगाना चाहिये । सारे टैक्सेज़ को उस लाइन में स्क्रूटिनाइज़ करना चाहिये । और उनमें एक-रूपता लानी चाहिये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कटौती प्रस्ताव रखता हूं ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसेपहले मैं अपनी डिमान्ड के बारे में कुछ कहूं, मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि यह १९६०-६१ की एक्सेस डिमान्ड अब आप इतने तीन साल के बाद इस हाउस में पेश कर रहे हैं जब कि इसके पहले भी आपने उन्हीं सालों की सप्लीमेन्टरी डिमान्ड्स भी यहां से मन्जूर करायी फिर मुझे समझ में नहीं आता कि ६०-६१ की डिमान्ड हाउस में क्यों रखी जा रही है ?

जहां तक टैक्सेज़ का सवाल है पहले भी हमने कहा और मैं फिर आज कहना चाहता हूं कि जहां तक बिक्री कर का सवाल है राजस्थान की जो रेट्स हैं वे समय समय पर घटती और बढ़ती रहती हैं जिससे यहां के व्योपारियों को बहुत बड़ा भारी नुकसान होता है, हुआ है और भविष्य में होने को है । हमारे प्रान्त के नजदीक में दिल्ली ऐसा शहर है जिसमें जो व्योपारी वहां रहते हैं और होलसेलर हैं वहां पर सेल्स टैक्स की मात्रा इतनी कम है और उनके मुकाबले यहां राजस्थान की सेल्स टैक्स की मात्रा ज्यादा है । करीब एक हजार से अधिक चीजों पर यहां पर सेल्स टैक्स ६ परसेंट से १० परसेन्ट है जब कि दिल्ली में १ से २ परसेन्ट है । तो जितने होलसेलर्स हैं डाइरेक्ट दिल्ली में जाकर राजस्थान में माल लाते हैं और २ परसेन्ट सेल्स टैक्स वहां का और १० परसेन्ट सेल्स टैक्स यहां का बचा लेते हैं । न तो दिल्ली का २ परसेन्ट और न ही राजस्थान का १० परसेन्ट सेल्स टैक्स वे चुकाते हैं; बल्कि दोनों की जगह के सेल्स टैक्स की चोरी करके यह माल आता है । इससे राजस्थान के लाखों और करोड़ों रुपयों के सेल्स टैक्स की चोरी हो रही है, उनको चोरी इसलिये करनी पड़ती है कि यहां सेल्स टैक्स अधिक होने से जो प्रोफिट का मार्जिन होना चाहिये वह नहीं रह पाता है, सेल्स टैक्स पूरा चुकाने के बाद और उनको उल्टा नुकसान उठाना पड़ता है और जितनी जनरल मर्चेन्ट्स की और दूसरी चीजें हैं हमारे पड़ौसी के जितने प्रान्त हैं, मध्य प्रदेश, यू. पी, पंजाब आदि उनमें सेल्स टैक्स की मात्रा कम है । पहले भी वित्त मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि उन रेटों को ठीक करने की कोशिश करेंगे । पर समय निकलता

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

जाता है और आज दिन तक ठीक करने की कोशिश वित्त मन्त्रीजी ने नहीं की है ।

आप देख लीजिये हजारों लोग यहां से फ्राइडे, सेटरडे को दिल्ली आते हैं, सामान के बक्से के बक्से भर कर वहां से लाते हैं और चौकी–चुंगी पर नाकेदार रहता है उनकी जेबों में थोड़ा पैसा डालकर चले आते हैं और लाखों करोड़ो रुपयों की कीमत का सामान इस तरह से आपके राजस्थान में बिकता है जिस पर आपको कोई सेल्स टैक्स नहीं मिलता। तो इसलिये मेरा निवेदन है कि आपकी सेल्स टैक्स की रेटें सराउन्डिंग स्टेटों की रेटों से ज्यादा है जिसके कारण व्यापारियों को भी इस तरह से डिमोरेलाइज़ होना पड़ता है और सरकार को भी नुकसान उटाना पड़ता है ।

दूसरी बात, आज सेल्स टैक्स की बकाया वसूली में ढिलाई बरती जा रही है। वह सोचनीय है । इस सदन में हम लोगों ने आंकड़ों के आधार पर भी और पार्टियों के नाम बता कर भी रखने की कोशिश की कि यह रुपया इकट्ठा किया जाय। पर सरकार अपना खर्चा बढ़ाने के लिये अपने आदमियों को, स्टॉफ को बढ़ाने के लिये मांग करने यहां आ जाती है, पर बकाया वसूली करके कुछ नहीं बताती । जब इतने आदमियों को सरकार एम्पलोय कर रही है तो फिर वे करते क्या हैं, बकाया वसूली में उनको क्यों नहीं लगाया जाता । छोटे छोटे व्यापारियों से तो बकाया लेने के लिये इन्सपेक्टर दबाव डालकर ले लेता है पर जिनमें आज भी दस–दस लाख और आठ–आठ लाख और पांच–पांच लाख की एक-एक पार्टी में बकाया है उनको यह विभाग छूता भी नहीं, उनसे डरता है। ये माइन्स वाले लोग माल बाहर भेजते हैं, उनसे सेल्स टैक्स वसूली में ढिलाई क्यों ? ये बड़ी बड़ी पार्टियां चन्दा देती हैं इस सरकार को, इस सरकार की पार्टी को इसलिये उनके पास से टैक्स वसूल करने की इनकी हिम्मत नहीं पड़ती । इसलिये जब उनसे वसूली की बात कहते हैं हम तो जल्दी से मजाक के रूप में उत्तर दे देते हैं कि यह तो सब हमारा प्रोपेगेण्डा मात्र है । आप असत्य बोलने में भी माहिर हैं । उल्टे हमें ही असत्य साबित करने की कोशिश करते हैं ।

मैं बताऊं राजस्थान में सेल्स टैक्स की बकाया हो, चाहे कोऑपरेटिव की हो, किसी तरह की हो, चालीस करोड़ से ज्यादा राशि आज भी लोगों में बकाया है और यह बकाया एक-दो साल की नहीं, ५२ से लेकर आज तक की है । पर यह सरकार वसूल नहीं करती, सिर्फ स्टाफ बढ़ाने के लिये पैसा मन्जूर कराने की बात करती है ।

श्री **रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): चालीस करोड़ कहां से बन गई राशि कहां से लाये आंकड़े ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ये सरकार द्वारा बताये हुए ही आंकड़े हैं । एक क्वेश्चन के जवाब में आये हैं ये । ५८ में आठ लाख थी, ६४ में ६७ लाख हो गई । एक-दो आंकड़े नमूने के तौर पर रखता हूं । ६२–६३ में जब मैंने एक सवाल पूछा तो उत्तर दिया

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

सरकार ने कि भीलवाड़ा में बस ऑपरेटर्स में ६२ हजार बाकी था। पर ६४ में यही आंकड़ा बढ़कर २,६८,७७२ हो गया। मुझे समझ में नहीं आता बकाया बढ़ कैसे गई इतना स्टॉफ सरकार के पास होते हुए भी ? २६ जिलों में से २२ जिलों के टारगेट दिये हैं, उसका बकाया है-२२,२०,५७६ रुपये बताया गया है। एक तरफ सरकार कहती है वह प्रयत्नशील है और दूसरी तरफ ये आंकड़े हर जिले के हर साल बढ़ते जा रहे हैं।

मैं अर्ज करता हूं। आप बजट मंजूर कराइये। ऐतराज़ नहीं हमें। आदमी आप रखें जरूरत है तो। पर रखने का मतलब यह नहीं कि आप उनसे काम न लें और बकाया आपकी बढ़ती ही जावे, उसकी वसूली आप नहीं करावें।

यही नहीं, सेल्सटैक्स के इन्सपेक्टर्स, ऑफिसर्स जो असेस करते हैं उनमें भी खोट ले हैं। हमने एक अमेन्डमेन्ट सदन में पास किया था कि जो छोटे व्यापारी हैं, जिन्होंने साल भर में एक सीमा तक व्यापार किया है तो उनको सेल्सटैक्स में यह रियायत होगी कि उनका असेसमेन्ट जो पहले साल हो गया है उसीको बेस मान कर अगले साल भी असेस कर लिया जावेगा उतना ही, उसकी बुक्स वगैरह देखने की जरूरत नहीं होगी। पर दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज दिन तक भी वह सुविधा उनको नहीं मिली है। तो मैं निवेदन करता हूं कि जो गरीब हैं, छोटे हैं, ईमानदार हैं उनको दबाया जाता है और जो बड़े बड़े हैं, जो बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं, सरकार को दान और चंदे के रूप में देकर उनका मुंह बन्द करते हैं, उनके साथ आप कुछ नहीं करते, उनका बकाया तक वसूल नहीं कर सकते।

इतना ही कह कर मैं अपना कथन समाप्त करता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : काफी बकाया सरकार की चली आ रही है, सात करोड़ की। सरकार की एक्सेस डिमाण्ड भी आई है। ६०–६१ के एप्रोप्रियेशन की एक्सेस आज निकली। इसका अकाउन्ट्स कमेटी में भी जिक्र रहा। आज ६३-६४ में प्रकट हुई है वे एक्सेस डिमाण्ड्स। "देर आयद दुरुस्त आयद। चार साल बाद जगी यह सरकार; तो जगी तो सही। हालांकि यह गड़ा मुर्दा निकाला फिर भी सदन में इस पुरानी एक्सेस को लाने का श्रेय इन वित्त मन्त्रीजी को है। साल दर साल बहुतसी सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट आई, एक्सेस डिमाण्ड भी आई। पर यह ६१-६२ की आई, ये बधाई के पात्र हैं। शुक्र है कि ये लाये तो सही। वरना वे मालिक थे, इन्चार्ज थे महकमे के। और दो साल बाद भी लाते तो क्या कर लेते और कतई नहीं लाते तब भी क्या था ? सिर्फ कहने की ही बात थी। इसलिए वास्तव में ये बधाई के पात्र हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आखिर डिमाण्ड लाये तो सही।

पैसेन्जर टैक्स की रिकवरी का मेवाड़ के एक माइन ओनर्स स्टोन मेवाड़ के जिम्मे वित्त मन्त्रीजी ने ३॥ लाख की बकाया निकाल डाली तो मुझे काफी उम्मीद हुई थी कि बड़े बड़े माइन ओनर्स को अब ये छेड़ेंगे।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

उस वक्त सुरजीतसिंह और रामगंज मण्डी के दलजीतसिंह, कैमिकल लाइम्स, मूंडवा के कछवाहा इन सब की तरफ भी मेरा ध्यान गया था और उन्होंने कहा भी था कि मैं इनसे भी वसूल करूंगा; इन बड़े बड़े माइन्स लीज़र्स से जो रायल्टीज़ में से और एक्सेस रॉयल्टीज़ में से सेल्सटैक्स का लाखों रुपयों की चोरी करते हैं।

उनकी तरफ वह कदम बढायेंगे, इसकी मुझे बड़ी उम्मीद थी। उन्होंने कदम बढ़ाया है या नहीं, लेकिन मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि मूंडवा कैमीकल लाइम्स के यहां भारत सरकार ने छापा मारा, इसी वर्ष पड़ा और उन्होंने लाखों रुपये के इन्कम टैक्स का बकाया मूंडवा कैमीकल लाइम्स के नाम पर निकाला। तो उससे एसोसियेटेड ही यह निश्चित बात है कि लाखों रुपये की सेल्स टैक्स की बकाया इन कैमिकल लाइम्स वालों की होगी, लेकिन पता नहीं क्यों वित्त मन्त्री महोदय की उनके ऊपर इनायत है, उनके ऊपर करम है कि उन्होंने उनकेजिम्मे कोई सेल्स टैक्स की बकाया निकालने का प्रयत्न नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय, चाहे तो सीमेन्ट फैक्टरी सवाई माधोपुर को ले लें जो कि १८ मील के एरिया के अन्दर ही एक्सकेवेशन कर सकती है और उन एरियाज के अन्दर स्टोन कोबिलकुल एग्जास्टकर चुके हैं और उसके बाद अनआथोराइज्ड एरिया के अन्दर स्टोन बाकायदा डिग कर रहे हैं और रॉयल्टीज की, सेल्स टैक्स की और एक्सेस रॉयल्टी की, करोड़ों रुपयों की चोरी वे कर रहे हैं और हमारे राज्य के मुख्य मंत्री महोदय ने, जब मैंने एक बार प्रश्न उठाया था तो उन्होंने कहा था कि उनका प्रोडक्शन बढ़ गया है। यह प्रोडक्शन कैसे बढ़ गया, तो उपाध्यक्ष महोदय, उस समय भी मैंने अर्ज किया था कि इस बात को एग्जामिन करवा लें कि यह हजारों रुपये कांग्रेस को चन्दा देने वाले साहू जैन ब्रादर्स, जिनके ऊपर लाखों रुपये सरकार का कर्जा है उसको यूज़ कर रहे हैं। वह अपने एरिया के अन्दर स्टोन को कतई एग्ज़ॉस्ट कर चुके हैं। और उसमें कोई स्टोन अब ऐसा बाकी नहीं है कि जो सीमेन्ट बना सके।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : (नसीराबाद) on a point of clarification, Sir, मैं सम्मानीय सदस्य से कहूंगा कि चन्दे की बात कांग्रेस के साथ नत्थी करके कहना गलत है। वह ज्यादा जमीन पर काम कर रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है, यह समझ सकते हैं लेकिन यही सरकार है जो उनको जेल भी भेजती है। यही वह सरकार है कि अगर वह गलती करें तो उनके ऊपर केस भी चलाती हैं इसलिए यह फैशन बनाना बहुत गलत होगा और बहुत भद्देपन की बात होगा, कुछ कारण नहीं सूझा तो कांग्रेस का चन्दा याद आ गया। ऐसा क्या तुम्हारी छाती पर कांग्रेस कूद रही है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके मुंह में घी शक्कर अगर माननीय सदस्य की सिफारिश से ऐसे लोग जो लाखों रुपयों की चोरी करते हैं वे जेल भेज दिये जायें तो उनकी कसम खाकर कह सकता हूं कि इस किस्म की बात मैं कहना छोड़ दूंगा। लेकिन मेरे और उनके

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

दोनों के चिल्लाने से भी इनमें से कोई जेल नहीं जायेगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कोई कर्म करेगा तो जायेगा।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा: यह तो "बड़े मियां तो बड़े मियां छोटे मियां सुभानल्ला वाली" बातहै। आप भी जानते हैं, मैं भी चिल्लाता हूं। जेल भेजने वाले और जाने वालों केबीच में क्या सम्बन्ध हैं, यह सब जानते हैं। मैं कह रहा था कि जो बड़े भाई को मिर्चें लगों इस तरह की बात से तो मैं माफी मांगूंगा। वे मुझे माफ कर दें।

अब मैं आगे बढ़ूं कि इन लोगों के जिम्मे रॉयल्टी, एक्सेस रॉयल्टी और सेल्स टैक्स के करोड़ों रुपये की रकम बाकी हैं। अगर सरकार उनको वसूल करे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जहां सरकार करोड़ों रुपये के टैक्स लगाती है गरीबों और किसानों के ऊपर वह टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। सरकार जो जमीन नीलाम करती है और उसको गरीब लोग ले नहीं पाते, सरकार को वह जमीन भी नीलाम नहीं करने की जरूरत हैं

अब मैं पैसेंजर्स टैक्स के बारे में कहूंगा। ५० लाख से ज्यादा सरकार की रकम बकाया चल रही है। आज से नहीं पिछले दस सालों से चल रही है यह मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की। ६३ के अन्दर जो सरकार का पैसेंजर्स टैक्स का बकाया का आंकड़ा था वह २० लाख के करीब था, ६२ के अन्दर भी २० लाख के करीब था और अब ५० लाख के करीब पहुंच चुका है। अगर इसका ब्याज दर ब्याज लगायें तो यह एक बहुत बड़ी राशि होती है और जिन लोगों के जिम्मे टैक्स बकाया है वह कोई एक, दो या तीन साल से बकाया नहीं है, बल्कि चार और पांच २ साल से बकाया है और उस रकम को वह लेकर बैठे हुए हैं और बाकायदा उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप गंगानगर के मुकुन्दराम दौलतराम को ही ले लें। यह बात दूसरी है कि अमोर के अन्दर श्री मुरारजी भाई आयें और वहां पर गाड़ी एक घंटा खड़ी हो और वे वहां पर चाय पीयें। लेकिन गंगानगर के दौलतराम मुकुन्दराम के ऊपर लाखों रुपये बकाया चले आ रहे हैं चार--चार और पांच--पांच साल से।....

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : मैं माननीय सदस्य से जानना चाहूँगा...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप बाद में जवाब दे लेना।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं यह चाहता था कि अमोर में मुरारजी भाई के जाने के वक्त मैं गया था, आप यह कह रहे हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने तो आपका नाम ही नहीं लिया। आपके कान बज रहे हैं। इनशाल्ला आप बैठें, एक ग्लास ठंडा पानी नोश फरमायें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप कान बजाकर दिखा सकते हैं क्या ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं कौल साहब होऊं तो अभी बता दूं कोई जादूगर तो हूँ नहीं ।

तो मैं अर्ज कर रहा था कि मैं तो इनकी मुसीबत बचा रहा था कि दौलतराम मुकुन्दराम से टैक्स वसूल करने की जरूरत कैसे हो, जिनका इतना बड़ा दबदबा हो कि मुरारजी भाई को सोने से तुलवाने के लिए गंगानगर आयें और गाड़ी दो घन्टे खड़ी हो और उनके जिम्मे ६–८ लाख की बकाया हो । उनको पकड़ने की आपकी हिम्मत नहीं पड़ती है । फिर रामप्रसादजी माली····

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, सामान्य प्रशासन) : उपाध्यक्ष महोदय, जब यहाँ पर गुड्स एण्ड पैसेंजर्स (अमेंडमेंट) बिल चल रहा था उस समय आपने २५ लाख की बकाया बताई और आज ८ लाख की बता रहे हैं····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ५० लाख कह रहा हूं ।

श्री परसराम मदेरणा : आपने पहले तो इन्हीं पर २५ लाख बताया था और आज ८ लाख बता रहे हैं, तो यह बीच की रकम वसूल कब हो गई ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने ३० लाख के फीगर्स पूरे राजस्थान के बताये हैं और यह ६३ का आंकड़ा था ।

श्री परसराम मदेरणा : मैं पहले भी फीगर्स रख चुका हूँ और आप एग्ज़ेज़रेट करके कम से कम हन्ड्रेड टाइम्स ऐसी गलत बात कह कर रखते हैं । आप ही बतायें २५ लाख किसके ऊपर बकाया है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ३० लाख राजस्थान का कहा था और यह ६३ का या और यह रकम अब तक ५० लाख हो गयी है । दौलतराम के ऊपर लाख से ऊपर की बकाया है । एक साल से नहीं कई सालों से बकाया है और मैं अर्ज कर दूं कि दौलतराम जी के आंकड़े ढाबरिया जी ने दिये हैं वें डिफरेंट आंकड़े हैं । एक मेरा प्रश्न है तो ऑडिट की रिपोर्ट के अन्दर डिफरेन्ट आंकड़े हैं । आपकी सरकार के दिये हुए आंकडों के अन्दर ही वेरियेशन्स हैं । आप हमसे क्या कहेंगे ।

श्री परसराम मदेरणा : वह इसलिए होता है कि वसूली होती है । रकम के डिपोजिट होने के बाद में जो एरियर्स रहते हैं उसके कारण वेरियेशन होता है । लेटेस्ट जो मैंने आंकड़े दिये वह आउटस्टेंडिंग बकाया की है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आज कुल कितनी बकाया है ?

श्री परसराम मदेरणा : इसका मुझे पता नहीं । मैंने अभी दो ट्रंक काल करके उन फीगर्स को मंगाया है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : होटल बता दें । जब फीगर्स आपने मंगाये हैं तो फिर बता देना ।

श्री उपाध्यक्ष : Shri Handa to continue.

(४.०० म.प.)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप गलत फहमी में हैं। मैंने दौलतराम पर ३० लाख का बकाया कभी नहीं बताया। सदन की प्रोसीडिंग पढ़ लें। कुल राजस्थान का ३० लाख का बताया और अब करीब ५० लाख के बता रहा हूं और मैं आपसे अर्ज करूंगा कि अब जितनी बकाया होगी उसकी रिकवरी पिछले साल से चली आ रही है। लाखों रुपया गंगानगर के बस प्लायर्स के अन्दर पैसेन्जर टैक्स का बकाया चला आ रहा है। इसके अतिरिक्त खुद वित्त मन्त्री कौल साहब ने एक प्रश्न के उत्तर में यह आश्वासन दिया कि उदयपुर के फकरुद्दीन बस कम्पनी के मालिक बसन्त कुमार आर्य में करीब लाख, डेढ़ लाख का बकाया है और आपने यह कहा था कि तीन महीने के अन्दर उस बकाया की रिकवरी कर ली जायगी। दुबारा यह प्रश्न उठाया गया इसी कन्टीन्यूड सैशन में, उस वक्त रिकवरी नहीं हुई थी और आज भी जो पैसेन्जर टैक्स की बकाया है उसकी रिकवरी नहीं हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, पैसेन्जर टैक्स की रिकवरी और जिस किस्म से पैसेन्जर टैक्स की दशा होती है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। आम तौर पर बस प्लायर्स वह पैसेन्जर टैक्स का पूरा डिक्लेरेशन देते ही नहीं हैं। ओवर लोडेड बसेज़ चलती हैं। चैकिंग जो है इस मामले के अन्दर वह कम्प्लीट फेल्योर है। कहीं चैकिंग होता है और अगर ५० पैसेन्जर्स रन कर रहे हैं तो ३० पैसेन्जर्स से पैसेन्जर टैक्स चार्ज किया हुआ दिखाया जाता है। आम तौर पर डुप्लीकेट कॉपी रखी जाती है टिकिट्स की और जब चैकिंग होता है तो असली कॉपी दिखा दी जाती है लेकिन बाद में पैसेन्जर टैक्स डुप्लीकेट कॉपी से कर दिया जाता है। डिपोज़िट के लिए भी सरकार का स्ट्रिक्ट और सख्त कानून नहीं है कि पैसेन्जर टैक्स बस मालिक को एक फिक्स्ड पीरियड के अन्दर डिपोज़िट कर दें। इसके सम्बन्ध के अन्दर जो सरकार एक्शन लेती है वह एक्शन इतना स्ट्रिक्ट नहीं है कि उन लोगों को मजबूर कर दे कि वह पैसेन्जर टैक्स बाकायदा डिपोज़िट करते चले जायं। आम तौर से इसीलिए यह होता है कि पैसेन्जर टैक्स का जो कुछ भी बकाया है वह पर्सनल यूज़ में बस मालिकों के आ रहा है।

एक साधारण सी बात है कि सिनेमा में जो एन्टरटेनमेंट टैक्स लगता है तो उसके लिए स्टाम्प लगाते हैं। मैं समझ नहीं पाता कि क्यों नहीं कौल साहब का महकमा टिकिट इश्यू करता है बस मालिकों को। वह जिस वक्त टिकट खरीदता है तो पैसेन्जर टैक्स अदा हो जाता है और पैसा जमा कराने की दिक्कत भी नहीं और रिकवरी की भी दिक्कत नहीं और न मालिकों के पास रकम पड़ी रहती है। अगर मार्ग में कहीं चैकिंग हो जाय, और पैसेन्जर्स के टिकिट पर स्टाम्प नहीं हो तो उसे मालिक का फौरन चालान किया जाय, उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाय।

मैंने सदन का काफी समय ले लिया। मैं अन्त में यही अर्ज करना चाहता हूं, वैसे तो मैं सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में जो सरकार की

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

पॉलिसी है उसके बारे में भी कुछ कहना चाहता था कि चारों तरफ कई प्रान्त हमारे प्रान्त के साथ लगते हैं; उनकी और हमारी टैक्स की रेट्स में बहुत फर्क है जिससे आम तौर पर स्मगलिंग एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त के अन्दर होता है।

चांदी और सोने की चीजों की बनावट को ही आप ले लीजिये। आज हमारे यहां के सेल्स टैक्स की वजह से हमारा जो ज़ेवरात बनाने का धन्धा था वह करीब करीब चौपट हो गया है। एक आदमी जो कि यहां पर चांदी और सोने पर टैक्स देता है वह जेवरात यहां पर क्यों बनायेगा ? वह पास में आगरा या यू०पी० में जेवरात बनाना पसन्द करेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

इसी किस्म के दूसरे आइटम्स हैं।

मैं अन्त में यही निवेदन करूंगा कि टैक्सों के अन्दर जो बकाया हैं उसकी वसूली सख्ती से की जाय।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ८६ पर मेरा एक कटौती का प्रस्ताव है।

"मांग संख्या ८६, मुख्य शीर्षक १२-का-बिक्रीकर में१) रु० की कटौती की जाय (बिक्रीकर की वसूली में व्यवस्था पर बहस करने हेतु)।"

श्री उपाध्यक्ष : Now Hon' ble Memberswill be very brief.

श्री गोविन्दसिंह : मैं सबसे पहले फाइनेन्स मिनिस्टर को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जहां तक बिक्री कर का सम्बन्ध है उसमें काफी वसूली की है और जो बकाया है उसकी भी इसमें पूर्ति की है। मैं साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि पहले बिक्री कर की वसूली में ढिलाई बरती जाती थी जो कि फाइनेन्स मिनिस्टर साहब अपने बजट भाषण में मन्जूर कर चुके हैं कि पहले चोरियां हुआ करती थीं या बिक्री कर की वसूली में ढिलाई थी और बजट में साफ बताया था कि इतने रुपये की की थी, उसको वसूल कर लेंगे। मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जिला झालावाड़ चारों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, वहां का एक मसला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सन् ५८ में एक लिस्ट निकाली थी जिसमें ५४ आँइटम्स तिलहन में शामिल किये गये। वही लिस्ट सारे राजस्थान में सर्क्यूलेट हुई थी। सन् ६२ तक वही लिस्ट चलती रही। उसके बाद में राजस्थान गवर्नमेंट ने एक लिस्ट निकाली तो उसमें पोश्त के दाने को तिलहन में से निकाल दिया। पोश्त का दाना उस इलाके में अच्छा होता है। झालावाड़ मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। भवानीमण्डी में इस चीज का काफी व्यापार होता था। जब इसको लिस्ट में से निकाल दिया तो राजस्थान के व्यापारियों ने मध्यप्रदेश की मण्डियों में जाकर करना शुरू कर दिया और राजस्थान सरकार को जो टैक्स इसका मिलना चाहिए था वह नहीं मिल सका, क्योंकि राजस्थान में इस पर ७ पर्सेन्ट टैक्स लगा दिया गया और

(श्री गोविन्दसिंह)

अगर वह इसका व्यापार मध्यप्रदेश में करते हैं तो वहां पर सेल्स टैक्स २ पर्सेन्ट होता है। बाद में राजस्थान सरकार ने भी अपनी इस भूल को मंजूर किया है। इसका कारण यह मालूम होता है कि हमारे अधिकारियों को यह मालूम नहीं है कि पोस्त से भी तेल निकलता है। भवानी मण्डी में इसका हजारों मन तेल निकलता है और राजस्थान सरकार को तेल केसेल्स टैक्स से हजारों रुपयों की आमदनी हो रही है। राजस्थान सरकार ने पोस्त को तिलहन में अब मान लिया है और भवानी मण्डी के व्यापारी जो आस-पास मध्यप्रदेश के इलाकों में चले गये थे वे वापिस आ गये हैं। लेकिन इस अव्यवस्था के कारण सेल्स टैक्स जो राजस्थानकोमिलना चाहिए था उसमें काफी कमी हुई है।

इसी तरह से डाल्डा का प्रश्न है। राजस्थान और मध्यप्रदेश में डालडा के ऊपर सेल्स टैक्स के रेट्स में काफी फर्क है। मैं यह नहीं कहता कि राजस्थान सरकार उसको कम कर दे, लेकिन राजस्थान सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि जो मंडियां हमारी दूसरे प्रन्तों के साथ लगी हुई हैं विशेष रूप से भवानी मंडी का प्रश्न है जिसके बिल्कुल पास में ही मध्यप्रदेश की भैसोंदा मंडी लगी हुई है उसमें ऐसा है कि रेलवे का मालगोदाम तो मध्यप्रदेश में है और बुकिंग स्टेशन राजस्थान में है। वहां पर फाटक खोलने पर ही राजस्थान से मध्यप्रदेश में आ सकते हैं, सिर्फ एक दरवाजा खोलने पर ही राजस्थान से मध्यप्रदेश व मध्यप्रदेश से राजस्थान में पहुंच जाते हैं दीवार का एक हिस्सा राजस्थान में है तो दूसरी तरफ का हिस्सा मध्यप्रदेश में है। वहां पर विशेष इन्तजाम करना पड़ेगा। भवानी मंडी के कई व्यापारियों की दुकानें भैसोंदा मंडी में खुली हुई हैं और चूंकि वहां पर डालडा पर सेल्स टैक्स कम है इसलिए भवानी मंडी में डालडा का व्यापार समाप्त हो गया है और सारे झालावाड़ जिले को डालडा भैसोंदा मंडी सप्लाई कर रहा है और वहां से स्मगल होता है। राजस्थान के व्यापारियों ने वहां दूकानें लगा दी हैं तो एक भाई भवानी मंडी की दूकान पर बैठता है तो दूसरा भैसोंदा मंडी की दूकान पर बैठता है। मैं समझता हूं कि सेल्स टैक्स की चोरी करने वालों को जरूर सजा दें, लेकिन उनकी अलग अलग दूकानें हैं, लेकिन जो राजस्थान में बैठा हुआ है उसको आपके लोग वहां जो भैसोंदा मंडी में माल बिकता है उसके बारे में तंग करें तो मैं समझता हूं कि वह न्याय संगत नहीं है। ऐसी कई बातें हुई हैं।

अभी जो माननीय सदस्य बोल चुके हैं उन्होंने सोने और चांदी पर सेल्स टैक्स के बारे में जिक्र किया है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि हर एक आदमी किसी भी तरह से चाहे चोरी करे, लेकिन जहां उसको पैसा कम लगता है वहां पर जायगा और वहां पर अपना काम करायेगा।

दूसरी दो-एक चीजें खास तौर से निवेदन करना है कि राजस्थान सरकार के सेल्स टैक्स के इन्सपेक्टर जो चोरी करते हैं उनको पकड़ें और उनको सज़ा दें। लेकिन जो ईमानदारी से काम करते हैं और बराबर टैक्स जमा कराते हैं उनको तंग नहीं करें। अभी

(श्री गोविन्द सिंह)

अभी भवानी मंडी में सेल्स टैक्स के अधिकारियों ने रेड किया और १५--२० आदमियों के खाते-बही उठा कर ले गये झालावाड़ा और उनको तारीख पेशी दी है दीवाली की। व्यापारी दीवाली पर अपने बही खाते की पूजा करते हैं और नये बही-खाते खोलते हैं तो उनको बही-खातों की आवश्यकता पड़ेगी। आप बताइये कि जब उन्होंने तारीख पेशी दीवाली की दी है तो दीवाली पर कैसे जायेंगे? हो सकता है कोई गड़बड़ हो। अगर कुछ गड़बड़ियां थीं तो सेल्स टैक्स इन्सपेक्टर को भवानी मंडी में ठहरना चाहिये था और जितना जुर्माना हो सकता था करना चाहिये था, दुगुना भी जुर्माना करता तो मैं महसूस नहीं करता लेकिन व्यापारियों के कागजात पकड़ लेते हैं और उनको झालावाड़ बुलाते हैं। इसमें उनका कितना खर्चा होता है इसकी परवाह नहीं करते। मैं कहता हूं कि जो चोरी करते हैं उनको आप सजा दीजिये लेकिन जो चोरी करते हैं उनको तो आप सजा नहीं देते और जो आपकी खुशामद नहीं करता उनको परेशान करते हैं। हर एक व्यापारी को 'सी' फॉर्म रखना पड़ता हैं, उसके लिये भी यदि वे झालावाड़ जावेंगे तो उनको 'सी' फार्म मिलेगा। किसी को ५० मील से आना पड़ेगा किसी को ६० मील से आना पड़ेगा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेने के लिये डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स पर आना पड़ता है, ६०-६० मील चल कर और वहां उनको परेशान होना पड़ता है। शनिवार को ऑफिस बंद हो गया तो उनको इधर-उधर घूमना पड़ता है। इन्सपेक्टर उनको ये फार्म्स वहीं पर दे दें तो परेशानी और खर्चे से बच जावें, वर्ना व्यापारियों को तकलीफ होती है। व्यापारी अगर पैसा खर्च करते हैं तो वे वापिस किससे लेंगे? नाजायज़ टैक्स काश्तकारों और दूसरों से वसूल करते हैं, इसलिये निवेदन है कि छोटी-मोटी बातें जिनके कारण व्यापारियों को तंग होना पड़ता है तो उनको तंग होने से बचाना चाहिये। जहां भी इन्सपेक्टर जावें वहीं पर फ़ैसला किया जा सकता है, इसके बजाय उनको डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स पर बुलाया जाता है। मैं साफ़ कहता हूं कि जो चोरी करते हैं उनको आप सजा दीजिये, लेकिन साथ ही साथ जो चोरी नहीं करते हैं, ईमानदारी से धंधा करते हैं उनको तंग मत करिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कुछ सवाल पैसेन्जर टैक्स के हैं। मैं एक ही मिनिट में समाप्त करता हूं। आज झालावाड़ ट्रांसपोर्ट कंपनी ने अपनी सारी बसेज़ दूसरों को बेच दीं। उनको बसेज़ बेचने की इजाजत देने से पहले सरकार को देखना चाहिये था कि उन्होंने पैसेन्जर टैक्स जमा कराया या नहीं। अगर जमा करा दिया है तो बाद में इजाजत देते। उन्होंने अपने एम्प्लोईज को निकालने के लिये या कम करने के लिये यह काम किया है वर्ना जिसको बसेज़ बेची हैं वह कम्पनी और यह कम्पनी एक ही है, पार्टनर भी सब वही हैं सिर्फ नाम का फर्क है। सिर्फ आदमियों को निकालने के लिये उन्होंने यह काम किया है। मैं जानना चाहता हूं कि पैसेन्जर टैक्स वसूल करने के लिये क्या किया जा रहा है। मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि जो चोरी करते हैं उनको सजा दीजिये और बेगुनाह को तंग मत करिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय.........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : Here, here !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, पिछली मर्तबा ये कागजात पेश हुए थे और आज डिस्कशन हो रहा है, अचानक सेशन एडजोर्न हो जाने से। मैं उपाध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में कुछ न कुछ जवाब चाहूंगा बस टैक्स के बारे में। यहां से पैसेन्जर टैक्स लग गया और वसूल करने वाले वसूल कर रहे हैं, लेकिन वह सरकार तक पहुंचता नहीं। इसके बारे में पिछली मर्तबा बिल आया वह एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद आज सदन जरूर यह जानना चाहता है कि कौनसी ऐसी दिक्कत है उसके बाद जिसके कारण आज भी आप उनसे पैसा वसूल नहीं करते ? आज आपकी कुछ कमी रह गई उस कानून में और ठीक करने को आप इस शक्ल में आ गये। यदि आज भी वसूल नहीं कर सकते हैं तो एक सवाल साफ दिमाग में होता है और वह यह कि क्या कि टैक्सेज़ डिपार्टमेंट कम्बल डाउन हो रहा है ! क्या सरकार की क्षमता चली गई कि हम जो कानून पास करते हैं उसके अनुसार टैक्स वसूल करने के काबिल नहीं है, तो मानना पड़ेगा कि कौनसी जगह दिक्कत है ? यह सरकार के सोचने की बात है। यह कानून बना डेमोक्रेसी में। टैक्स लगाने से पहले सोचना चाहिए था। नये टैक्स को जब शक्ल दी, फाइनेंस बिल बनावें उस समय सरकार की सारी बुद्धि और ब्रेन टैस्ट करके कानून लावें जिससे दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसमें नहीं सोचा जाता है, सरकार नहीं सोच सकती और लोग फायदा उठाते हैं, कोर्ट में जाते हैं फिर सारे लोग बैठते हैं, ब्रेन लगाते हैं, सारी हुकूमत अपना ब्रेन लगाती है, फिर ऑर्डिनेन्स निकालते हैं। सदन कहता है कि दुबारा एक्ट बन गया, उसके बाद क्या कारण है कि आप यहां आकर कहें कि जो लोग हुकूमत के साथ खिलवाड़ करते हैं जो दिन दहाड़े लोगों के सामने हमारी अप्रतिष्ठा करते हैं उनको सजा मिलनी चाहिये।

यह सदन लेजिस्लेचर कहलाता है। लेजिस्लेचर में ऐसा नहीं है कि सभी सदस्य कानून को जानने वाले ही हों, लेकिन उनका यह भी फर्ज है कि जो कानून बनता है उस पर जनता में कैसा अमल हो रहा है, इसका पता लगावें। हम कानून के माहिर नहीं है, लेकिन कानून में जो माहिर हैं उनको खरीद सकते हैं, हमारे हर मेम्बर का फर्ज है यह जानना कि जो कानून हमने बनाये हैं उनको सरकार ने लागू किया या नहीं। लेकिन यह हम आंखों से देखते हैं कि गाड़ियों वाले पैसेन्जर टैक्स ले रहे हैं बराबर। लेकिन लेने के बाद उनको क्या हक है कि उसको जमा नहीं करावे। मैंने पिछली दफा कहा था कि आप १०-२० केसेज़ पकड़ लीजिये जिन्होंने टैक्स वसूल करके अपने पास रख लिया है। उनको सजा दिलाइये। और जिन्होंने भी हाई कोर्ट में एप्रोच करके स्टे ले लिया है तो उनको दूसरी तरह से लेकर उनका चालान कराइये। जब वे स्वयं मानते हैं कि वसूल करके अपने पास रखने का उनको अधिकार नहीं है तो उनको सजा मिलनी चाहिये। यदि आपके सामने यह आशंका रहती है कि हार गये

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

तो क्या होगा, तब वे आपसे कह सकते हैं आपके पास सुबूत क्या हैं कि हमने टैक्स लिया यह सरकार की मखौल है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट की मखौल है। जो होबनोबिंग इतने दिनों तक चला है उस बारे में सदन को जवाब मिलना चाहिये। आज से नहीं जब से पैसेन्जर टैक्स आया है तब से समाज के दुश्मन टैक्स वसूल करके खाकर बैठे हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आपका कानून उन पर रहम क्यों करता है, गलत ढ़ंग से जो इस्तेमाल करते है उन पर लागू क्यों नहीं होता है? जो समाज विरोधी तत्व हैं ये इतना फायदा क्यों उठाते हैं? क्या वे बहुत बड़ी ताकत है या कोई इस तरह की चीज उनके पास है जिसका सहारा लेते हैं, जिसके कारण सरकार उनसे टैक्स वसूल नहीं करती है।

मैं पहली बात आपके ध्यान में लाया था। अब दूसरी बात कहता हूं। टैक्स लेने से पहले इस डिपार्टमेंट को बहुत छोटा करना पड़ेगा। इसलिये वसूल नहीं होता कि टैक्स वसूल करने के लिये जो टिकिट दिये जाते हैं उन पर गोंद नहीं होगा। नासिकवाले गोंद लगा कर नहीं देते हैं तो और कहीं छुपा लें और कह दें कि गोंद लगा कर छापना पड़ेगा। यह फोर्स वे नहीं कर सकते कि गोंद लगाकर देंगे तभी टिकिट बेचेंगे। आप कानून बनाते हैं, उस पर सरकार बैठी रहती है और सारी जिम्मेदारी जनता पर लगा दी जाती है। हमने कानून बनाया कि ५० क्विन्टल या १०० क्विन्टल से ज्यादा नाज नहीं रख सकेंगे और किसानों से और लोगों से कहें कि फॉर्म ला कर तुम भरो। जो कानून बनाते हैं उसके अनुसार फोर्म वगैरह भरवाने का काम आपके नौकरों को जाकर करवाना चाहिये।

इसी तरह सेल्स टैक्स के सिलसिले में आपके मर्चेंट्स आते हैं, कितना टोटल सेल है, कितना टैक्स वे लिख कर देते हैं? हम रोज देखते हैं।

आज हर माचिस के ऊपर यह लिखा हुआ है कि क्या टैक्स है और आपके पास इतनी बड़ी फौज है, आपको जो पैसा देने वाले हैं, उनको आप यह नहीं कह सकते कि कितना टैक्स है। जब हर माचिस पर लग सकता है जो कि रोज काम में आती है। लेकिन आप नहीं लगाते हैं टिकट और आप यह नहीं देखते है कि कितना टैक्स है। इसका कारण यह है कि आप फौज खड़ी कर रहे हैं और डिपार्टमेंट को बढ़ाने की बात करके जो टॉप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन कायम करना चाहते हैं उससे इस काम में बाधा पड़ती है और इससे जो सरकार को फायदा होने वाला है इसलिए इस स्कीम का लागू नहीं किया जाता है। आज मैं कहता हूं कि अगर किसी पर सेल्स टैक्स दो हजार है, तो आप उसको कह दीजिये कि दो हजार के टिकट ले जाओ, तभी बिक्री कर सकोगे। इसके लिए पहले आप कन्सेशन दे दीजिये, लेकिन पैसा पहले एक्स–चैकर से आना चाहिये, उसके बाद यह चीज होनी चाहिए। लेकिन आप इसको नहीं करेंगे। आपके पास सारे साधन मौजूद हैं, आपके पास सारी सुविधायें हैं, गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया ऐसा करती है लेकिन अगर आप करें तो बिज़नेसमैन जो आपके चंगुल में हैं, जिस तरह से आप उनको हरेस कर सकते हैं, हर एक की बहियां ले आये हरेस करने के लिए

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

वह सब खत्म हो जायगा। यह डिपार्टमेन्ट इसीलिए इसे एक्सेप्ट नहीं करता है।

सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि केवल यह कह कर कि टैक्स वसूल करेंगे, आप इसका जस्टीफिकेशन दें कि नौकर ज्यादा रखे जायं–यह गलत है। मैं कहना चाहता हूं कि जो केलकुलेशन बजट में किया जाता है वह अन्डर रेटेड है, वह गलत दिखाया जाता है। फिर वसूली होती है और जब आखिरी महीना होता है तो उसके बाद मामूली बात है कि यह दिखायें कि हमने सुविधाजनक ढंग से यह लगाया था, लेकिन ८ हजार और लाकर दे दिया है। किन्तु यह सही नहीं है बल्कि सही तरीके से एग्जामिन करेंगे और साइन्टिफिक तरीके से जांच करेंगे, इसका एनेलिसिस करके और उसके बाद सारी चीजों का एक्स्प्लेनेशन होगा तब मान सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इसी सदन के अन्दर जो सजेशन्स आये हैं जिनको आपने मंजूर किया है और सुविधाजनक ढंग से सैल्स टैक्स लेने का प्रयत्न हो और हरेसमेन्ट कम हो इसके लिए जो प्रपोज़ल्स इस सदन में आये हैं उनको आपने एक्सेप्ट किया है। लेकिन उसके बाद भी आप दो-तीन साल से यहां बैठे हैं और हर बार मांग की जाती है लेकिन आपको खुद अपनी जुबान का लिहाज नहीं है। उसके बाद भी आप बैठे हुए हैं और कुछ नहीं कर पाते। आप महसूस नहीं करते हैं कि यह डिपार्टमेन्ट आपके पास किस तरह आया है। आप इस कुर्सी पर नहीं बैठे हैं, बल्कि कुर्सी आप पर बैठा दी गई हैं। इन पुरजोर शब्दों के साथ मैं मांग करता हूं कि इस डिपार्टमेन्ट को सही तरीके से बनाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : Would you like the time of guillotine to be extended ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : जरूरत क्या है साहब ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : Yes Sir, it may be extended.

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त-मंत्री) : आज जो एक्सेस डिमाण्ड पर बहस हो रही थी....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : It is four twenty.

श्री बालकृष्ण कौल : ४ और ५। Four twentyfive.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : It is four-twenty.

श्री बालकृष्ण कौल : No...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Not you, the time is fourtwenty.

श्री बालकृष्ण कौल : यह बजट का मामला आम तौर पर जब इस सदन के सामने आता है तो यह दोहराया जाता है, लेकिन दोहराना भी सरकार के लिए फायदेमन्द हो सकता है। जितनी कमियां या गलतियां, जैसा कि माननीय सदस्य सोचते हैं, इस डिपार्टमेन्ट में हो रही हैं और यह जो दोहराते हैं, यह मान भी लिया जाय कि उसकी

(श्री बालकृष्ण कौल)

इन्तहा या इन्टैन्सिटी इतनी नहीं भी हो तब भी है जरूर, और उसे बताना या दिखाना; हमको हमारी गलतियों को बताना कोई गलत चीज नहीं है। डेमोक्रेसी में ये चीजें सामने आनी चाहिए। हमारा यह उसूल है। अब माननीय सदस्य यदि हमारी गलतियों को हमें दिखाते रहें, तो मैं सिर्फ इतना अर्ज कर दूं, उसको मुबालिगारूप में न दिखायें, बल्कि जहां तक हो उतनी ही दिखायें। उससे भी काम पूरा हो सकता है और सरकार में एफीशियेन्सी आ सकती है। कुछ माननीय सदस्यों का कुछ एक वतीरा इस किस्म का हो गया है। वे जिसचीज को रखते हैं तो इतने मुबालिगा से रखते हैं कि एक के बजाय दस मालूम पड़ते हैं। इस तरह की मैं कुछ मिसालें दे सकता हूं। किसी तरह का एग्ज़ेज़रेशन है तो कितना ? रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य हैं, वे एक के बजाय दस कहा करते हैं,दो लाख की बजाय दस लाख कहते हैं.......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : यह गलत है।

श्री बालकृष्ण कौल : १ हजार की बजाय ४० हजार कहते हैं। इतना तो हो सकता है कि १ हजार की जगह डेढ़ हजार कह दें.......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of information, Sir, I would like to know from the Hon. ble Minister only one thing. हमारे पास कोई आंकड़े नहीं हैं। हम दस लाख कह दें, १ लाख कह दें। आपके पास तो मशीनरी है, आपको सही जानकारी देनी चाहिए। हम आपको सही आंकड़े नहीं दे सकते। हम आपकी जगह नहीं बैठे हुए हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं आपसे अर्ज नहीं कर रहा हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप स्प्रिट के अन्दर बात कीजिये। हमारे पास कोई आंकड़े नहीं हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा निवेदन किया, मैं आपकी स्प्रिट को सराहता हूं। यह मैंने माना है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इनसे डर कर कह दिया है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : नहीं तो क्या आपसे डरेंगे ? आप बीच में खड़े हो गये !

श्री बालकृष्णकौल : मैं सदन से बात कर रहा हूं। जो आपने कमियां बताई हैं, वे इतने मुबालिगा.......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप कह दीजिए, पचास लाख का बकाया नहीं है पैसेन्जर टैक्स का ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं बता रहा हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप कह दीजिये, करोड़ों रुपयों का टैक्स बकाया नहीं है। आप गलती नहीं मानेंगे और उछल रहे हैं। मैं आपको निवेदन कर दूं कि मैंने प्रोसीडिंग

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

करेक्ट नहीं की है। मैंने कहा है कि पचास लाख बकाया है। लाखों रुपया गंगाराम और मुकुन्दराम में बकाया है। आज कह रहा हूं कि पचास लाख का पैसेन्जर टैक्स का बकाया हो सकता है। प्रोसीडिंग्ज़ में कोई वर्ड इधर का उधर हो गया हो। लेकिन आप तो मक्खी का हाथी बना रहे हैं। इतना बकाया नहीं, इससे आप इन्कार कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : बैठ जाइये। आपकी तकरीर खत्म हो गई।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लाखों रुपया बकाया नहीं है,। इसकी-आड़ लेकर आप करोड़ों रुपये का टैक्स का जो बाकी है उससे अपने को बचा नहीं सकते, वित्त मन्त्री जी। Don't take it as a protection. Don't try to escape· आप निकाल लाये प्रोसीडिंग्ज़। करोड़ों के टैक्सेज़ बकाया है क्योंकि आपकी मशीनरी........

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : रिकवरी नहीं करती है और इस जिम्मेदारी से आप बच नहीं सकते।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

आपका भाषण हो चुका है।

श्री बालकृष्ण कौल : अब मेरा वक्त है कि मैं जवाब दूं। आप जब उछल उछल कर और पंचम स्वर में बोलने लग जायं········

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपमें सच्चाई नहीं है, इसलिए आप ऊंचा बोल नहीं सकते।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं निवेदन कर रहा हूं············

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आपका तो बुढ़ापा आ गया है, आप क्या उछलेंगे ?

श्री बालकृष्ण कौल : इनसे ज्यादा उछल सकता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऊंचा नहीं बोल सकते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आपने तो काफी उछाल मार दी है।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं अर्ज़ कर रहा हूं कि मुबालगा की मिकदार तो होनी चाहिए; ५ पर्सेन्ट को दस पर्सेन्ट कह दो। लेकिन पांच पर्सेन्ट को पांच सौ पर्सेन्ट कह देना अच्छा नहीं है। पब्लिक मीटिंग के अन्दर मुबालिगा की बात कह दें तो दूसरी बात है············

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप बहक क्यों रहे हैं ? आप जवाब दीजिये।

श्री विजय सिंह झाला : On a point of information, Sir.······

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Say concrete "No."

श्री उपाध्यक्ष : Now it is time for guillotine.

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : एक बिल पेश किया था वेलिडेटिंग ड्यूज़ करने का, उसकी सिलेक्ट कमेटी ने रिपोर्ट पेश की थी। उस रिपोर्ट में लिखा है कि पचास लाख पैसेन्जर टैक्स का बाकी है। आप इसको कैसे डिनाई करेंगे कि पचास लाख बाकी नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : थोड़ी देर सुने। शायद आंकड़ों पर आ जांय और आपकी गलतफहमी दूर हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Now it is time for guilletine. If you wish toextend time then............

श्री बालकृष्ण कौल : I have a right to speak.

श्री उपाध्यक्ष : But how much time you want ?

श्री बालकृष्ण कौल : Haw can I say ? I shall take some time to reply. At least half an hour.........

श्री उपाध्यक्ष : I can extend fifteen minutes.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Guillotine may be appliedon...
साढ़े चार बजे मुखबन्ध हो जायगा, इससे पहले इनका मुखबन्ध कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : All right, fifteen minutes may be extended.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपने लेटीच्यूड दे दिया है ? बीस मिनट बोल सकते हैं जवाब में।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान्, मैं सिर्फ आंकड़े ही रख सकता हूं। प्रश्न यह है कि आंकड़ों की जरूरत है या नहीं। हमारे सामने एक्सेस डिमान्ड हैं। एक्सेस डिमान्ड क्या चीज है ? ठीक है आप सरकार का ध्यान कुछ बातों पर आकर्षित करना चाहते हैं, यह भी अच्छी बात है लेकिन सारी एक्सेस डिमान्ड को छोड़ कर जनरल बहस हुई और वह एक्साइज और टैक्सेशन में जनरल डिबेट में जिस तरह से बहस होती है, हुई। अभी माननीय सदस्य ने बड़े ज़ोर से कहा कि आप कहिये कि ५० लाख बकाया है या नहीं ? मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरे पास जो फिगर्स हैं वे २२,०६,०११ रुपया है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : आप फिगर्स बिल्कुल गलत बता रहे हैं। गवर्नमेंट के फिगर्स मेरे पास हैं, वे २३,०५,५५० हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : ये कब के हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि समय कम है, इसलिये आप माननीय मंत्री महोदय को बोलने दें और जिस समय एप्रोप्रियेशन बिल आवे उस समय आप और बात कर सकते हैं। उस समय जनरल डिस्कशन कर लें।

श्री बालकृष्ण कौल : आप पहले सुन तो लिजिये, ये आंकड़े कब तक के हैं ? ये आंकड़े १-४-६४ के हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप १-४-६४ का बता रहे हैं, ये बिल्कुल गलत हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : आप कहते हैं कि गलत हैं, लेकिन गलत क्या है ? जब मैं बोल रहा हूं तो आप मुझे पहले पूरी तरह से सुन तो लें, फिर कहें गलत है।

श्री भैरोंसिंह : आप मुगालता देते हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : आप मुगालता देते हैं। आप सुनते नहीं उससे पहले ही कह देते हैं कि गलत है। मैंने कहा कि १-४-६४ को २२ लाख ६ हजार ११ रुपये और ३१-८-६४ को २० लाख ३७ हजार ३१३। ये फिगर्स मेरे पास हैं। मैं नहीं समझता कि यह उतावलापन माननीय सदस्यों में क्यों है ?

श्री भैरोंसिंह : On a point of information, Sir, मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री सही फिगर्स देना नहीं चाहते और दूसरों पर इस प्रकार का इल्जाम लगाते हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : यह गलत है।

श्री भैरोंसिंह : मेरे पास फिगर्स हैं और मैं प्रूव करता हूं कि ये गलत हैं और प्रूव इस आधार पर करता हूं कि मेरे पास जो आंकड़े सरकार के दिये हुए हैं वे इससे मेल नहीं खाते....

श्री उपाध्यक्ष : मेरे ख्याल से एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस हो उस समय कहें तो उचित होगा।

श्री भैरोंसिंह : इनके पास लेटेस्ट फिगर्स हैं २० लाख के।

श्री बालकृष्ण कौल : एरियर के २० लाख हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह कहना चाहता हूं कि आप गलत कह रहे हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : Then bring a privilege motion.

श्री भैरोंसिंह : There is no question of privilege motion. I will not let you speak lie in the House.

श्री बालकृष्ण कौल : Then you cannot disturb me.

श्री भैरोंसिंह : I will interrupt you so long as...

श्री बालकृष्ण कौल : No, you cannot disturb me like this.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आज से तीन दिन पहले प्रश्न संख्या १३१ पूछा गया था उसके उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया कि कुल बकाया २३,२०,५५६ है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो फिगर्स बताये गये हैं वे गलत हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : आप आगे के शब्दों को पढ़ें।

श्री भैरोंसिंह : आपने बताया है २३,२०,५५६ है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अलग अलग फिगर्स हैं। जो कमेटी में भेजे गये हैं वे फिगर्स इससे बिल्कुल डिफरेन्ट हैं। इसलिये आपके एक फिगर नहीं हैं। दो–दो, तीन-तीन फिगर्स हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप इन्हें बोलने दें। Please allow him to speak now.

श्री बालकृष्ण कौल : मैं यह निवेदन कर रहा था कि मेरे पास ३१-८-६४ के फिगर्स हैं। उनको मैंने आपके सामने रख दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें और उसमें कितना फर्क है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : ईमानदार के लिए तो एक पैसे का फर्क भी काफी है और बेईमान के लिए कितना भी फर्क हो कुछ नहीं।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं यह जानना चाहता हूँ कि ये फिगर्स आप जो बता रहे हैं कौन सी तारीख के हैं। मेरी खबर यह है कि ये फिगर्स जो आप बता रहे हैं ३० जून तक के हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैंने प्रश्न पूछा था कि कितनी बकाया है, उसके उत्तर में आपने जबाब दिया परसों; तो मैं यह मान कर चलता हूं कि ये फिगर्स परसों तक के हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : इसीलिए मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमें सोचना चाहिए कि कौन सी तारीख तक के फिगर्स हैं। वे भी हमारे फिगर्स हैं। लेकिन आपको पूछना चाहिए था कि कब तक के फिगर्स हैं।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न था और जिस दिन उत्तर मिला उसी दिन तक का समझता हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : प्रश्न तो यह है कि इस सदन को अधिकार है कि अगर कोई फिगर्स सरकार की तरफ से दिये जाते हैं तो उसमें किसी प्रकार की डिसपेरिटी नहीं होनी चाहिये। आप बतावें कि इसमें कोई डिसपेरिटी है क्या ?

श्री बालकृष्ण कौल : यह प्रश्न उन्होंने किया है, वह पहले का होगा और पहले का जबाब दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न ६ महीने पहले दें तो उसका मतलब यह नहीं कि उत्तर उसी समय का है।

श्री बालकृष्ण कौल : आपका अगस्त का प्रश्न है। इसलिए उस वक्त के फिगर्स हैं उस बात पर खड़े होकर कह देना कि यह गलत हैं उचित नहीं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : एरियर्स को छोड़ दें ?

श्री भैरोंसिंह : वे गलत नहीं हैं क्या ?

श्री बालकृष्ण कौल : अगर आप मुगालते की बात कहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री भैरोंसिंह : आप ही बतावें कि गलत नहीं हैं क्या ?

श्री बालकृष्ण कौल : गलत नहीं है। मैं बता रहा हूं। सन् १६६१–६२ को ले लीजिये। हमारी एक्चुअल रेवेन्यू ८५.६६ लाख थी, उस वक्त एरियर हमारे पास १.४८ लाख था और उसमें से हमने रिकवर किया .५६ लाख। और इस वक्त जो additional demands हुई व हो गईं ४,४८२।

१९६३ : ६४ में हमारी एक्चुअल रेवेन्यू हुई १५.४.४८ लाख उस वक्त हमारे एरियर्स थे १२.६४ लाख, रिकवरी थी ६.८६ लाख। उस वक्त हमारी डिमाण्ड थी २०.८६। आप आकर देखिए।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उदयपुर में कितनी थी और झालावाड़ में कितनी थी ?

श्री बालकृष्ण कौल : यह तो मैं पहले ही मान चुका हूं कि चीज जैसी होनी चाहिए उस तरह की अभी नहीं है और होगी तो भी मैं नहीं कह सकता। मेरा यह निवेदन है कि सेल्स टैक्स के एरियर्स और दूसरे भी कई एरियर्स हैं। आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि यह क्या है ? जब हाईकोर्ट ने एतराज किया तो पिछले सदन में एक बिल लाये थे। पहले उसके लिए ऑर्डिनेन्स निकाला था। इस सदन ने उसको मंजूर करके एक्ट बनाया। उस एक्ट का भी जो नोटिस होना चाहिये था वह भी उसी तरह नहीं है, इसका कारण हाई कोर्ट जाने; हम जान नहीं सकते।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप फिर ऑर्डिनेन्स निकाल दीजिये।

श्री बालकृष्ण कौल : जब तक इसका फैसला न कर लें। उन्होंने यह नहीं कहा कि हमारा एक्ट गलत है। उनकी बहस इस बात पर है कि यह टैक्स रीज़नेबल है या नहीं।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं यह नहीं कह सकता कि इसका क्या फैसला होगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a point of order, Sir, यह सवाल सामने आया, बार बार चैलेंज किया जाता है तो इस पैसेंजर्स टैक्स के कलेक्शन को रोक क्यों नहीं दिया जाता ? क्या सरकार इस पोज़िशन में है कि पैसेन्जर्स टैक्स के कलेक्शन को रोक दे ?

श्री बालकृष्ण कौल : कानूनी दिक्कत सामने आ जाती है तो हम कुछ नहीं कर सकते।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सवाल यह है कि हाई कोर्ट यह तय करेगा कि आया यह टैक्स वाजिब है या नहीं। हाई कोर्ट से जब तक यह फैसला नहीं हो जाय तब तक जनता की जेब को तो बचा लीजिये, आज आप जनता को क्यों लुटा रहे हैं ? जनता से पैसेन्जर्स टैक्स का पैसा वसूल करके बस ऑपरेटर्स क्या जनता को नहीं लूट रहे हैं, वे लोग क्यों कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं ? अजीब शान में हैं आप। आप घोषणा कर दीजिये कि यह पैसेन्जर्स टैक्स वसूल नहीं किया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने रीज़नेबलनेस के बारे में कहा, उसके लिये मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने गवर्नमेंट एडवोकेट को, एडवोकेट जनरल को उसी समय यह क्यों नहीं कहा कि इमीजियेट नोट लें; मार्च में स्टे दिया था, स्टे ऑर्डर के बारे में इमिजियेट नोट क्यों नहीं लिया ? जवाब

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

क्यों नहीं पेश किया ? हाई कोर्ट को गवर्नमेंट ने इस बात की सिक्योरिटी क्यों नहीं दी कि अगर हाई कोर्ट इस टैक्स को गैरवाजिब करार देगा तो हम repay करेंगे । गवर्नमेंट इस प्रकार की अन्डरटेकिंग दे देती without making the parties liable for all that the Government will behave in such an honest manner that it will refund.

अपनी रीज़नेबलनेस के आधार पर आपने यह क्यों नहीं किया ?

Six months after you have filed an affidavit. The Finance Secretary has filed an affidavit very recently ? Why the Government took so much time and why did they not take proper action for submitting security. In that case stay order would have been vacated.

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय, जिस वक्त उन्होंने स्टे किया था उस समय जो एडवोकेट गवर्नमेन्ट के प्लीडर थे उन्होंने एतराज किया और उसके बाद स्टे के लिए मूव किया कि स्टे वेकेट किया जाय । पर हाई कोर्ट वेकेशन में चला गया । लास्ट पेशी पर सवाल पड़ा हुआ है रीज़नेबलनेस का । हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, हाई कोर्ट फैसला करेगा कि रीज़नेबल है या नहीं । पर जिस वक्त रीज़नेबलनेस का प्रश्न उठाया था, सरकार के पास चारा नहीं था । सेक्रेटरी ने सरकार की तरफ से एफिडेविट दिया है । उसके बाद एक तारीख की थी बहस होने की पर हाई कोर्ट के one of the judges में से बीमार हो गये, फिर तारीख दी ।

दूसरा सवाल यह है कि गवर्नमेन्ट सिक्योरिटी दे कि यदि हाई कोर्ट यह फैसला दे कि यह रीज़नेबल नहीं है तो गवर्नमेन्टरी पे करे या यदि रीज़नेबल का फैसला हाई कोर्ट से हो तो वसूली की जाय, इसके लिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह दुनिया के किसी कोने में नहीं है कि अगर फैसला होगा कि गलत है तो वह देना पड़ेगा ।

श्री भैरोंसिंह : जिस सरकार पर विश्वास नहीं होता है उस सरकार से हाई कोर्ट सिक्योरिटी मांगता है ।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, वित्त) : विश्वास है या नहीं, यह तो मालूम हो जायगा ।

श्री बालकृष्ण कौल : इसलिए जो सिक्योरिटी का सवाल उठाया गया उसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि न तो हाई कोर्ट ने सिक्योरिटी मांगी और न हमारे लिए सिक्योरिटी देना मुनासिब ही था ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जब हाई कोर्ट में रीज़नेबलनेस के बारे में मामला चल रहा है तो इसी वक्त डिक्लेअर कीजिये कि लोग पैसेन्जर्स टैक्स नहीं दें, स्पष्ट घोषणा कीजिये । जनता बस मालिकों को पैसेन्जर्स टैक्स नहीं दें, जब तक हाई कोर्ट से फैसला नहीं हो जाय तब तक नहीं दें, यह घोषणा कर दीजिये ।

श्री बालकृष्ण कौल : अगर सरकार यह घोषणा कर दे कि जनता टैक्स नहीं दे तो हाई कोर्ट द्वारा रीज़नेबल करार दिये जाने पर जनता से कैसे वसूल होगा, कब किसने कहां कितनी ट्रेवल की, इसका रेकॉर्ड कहीं हो नहीं सकता। आज तो यह उम्मीद है कि फैसला होगा तब इतने समय का वसूल कर लेंगे।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : पैसेन्जर्स टैक्स की चोरी न हो, इसके लिए टिकिट लगाए जायं, ऐसा एस्टीमेट्स कमेटी ने सुझाव दिया था, वह क्यों नहीं किया गया ? दूसरा मेरा यह ख्याल है कि क्या आप इस पोज़ीशन में हैं कि अगर यह टैक्स गैर-वाजिब करार दिया गया तो क्या आप जनता को पैसा repay करवा सकेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : Order please !Order !! Shall I extend the time ?

श्री बालकृष्ण कौल : Yes, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : How much ? कितना ?

श्री बालकृष्ण कौल : १५ मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : Allright, time for guilltine is extended by 15 minutes and I hope the House will cooperate with me in this.

The time is extended until the Appropriation Bill is passed.

श्री बालकृष्ण कौल : दो—तीन माननीय सदस्यों ने यह कहा कि....

श्री उपाध्यक्ष : After five O'clock, there will be strictly guilltine and I hope they will allow the reply being given in proper order.

श्री बालकृष्ण कौल : इन टिकिटों के ऊपर स्टेम्प्स लगा दिये जायं। मैं खुद मानता हूं, मैंने पहले भी कहा था कि स्टैम्प्स लगाने चाहिये, इससे हमारी तकलीफें दूर होंगी। मैं यह नहीं कहता कि हमारे स्टाफ के आदमी निकाल दिये जायेंगे, स्टाफ में कमी की जायगी, पर सरकार को पूरा पैसा आ जायगा। पर बदकिस्मती है कि मैंने उस वक्त भी कहा था कि नासिक गवर्नमेन्ट प्रेस जिसमें सिक्यो—रिटी है इन स्टाम्प्स के छापने की, वह अब तक इस चीज के लिए तैयार नहीं हो रहा है कि हमें स्टाम्प्स छाप कर दे। इस सम्बन्ध में हम गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया से बात-चीत कर रहे हैं कि औरों को इस प्रकार के स्टाम्प्स मिलते हैं तो हमें क्यों नहीं मिलते ? ऊपर से भी बात कर रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के ऊपर कौन है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आपका प्रेस सिक्योरिटी में नहीं है और आप लालसाफेवालों को नहीं लगा सकते तो काले साफेवालों को लगा दीजिये, आपके पास एक्साइज़ एण्ड टेक्सेशन का स्टॉफ है, क्या रिडिक्यूलस बात है कि हम नहीं कर सकते। यह क्या बात हुई कि पैपर्स नहीं छपते ? यूनिवर्सिटी के सब पैपर्स छपते हैं। आप सिक्योरिटी लगा दीजिए। एक मकान बना दीजिये, इतना सवाल है। गोंद लगा दीजिये।

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सदस्य जरा शान्ति से बैठें, मैं गोंद लगाता तो आप बैठे ही रह जाते ? तो गवर्नमेन्ट की यह दिक्कत है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं अजमेर म्युनिसिपैलिटी का चेअरमैन था, एन्टरटेनमेन्ट टैक्स के लिए टिकट छपा कर देता था । कोई चोरी नहीं होती थी टैक्स की ।

श्री बालकृष्ण कौल : एक चीज और निवेदन कर दूं ३१-८-६४ को इस टैक्स के ७,६३,६२३ बाकी हैं........

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : शैम ! शैम !!

श्री बालकृष्ण कौल : सारे का बता रहा हूं ।

उदयपुर डिविज़न के २,६१,०१०- चित्तौड़ के १०,०८२, भीलवाड़ा के १४,६५४, कोटा में ३,११,०१७, गंगानगर के ४४,१७४, उदयपुर के १,२०,६६५ ।

श्री विजयसिंह झाला : १५० हजार का आपने प्रोमिज़ किया था वहां आप केवल ३० हजार वसूल करके जोश में आ रहे हैं, जब कि किसी मोटर ओनर ने स्टे नहीं लिया है ।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं यह कहना चाहता था कि उदयपुर में कुल १२० हजार हैं....

(व्यवधान)

मैं यह कह रहा था कि यहां किसी बसंत कुमार का नाम लिया गया । उसके फिगर्स भी दे देता हूं :

Advance taxes paid Rs. 17, 303/-

Additional : Demand raised in assessment R. 28,796/-

Attachment order passed and payment made thereafter Rs. 8,000/-

Remaining dues Rs. 20,796/-

Demand reduced by the Court. Rs. 11,796/-

अब टोटल हमारे पास रहा ११,७६६) रुपये । १२-६-६४ को वह स्टे आॅर्डर ले आया और यह पोज़ीशन आई ।

श्री विजयसिंह झाला : आपने स्टे आॅर्डर लाने का मौका क्यों दिया ?

श्री बालकृष्ण कौल : हमने जब बस अटैच कर ली तो स्टे आॅर्डर ले आया, तब बस को छोड़ना पड़ा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कौन है ? किसका लड़का है ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं नहीं जानता ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सचमुच नहीं जानते हैं ?

श्री बालकृष्णकौल : तस्दीक के साथ नहीं कह सकता। एक माननीय सदस्य ने माऊंडा का जिक्र किया था और उसमें इन्कम टैक्स का जिक्र किया कि वहां लाखों का माल चला गया। इन्कम टैक्स को भी अगर कुछ मसाला मिला है तो इस सेल्स टैक्स के बाद मिला, पहले नहीं। मैं इतना अर्ज करना चाहता हूं कि हमारा यह असेसमेंट करीब साढ़े तीन लाख का है, डिमांड नोटिस। लेकिन वह कोर्ट में है। हम बड़ी मुश्किल से एक लाख रुपये वसूल कर चुके हैं मामला अपील में है। यहां एरियर्स के लिए हमें जिम्मेदार टहराया जाता हैं। जो मामले कोर्ट्स में चले जायं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई मशीन नहीं है कि अदालत को रोक दें, हाई कोर्ट है, रेवेन्यू बोर्ड है, वहां से यदि स्टे ऑर्डर हो जाय तो मुश्किल हो जाती है हमारे लिए। जितनी हमारी चीजें हैं वे कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से रखनी पड़ी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपने पैसेन्जर टैक्स उन लोगों से वसूल नहीं किया जो व्यक्तिगत रूप से स्टे ऑर्डर्स लाए हैं या कुछ स्टे ऑर्डर के कारण सबसे वसूली स्थगित कर ली?

श्री बालकृष्ण कौल : हम जिनसे वसूल करते हैं वे लोग दूसरे दिन ही स्टे ऑर्डर्स लाते हैं। आज करीब ४०१ स्टे ऑर्डर हमारे पास हैं।

श्री भैरोंसिंह : मतलब जनरल स्टे आपने नहीं किया?

श्री बालकृष्ण कौल : हां, हमने नहीं किया है।

एक माननीय सदस्य ने मुझे याद दिलाया था कि मैंने इस सदन में कहा था कि जो छोटे व्यापारी हैं उनकी यह असेसमेंट की तकलीफें दूर हो जायंगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने उसके रूल्स बनाकर उनके पास फार्म्स भेज दिये, लेकिन जो कन्सेशन को अवेल करना चाहेंगे उसको हमने जैसा उनके पास फार्म्स भेजे हैं वे भर कर भेज दें। लेकिन देखने में आ यह रहा है कि इस कन्सेशन को जिस तरीके से उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए, अभी तक उन्होंने नहीं किया। अगर नहीं करेंगे तो मेरे आगे कोई रास्ता नहीं, सिवाय ऑर्डिनरी असेसमेंट के। इसलिए आप खास तौर से अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएन्सी में जाकर ऐसे डीलर्स को राय दें। तो यह कहना कि हमने जो वायदा किया उसको नहीं निभाया, यह गलत है। आप लोगों से कहें कि उन फार्म्स को भरकर कन्सेशन ले लें। बातें बहुत हैं लेकिन मालूम होता है कि सदन के माननीय सदस्य अब दूसरे मूड में हैं। ५ बजने में ५ मिनट हैं और इसलिए मैं समझता हूं कि जो मोटी चीजों के आरोप लगाये थे उनका जवाब मैंने दे दिया।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : गोटा किनारी के बारे में नहीं बताया कि रेवेन्यू बोर्ड के फैसले के बाद सबको....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान को मांग संख्या ८६, मुख्य शीर्षक १२-बिक्री कर के संबंध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त हुए

(श्री उपाध्यक्ष)

वर्ष में किते गये व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को २२,७०४) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(४.५६ म. प.)

शेष मांगों पर मुख बंध

अधिक अनुदान की मांग संख्या ८८–गाड़ियों पर कर

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ८८, मुख्य शीर्षक १२–गाड़ियों पर कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६१ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५,२०७ रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अधिक अनुदान की मांग संख्या ६१–जन–स्वास्थ्य

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ६१, मुख्य शीर्षक ३६–जन-स्वास्थ्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६१ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ८,८३,५८१ रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अधिक अनुदानों की मांग संख्या ६३-जन–स्वास्थ्य पर पूंजी की लागत

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ६३, मुख्य शीर्षक ७०- जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६१ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १०,१३,०२३ रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अधिक अनुदानों की मांग संख्या ६५-राज्य सरकारों द्वारा व्यय तथा अग्रिम

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या ६५, मुख्य शीर्षक ता– राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६१ को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,२७,०१,४३८ रु० की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १६६४

(पुरः स्थापन, विचार–विमर्श एवं पारित)

(श्री अध्यक्ष)

एप्रोपियेशन बिल

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६४ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या प्रस्तुत विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री बालकृष्ण कौल : मैं उक्त विधेयक को पुराःस्थापित करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : मंत्री महोदय यह बतायें बिल इतनी देरी से क्यों लाया गया ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : तीन साल के बाद।

श्री उपाध्यक्ष : आप विचारार्थ रख लीजिए।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६४ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६४ को पारित किया जाय।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : पारित करने का सवाल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं इससे पहले मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि सन् १९६०-६१ के सम्बन्ध में ७ करोड़ के लगभग जहां खर्चा है, चार वर्ष के बाद क्यों सदन में प्रस्तुत किया गया, उसके रीज़न्स क्या हैं, वे रीजन्स बता दें ?

श्री बालकृष्ण कौल: उपाध्यक्ष महोदय, कोई रीज़न्स का सवाल ही नहीं है, यह तो प्रोसीजर का सवाल है। १९६०-६१ का बजट पास होता है, जहां तक मैं जानता हूं उसके अकाउन्ट्स जो कम्पलीट होते हैं उसमें कम से कम छः महीने लगते हैं और उसके बाद जो आडिटर जनरल की एप्रूवल आती है उसमें कम से कम चार-पांच महीने लग जाते हैं। उसके बाद प्रिंटिंग में टाइम लगता है और फिर एग्ज़ामिनेशन बाई दी पी. ए. सी. उसमें कम से कम दो महीने लग जाते हैं।

श्री सतीसचन्द्र अग्रवाल : दो साल समझ लीजिये।

श्री बालकृष्ण कौल : फिर भी पी. ए. सी की रिपोर्ट छपती है उसमें चार-छः महीने लग जाते हैं। कुछ थोड़ा सा टाइम एक-आध महीने का हमको लगता है। पी. ए. सी की रिपोर्ट अप्रेल १९६४ में आयी, उसके बाद हम यह यहां लाये हैं। इसमे कम टाइम नहीं लग सकता था।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, इसबिल के बारे में थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूं; वह यह है कि अभी अभी फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने यह कहा कि

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

हमारे पास पी. ए. सी. की रिपोर्ट आयी है और उसके आधार पर यह डिमान्ड हाउस में में रखी है। इसके लिए उपाध्यक्ष महोदय, यह जो इन्होंने मेमोरेन्डम दिया है सारी डिमान्ड्स के लिए उसमें भी इन्होंने साफ लिखा है कि ये सारे डिमाइन्ड्स के आंकड़े हैं जो उन्हें उस वक्त मालूम हुए जब गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के ऑडिट के लोगों ने ये सारी बातें बतायीं। इन सारी बातों में यह लिखा है कि वर्ष के अन्त में भुगतान हुए हैं इस कारण यह हुआ है। वर्ष का अंत ६०-६१ हो सकता है और वर्ष के अन्त में जब मालूम हो गया कि पांच करोड़ और ७० लाख का भुगतान करना है तो कैसे कह सकते हैं कि हमको मालूमात सन् ६४ में हुई।

यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी रकम ब्याज की है। एक जगह २७ लाख ६५ हजार है वह भी ब्याज की है और एक रकम और है वह भी ब्याज की है और यह भी कौनसी ? बैंक से ओवर ड्राफ्ट किया है उसका ब्याज सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को यह दिया है जो उनसे राशि लाये थे। जो रकम स्टेट से या बैंक से ली, यह आप भी जानते हैं और हाउस के सदस्य महानुभाव भी जानते हैं कि बैंक का अकाउन्ट हर साल बराबर होता है और पास बुक वह भेजता है और यह बताता है कि इतना ब्याज मेरा लेना है और इतना ब्याज देना है। फिर बैंकों का ब्याज चुकाया गया, उसके लिए यह कहा कि ६१ का ब्याज ६४ में मालूम हुआ और इसी प्रकार गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को २७ लाख का भुगतान किया, उसके लिए भी यह कहा कि तीन साल बाद मालूम हुआ। मैं नहीं समझता कि फाइनेन्स मिनिस्टर को तरीका नहीं मालूम। पी० ए० सी० ने नहीं बताया तब तक ध्यान में नहीं आया। आपका डिपार्टमेंट ऑडिट रिपोर्ट नहीं भेजता है, पी० ए० सी० ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार काम करती है; आपका डिपार्टमेंट दो साल तक सोता रहा और इसमें लिखा है कि तीन सालों की एक्सेस और सप्लीमेंटरी डिमान्ड हाउस के सामने रख दी। मैं समझता हूं कि अकाउन्ट्स के मामले में इस प्रकार से दिलाई करना और इतने बड़ी बड़ी तनख्वाहों वाले अफसर रखना कहां तक उचित है ? आपके द्वारा गवर्नमेंट के सामने यह रखना चाहिए कि इस प्रकार से चार साल के बाद डिमान्ड रखना उचित नहीं है। जिन लोगों ने हाउस में बजट पास किया उनमें से एक भी नहीं है और हम लोग नये हैं।

श्री चन्दनमल बैद (उप-मंत्री, उद्योग) : कई हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप भी दूसरी शपथ ग्रहण करके बैठे हैं। आप भी उस वक्त ऐसे ही बोलते थे जिस प्रकार आज मैं बोल रहा हूं, किन्तु आज आप इस प्रकार नहीं बोल सकते क्योंकि आपके पीछे कुर्सी चिपकी हुई है, आपके मुंह पर ताला लगा हुआ है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आपका इसमें रूलिंग होना चाहिये कि ६१ की डिमान्ड ६४ में नहीं आनी चाहिये, बल्कि साल खत्म होने के बाद साल में एक ही बार आनी चाहिये, बार बार नहीं आनी चाहिये।

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस के साथ यह कहना

(श्री बालकृष्ण कौल)

पड़ता है कि माननीय सदस्य ने दलील दी, लेकिन उनको इसकी अनभिज्ञता है उससे मुझे हमदर्दी है । बस इतने ही अल्फाज़ के साथ मुझे कुछ नहीं कहना है । इसको पारित करने के लिए मैं प्रस्तुत करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

प्रस्तुत विधेयक पारित किया गया ।

सदन की बैठक कल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तत्पश्चात् सदन की बैठक म० प० ५.८ बजे दिनांक २४ अगस्त, १९६४ के म० पू० ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई) ।

परिशिष्ट १

(प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

पटवारियों को गिरदावर की ट्रेनिंग

५८१. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे:—

(१) पटवारियों को गिरदावर की ट्रेनिंग में भेजे जाने के लिए क्या कोई नियम हैं ।

(२) गत वर्ष पटवारियों से गिरदावर की ट्रेनिंग में भेजे जाने के लिए आवेदन-पत्र मांगे गए ? यदि हां, तो कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और उनमें से कितने व्यक्ति को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया ?

(३) क्या इस वर्ष भी इस प्रकार के आवेदन-पत्र मांगे गए हैं और क्या किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) जी नहीं । आगे प्रश्न नहीं उठता ।

(३) जी नहीं । परन्तु ट्रेनिंग के लिए कुछ व्यक्तियों को भेजा गया है ।

मिलावट पर रोक लगाने हेतु फूड इन्स्पेक्टर की नियुक्तियां

५८२. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पटना) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि मिलावट पर रोक लगाने हेतु फूड एक्ट राजस्थान में लागू किया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि नियमाअनुसार लाइसेन्स प्राप्त करवाने और सेम्पल लेकर जांच करवा कर चालान करने के अधिकार फूड इन्स्पेक्टर को है ?

(३) क्या यह सही है कि फूड इन्स्पेक्टर किसी खास योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाता है ? यदि हां, तो कौनसी योग्यता का होना आवश्यक है ?

(४) सरकार ने जिलों में कितने फूड इन्सपेक्टर नियुक्त कर रखे हैं ? तालिका जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(५) क्या यह सही है कि देहाती दूध विक्रेताओं को लाइसेन्स बनवाना आवश्यक है ?

(६) यदि हां, तो उनको लाइसेंन्स बनाने के लिए जिले के हैडक्वार्टर पर जाना पड़ता है और अधिकारियों के नहीं मिलने पर उनको कितनी ही बार जाना पड़ता है ?

(७) क्या यह सही है कि देहाती इस एक्ट को पूरी तरह नहीं समझ पाये और इन्स्पेक्टर गांवों में जाकर चालान करने की धमकी देते हैं और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) जी हां ।

(३) फूड इंसपेक्टर पी. एफ. ए. रूल्स, १९५५ के नियम ८ की योग्यता होने पर ही नियुक्त किये जाते हैं जिसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) फूड इंसपेक्टर की जिलेवार तालिका सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(५) जी हां।

(६) जी नहीं ।

(७) ऐसी कोई सूचना इस कार्यालय में नहीं है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयसमुद्र की झील में मछली पकड़ने का ठेका

५८३. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर डिविज़न में जयसमुद्र नाम की मीठे पानी की झील में मच्छी पकड़ने का ठेका कई वर्षों से एक ही व्यक्ति के नाम से है ? यदि हां, तो किसके नाम और कितने वर्षों से ?

(२) जयसमुद्र से औसतन कितनी मच्छियां (तोल में) साल भर में बाहर भेजी जाती हैं और भारत में कहां कहां जाती हैं ?

(३) क्या यह सही है कि सरकार के पास इस झील की मछलियों का ठेका लेने के लिए कई अन्य व्यक्तियों को भी दरख्वास्तें आयी हैं, फिर भी ठेका उनको नहीं मिला है

उत्तर

(१) जी हां, श्री एच० सी० कपूर के नाम पर सन् १९५३ से जयसमुद्र का ठेका सरकार द्वारा दिया हुआ है ।

(२) औसतन १५ हजार मन मछलियां जयसमुद्र से देहली व कलकत्ता भेजी जाती हैं ।

(३) जी नहीं ।

(४) सरकार जाने ।

सरकारी क्वार्टरों के निर्माण हेतु भूमि एक्वायर करने की योजना

५८४. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि हिन्डौन में सरकारी क्वार्टरों के लिए चौपड़ से नई मण्डी तक कोई जमीन नगरपालिका द्वारा एक्वायर करने की योजना बनाई गई है ?

(२) यदि हां, तो इस योजना में कितनी जमीन ली जा रही है और कितने क्वार्टरों के लिए जमीन लेने की योजना है ?

(३) एक क्वार्टर के लिए कितनी जमीन की जरूरत है ?

(४) क्या उक्त सरकारी क्वार्टरों के अलावा जनता को भी जमीन देने के बारे में कोई योजना है ? यदि हां, तो उन्हें किस हिसाब से जमीन दी जायेगी ?

(५) क्या सरकार ऐसे आदमियों के बारे में सोच रही है जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं हैं और काफी सालों से परेशान होते चले आ रहे हैं ?

(६) क्या सरकार उन्हें मकान बनाने के लिए जमीन देने के बारे में सोच रही है ?

उत्तर

(१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

(३) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

(४) चौपड़ से बयाने वाली सड़क तक की जमीन जनता को मकान बनाने के वास्ते देने की योजना नगरपालिका के विचाराधीन है, अतः किस हिसाब से दी जावेगी, यह निश्चित नहीं हुआ है ।

(५) योजना के प्राप्त होने पर ही विचार सम्भव हो सकता है ।

(६) योजना के प्राप्त होने पर ही विचार सम्भव हो सकता है ।

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५७६ का उत्तर देखिये)

(१)	होम्योपैथिक एसोसियेशन, अजमेर	६००) रु० वार्षिक
(२)	मोतीसिंह खिमसरी होम्योपैथिक लि०, उदयपुर ।	१२००) रु० ,,
(३)	होम्योपैथिक धर्मार्थ औषधालय, जयपुर ।	६००) रु० ,,
(४)	सथांलिया होम्योपैथिक, डि० मंडावरा (झूंझुनू)	६००) रु० ,,
(५)	होम्योपैथिक धर्मार्थ औषधालय, बीकानेर ।	१२००) रु० ,,

शुद्धि–पत्र

(शुक्रवार, दिनांक २३ अक्टूबर, १९६४)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
२	अन्तिम से ६	(श्री प्रभा मिश्रा)	(श्रीमती प्रभा मिश्रा)
३	शीर्ष	(श्रीमती प्रभ मिश्र)	(,, ,, ,,)
,,	१६	उप-मंत्री, स्वयत शासन	उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन
,,	अन्तिम से २	हरीप्रसाद शर्मा	श्री हरिप्रसाद शर्मा
५	१४	श्री अध्ययत्त	श्री अध्यक्ष
७	शीर्षक	प्रश्नोतर	प्रश्नोत्तर
१०	२३	(बांदीकु ई)	(बांदीकुई)
१२	शीर्षक	तारांकित	तारांकित
१३	७-८-९	५६०, श्री नत्थी सिंह (भरतपुर) श्री रामकिशन वैर : श्री मुकुटबिहारीलाल (बयाना) :	५६०. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) श्री रामकिशन (वैर) श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) :
१४	शीर्षक	प्रश्नात्तर	प्रश्नोत्तर
१७	११	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
१९से२२	शीर्षक	तारकित	तारांकित
२५	५	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिह
२७	शीर्षक	–२३ अ टूबर, ६४	-२३ अक्टूबर, ६४-
२९	,,	प्रश्नोत्तर	प्रश्नोत्तर
३३	७	देखिये)	देखिये)
,,	१८	श्री उप-मन्त्री उद्योग	उप-मन्त्री, उद्योग
,,	अन्तिम	गाविन्दासह	श्री गोविन्दसिंह
३६	१	(बिधि मन्त्री)	(विधि मंत्री)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
३७	६	(गंगापुर :	(गंगापुर):
३८	१७	वैद्य श्री गोबिन्द सहाय	वैद्य श्री गोविन्दसहाय
४०	१	डेट	डेफिनिट डेट
४१	१४ के बाद	—	Year
४२	२०	लड्ड	लड्डा) :
४३व५०	शीर्षक	प्रश्नोतर	प्रश्नोत्तर
४४	२१	श्री चतुर्भुज	श्री चतुर्भुज उपाध्याय
५३	१	श्रीमती कमला वेनीवाल	श्रीमती कमला बेनीवाल
६०	१६	(१२.०० माध्यान्ह)	(१२.०० मध्यान्ह)
६३	शीर्षक	तारकित	तारांकित
,,	११	श्री परसराम मदेरदणा	श्री परसराम मदेरणा
,,	२०	श्री परसराम मदेररणा	,, ,, ,,
,,	अन्तिम से ५	श्रा योगेन्द्रनाथ हंडा	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
६८	,, ,, ४	कुवर	कुंवर
७३	शीर्षक	अनस्थित	अनुपस्थित
७५	,,	सदस्वों	सदस्यों
८०	,,	प्रश्नात्तर	प्रश्नोत्तर
८१	,,	ग्रश्नोत्तर	,,
८५	२२	(किशनपेल जयपुर)	(किशनपोल, जयपुर)
८८	११,१८	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
८६	शीर्षक	वींकानेर न र पालिका के प्रशसक	बीकानेर नगरपालिका के प्रशासक
६१	,,	२३ अक्ठूबर	-२३ अक्टूबर,
६३	,,	२३ अक्टूब	,, ,,
६४	२६	:(निम्बाहेडा) :	(निम्बाहेड़ा) :
६५	७	श्रीमती कमला वेनीवाल	श्रीमती कमला बेनीवाल
१०३	शीर्ष	(श्री उमरावसिंह ढ़ायरिया)	श्री उमरावसिंह ढाबरिया
१०४	२३	(वैर)	(वैर):
११०	५	श्री भैरोसिह	श्री भैरोंसिंह

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
११३	१	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
११४	शीर्षक	राष्टीयकरण	राष्ट्रीयकरण
११६	१८	(रायासिंहनगर)	(रायसिंहनगर)
१२३	शीर्षक	अनुदान	अनुदानों
१२४	१	अध्यक्ष	श्री अध्यक्ष
२५ से १४० तक	शीर्षक	अनुपूरक अनुदान की मांग –२३ अक्टूबर, ६४– संख्या ९२– सार्वजनिक निर्माण	अधिक अनुदानों की मांग संख्या– २३ अक्टूबर, ६४– ९२ व ९४
१४०	अन्तिम ९	सालहकार	सलाहकार
१४४ से १६६	,,	मांग संख्या ९३	मांग संख्या ९२
१४८	१९	श्री निरंजनाथ आचार्य !	श्री निरंजननाथ आचार्य
१६२	अन्तिम से ६	:(किशनपोल, जयपुर):	(किशनपोल, जयपुर)
१७२	शीर्षक	ज्ञानिक वैविभाग	वैज्ञानिक विभाग
१७४	२०	श्रीमती कमला बेजीवाल	श्रीमती कमला बेनीवाल
१७९	शीर्षक	अधिन व की की	अधिक व की
१८५	शीर्षक	मांग संख्या	मांग संख्या ८९
१८५	शीर्ष	—	(श्री विजयसिंह झाला)
,,	८	श्री यीगेन्द्रनाथा ढांडा (रायासिंहनगर)	श्री योगेन्द्रनाथ ढांडा (रायसिंहनगर)
,,	२०	(पिड़वा	(पिड़ावा)
१८७	३	श्री गोकल प्रसाद शर्मा	श्री गोकुलप्रसाद शर्मा
१९१	शीर्ष	—	(श्री निरंजननाथ आचार्य)
२०६	शीर्षक	ब्रिकी	ब्रिकी कर
,,	१४	: (नसीराबाद)	(नसीराबाद) :
२१५	शीर्षक	(श्री वोविन्दसिंह)	(श्री गोविन्दसिंह)
२२४	७	श्री रामप्रसाद लड्ढा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
२४५	शीर्षक	मांग संख्या ३९-जन स्वास्थ्य	मांग संख्या ८९
२५१	,,	(संउया ३)	(संख्या ३)
२५३	अन्तिम	हरिप्राद शर्मा (पटना)	श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन)

* विस्तृत शुद्धि-पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा।